



भारतीय रिजर्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

(Website: www.rbi.org.in)

(केवल ई-टेंडरिंग/e-Tendering only)

निविदा दस्तावेज/Tender Document

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ क्वार्टर, तम्मलम, तिरुवनंतपुरम-695 012 में स्थापित 56 केएलडी कॉम्पैक्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दिन-प्रतिदिन के संचालन और विस्तृत रोकथाम रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा

Annual Maintenance Contract for day-to-day Operations and Comprehensive Maintenance of 56 KLD Compact Sewage Treatment Plant installed at Reserve Bank of India Staff Quarters, Thamalam, Thiruvananthapuram-695 012.

निविदाकार का नाम/Name of the Tenderer: _____

पता/Address: _____

मोबाइल नं./Mobile no. _____

ई-मेल आईडी/E-mail ID _____

जमा करने की अंतिम तिथि/Due Date of Submission	02 मार्च, 2026 (मध्याह्न 2:00 बजे तक)/ March 02, 2026
निविदा की वैधता/Validity of Tender	निविदा के भाग 1 के खोलने की तिथि से 90 दिन और आपसी सहमति के तहत वैधता का आगे विस्तार/90 days from the date of opening of Part 1 of the tender and further extension of validity under mutual agreement
बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन)/Pre-Bid Meeting (Offline)	16 फरवरी, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे/ 11:00 hrs. on February 16, 2026

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाए। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी, यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए, सख्त वर्जित है और कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

This document is the property of Reserve Bank of India (RBI). It may not be copied, distributed or recorded on any medium, electronic or otherwise, without the RBI's written permission thereof, except for the purpose of responding to RBI for the said purpose. The use of the contents of this document, even by the authorized personnel / agencies for any purpose other than the purpose specified herein, is strictly prohibited and shall amount to copyright violation and thus, shall be punishable under the Indian Law.



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग तिरुवनंतपुरम

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)
(सिर्फ ई-प्रोक्योरमेंट के लिए)

निविदा की समय सारिणी (SOT)

भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम (जिसे आगे 'बैंक' या 'आरबीआई' कहा जाएगा) 56 KLD कॉम्पैक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दैनिक संचालन और व्यापक रखरखाव के लिए सेवाएँ प्रदान करने हेतु दो भागों में (भाग I – तकनीकी व वाणिज्यिक बोली और भाग II – मूल्य बोली) ई-निविदा आमंत्रित करता है। यह निविदा एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक विक्रेता / ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है। प्रारंभ में, संविदा 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक मान्य होगा और बैंक द्वारा निर्णय लिए जाने पर इसे एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम दो वर्ष तक, यदि प्रदर्शन संतोषजनक हो और/या अन्य मापदंड जो बैंक तय कर सकता है। ई-निविदा का कार्यक्रम निम्नलिखित है:

क. ई-निविदा का नाम:	भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ कार्टर्स, तम्मलम, तिरुवनंतपुरम-695 012 में स्थापित 56 KLD कॉम्पैक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दिन-प्रतिदिन संचालन और व्यापक रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा।
ख. ई-निविदा संख्या:	आरबीआई/तिरुवनंतपुरम/एस्टेट/22/25-26/ईटी/867
ग. निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली (भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II – मूल्य बोली) www.mstcecommerce.com/eprocn के लिए
घ. कार्य की अनुमानित लागत	लगभग ₹9,50,000/- (नौ लाख पचास हजार मात्र) प्रति वर्ष सभी लागू करों सहित

<p>ड. बयाना राशि जमा (ईएमडी)</p>	<p>₹19,000/- (केवल उन्नीस हजार रुपये) NEFT या BG (जैसा कि परिशिष्ट D में है) के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में, भौतिक रूप में सम्पदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम – 695033 में 02 मार्च 2026 को 13:00 बजे से पहले जमा किया जाना चाहिए।</p> <p>₹19,000/- के EMD पेमेंट के लिए NEFT की जानकारी बेनिफिशियरी का नाम: ESTATE<space>SEWAGE TREATMENT PLANT<space>आपकी फर्म का नाम लाभार्थी खाता संख्या: 8614038 IFSC: RBIS0THPA01 (5 वां और 10 वां अंक शून्य है) टिप्पणी: एस्टेट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट</p> <p>लेन-देन संख्या और अन्य विवरण दर्शाता प्रेषण का प्रमाण ई-निविदा पोर्टल (MSTC) पर ई-निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।</p> <p>माइक्रो और छोटे उद्यम (एमएसई) के रूप में पंजीकृत फर्मों, जिनके पास उद्योग पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) है, को अर्जित धन जमा प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त किया गया है, बशर्ते वे उद्योग पंजीकरण संख्या का उल्लेख करता उद्योग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।</p>
<p>च. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि</p>	<p>02 मार्च 2026 को मध्याह्न 1:00 बजे तक</p>
<p>छ. एनआईटी / निविदा की तारीख पार्टियों के लिए आरबीआई वेबसाइट/एमएसटीसी पोर्टल पर देखने के लिए उपलब्ध है।</p>	<p>19 जनवरी 2026</p>
<p>झ. बोली-पूर्व बैठककी तारीख (ऑफलाइन)</p>	<p>16 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम- 695033 में।</p>
<p>त्र. एमएसटीसी पोर्टल www.mstcecommerce.com/eprocn पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तारीख</p>	<p>18 फरवरी 2026 को अपराह्न 6:00 बजे</p>
<p>ट. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख</p>	<p>02 मार्च 2026 को मध्याह्न 2:00 बजे</p>

ठ . भाग-। (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बिड) खुलने की तारीख और समय	02 मार्च 2026 को मध्याह्न 3:00 बजे
भाग-॥ (यानी मूल्य बोली) खोलने की तारीख और समय	भाग ॥ मूल्य बोली सिफ़र उन बोलीदाता के लिए खोली जाएगी जिनकी भाग ।: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली आरबीआई, तिरुवनंतपुरम को मंजूर होगी। भाग ॥: मूल्य बोली खोलने की तारीख सफल बोलीदाता को वैध ई-मेल से बताई जाएगी।
ड. लेनदेन शुल्क	जैसा कि लागू हो और एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा चार्ज किया गया हो। एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा निर्देशित अनुसार MSTC गेटवे / NEFT / RTGS के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान।
ढ. निविदा की वैधता	निविदा के भाग-। के खुलने की तारीख से 90 दिन और आपसी सहमति से वैधता का और विस्तार।

2. विक्रेता ध्यान दें कि नए एमएसटीसी पोर्टल का पथ है www.mstcecommerce.com → e-Procurement → Common Portal → Vendor Login।

3. जिन आवेदकों को निविदा जमा करने की इच्छा है, उन्हें आवश्यक पात्रता का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। अन्यथा, बैंक उनके प्रदर्शन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी परिस्थितियों में बिना EMD वाले निविदा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4. बैंक केवल कम मूल्य वाले निविदा को स्वीकार करने का बाध्य नहीं है। बैंक संपूर्ण या आंशिक रूप से निविदा को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना किसी कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

5. निविदा में किए जाने वाले सुधार / संशोधन, यदि भविष्य में जारी किया जाए, तो केवल आरबीआई /एमएसटीसी वेबसाइट पर सूचित किए जाएंगे और इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

**महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
(केरल और लक्षद्वीप)**



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम
(वेबसाइट: www.rbi.org.in)

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, तिरुवनंतपुरम ने इच्छुक पक्षों को परियोजना की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और मानता है कि यह उचित है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक, न ही इसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी, और न ही उसके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई अभिव्यक्त या निहित प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को स्वयं पूछताछ करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करते समय केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस परियोजना को आगे न बढ़ाने, परियोजना के स्वरूप में परिवर्तन न करने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी में परिवर्तन न करने, या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया में परिवर्तन न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक इस मामले में इच्छुक किसी भी पक्ष के साथ आगे चर्चा करने से इनकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है। इच्छुक व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम्

56 KLD कॉम्पैक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की दिन-प्रतिदिन संचालन और समग्र रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए ई-निविदा, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ कार्टर्स, तम्मलम, तिरुवनंतपुरम-695 012 में स्थापित है।

विषयसूची

क्रम संख्या	अनुभाग/अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ सं.
भाग I			
1	खंड I	ई-खरीद के लिए ज़रूरी निर्देश	9-14
2	खंड II	तकनीकी और मूल्य बोली के बारे में सामान्य निर्देश	15-21
3	खंड III	निविदा का प्रारूप	22-24
4	खंड IV	समझौते के लेख	25-49
5	खंड V	निविदा देने वालों के लिए सामान्य निर्देश और संविदा की खास शर्तें	50-60
6	खंड VI	व्याख्या खंड	61-66
7	धारा VII	नियम और शर्तें	67-70
8	धारा VIII	कार्य का विस्तृत दायरा	71-82
9	धारा IX	प्रस्तावना	83
10	खंड X	सुरक्षा कोड	84-85
11	धारा XI	अप्रि सुरक्षा कोड	86
12	अनुलग्नक ए	ग्राहक प्रमाणपत्र	87-88
13	अनुलग्नक बी	आपूर्तिकर्ता विवरण	89-90
14	अनुलग्नक सी	EMD भुगतान संदर्भ	91
15	अनुलग्नक डी	बयाना राशि जमा करने के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रारूप	92-93
16	अनुलग्नक ई	पिछले 5 सालों में किए गए इसी तरह के पात्र कामों की जानकारी	94
17	अनुलग्नक एफ	बायोडाटा फॉर्म	95
18	अनुलग्नक जी	किसी अनुसूचित बैंक से सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र	96
19	अनुलग्नक एच	बैंकों का विवरण	97
20	अनुलग्नक I	लेबर रूल्स/रेगुलेशन के खिलाफ एम्प्लॉयर को हर्जाना देने के लिए प्रोफॉर्मा	98
21	अनुलग्नक जे	कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक नियमों/नियमावली के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का प्रारूप	99-100
संदर्भ के लिए भाग II			
22	प्रारूप - I	मूल्य बोली	101-104



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ कार्टर, तम्मलम, तिरुवनंतपुरम-695 012 में स्थापित 56
के एलडी कॉम्पैक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दैनिक संचालन और व्यापक रखरखाव के
लिए वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए ई-निविदा

भाग-।
तकनीकी बोली

जमा करने की आखिरी तारीख:	02 मार्च 2026 (अपराह्न 2:00 बजे तक)
निविदा की वैधता:	निविदा के भाग-। के खोलने की तारीख से 90 दिन और आपसी सहमति से पात्रता का आगे विस्तार
बोली पूर्व बैठक (ऑफलाइन):	16 फरवरी, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे

खंड ।

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट कार्य है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण नोटिस और उसके बाद के संशोधन (यदि कोई हो) को ध्यान से पढ़ें और समझें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

क) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी।)

विशेष नोट: तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- 1) www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/ वीडियो/ पंजीकरण पर जाएं।
- 2) विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान की गई ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (RBI – केवल कार्यालय समय के दौरान):

सीनियर	नाम	ईमेल आईडी	संपर्क नंबर।
1)	श्री हरिदास पीजी, सहायक महाप्रबंधक	pgharidas@rbi.org.in ; estatethiro@rbi.org.in	फ़ोन: 0471 2783030
2)	श्री प्रसाद चोरगे, सहायक प्रबंधक	prasadchorage@rbi.org.in	फ़ोन: 0471 2783052
3)	श्री सुजीत एम, सहायक	sujithmu@rbi.org.in	फ़ोन: 0471 2783034

संपर्क व्यक्ति (MSTC Ltd) (सिर्फ़ कार्यालयीन समय में):

HO सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फ़ोन नंबर: 07969066600

फ़ोन नंबर: 07969066600

ईमेल: helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "HO Helpdesk" लिखें)

उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों जैसे ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड – केवल कार्यालय समय के दौरान):

नाम	ईमेल आईडी	लैंडलाइन नंबर	मोबाइल नहीं है।
श्री गणेश मूर्ति	bmtvcmstc@mstcindia.in	0471-2326686	09176616410
श्री संतोष राजेंद्रन	skrajendran@mstcindia.co.in ; tvcopn3mstcindia.in	0471-2326686	08884600700


केरल शाखा कार्यालय विवरण:

पता: पहली मंजिल, बीएसएनएल सीटीओ बिल्डिंग, केरल राज्य सचिवालय के सामने, महात्मा गांधी रोड, प्रतिमा, तिरुवनंतपुरम-695001	मेल आईडी: mstctvc@mstcindia.in	संपर्क: 0471-2326686
--	---	----------------------

मार्गदर्शक:

1. सिस्टम अनिवार्यता:

विवरण के लिए, विक्रेता <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकता है।



2. लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट: विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के विरुद्ध "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके / "ईवेंट कैटलॉग" में "लेन-देन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेन-देन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेन-देन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा।

लेनदेन शुल्क वापसी योग्य नहीं है। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं मिलेगी।

नोट: बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

3. निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

4. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

5. ई-निविदा में बोली लगाना:

नोट: विक्रेताओं को अनुदेश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए मार्फ मेनू में **दस्तावेज़ अपलोड करें** लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष ई-निविदा के लिए अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज किसी ई-निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के अनुदेशों का पालन करें।

- a) बोलीदाताओं आवश्यक है कि वे ईएमडी, ई-निविदा शुल्क, यदि कोई हो, जमा करें और ई-निविदा के लिए अलग से लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। यदि कोई लेनदेन शुल्क है तो वह वापस नहीं किया जाएगा।
- b) इस प्रक्रिया में तकनीकि वाणिजिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, तो ही वे अपनी तकनीकि वाणिजिक बोलियां और मूल्य बोलियां इंटरनेट के माध्यम से ही केवल एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्यूरमेंट → नया सामान्य पोर्टल → बोली फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क-> सामान्य शर्तें-> दस्तावेज संलग्न करें-> मूल्य बोली के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, विक्रेता को अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि दस्तावेज संलग्न करना और/या सामान्य शर्तें सहेजना चरण असफल होता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम हो जाएंगे। बोली स्थिति बटन में यह स्थिति प्रदर्शित की जाएगी कि यह सफल है या लंबित है।

- c) सबसे पहले विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश (अगर कोई हो) को भरना होगा और उसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को टेक्नो - कमर्शियल बोली भरनी चाहिए। टेक्नो - कमर्शियल बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी टेक्नो - कमर्शियल बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार जब टेक्नो - कमर्शियल बोली और मूल्य बोली दोनों सहेज ली जाती हैं, तो बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "फाइल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

- a) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना स्वयं का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

- b) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।
- c) ई-निविदा मंच पूर्व घोषित तिथि एवं समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।
- d) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने से आपूर्ति / कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे से आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार कहा जाएगा।
- e) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- f) क्रेता को बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- g) - निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।
- h) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा फ्लोर / निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रूपये में होनी चाहिए।

निविदा के भाग I के खोलने के बाद निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है। इस निविदा से होने वाला कोई भी ऑर्डर उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है। वे बोली लगाने से पहले प्रणाली से परिचित होने के लिए विक्रेता मार्गदर्शिका पढ़ें तथा www.mstcecommerce.com/eprocn पृष्ठ पर वीडियो देखें।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे 'वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट' पर जीएसटी के बिना दरें उद्धृत करें और जीएसटी सहित कुल लागत की गणना सिस्टम द्वारा की जाएगी। उद्धृत दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट

मूल्य बोली में शब्दों की संख्या सीमित होने के कारण पूर्ण विवरण नहीं दिया जा सका तथा दिया गया विवरण संक्षिप्त है। दरें उद्धृत करने से पहले सभी ठेकेदारों को इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दिए गए प्रत्येक आइटम का पूरा विवरण तथा अन्य विनिर्देश/नियम एवं शर्तें अवश्य पढ़नी चाहिए। निष्पादन एवं दर उद्देश्य के लिए, इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दिए गए विवरण को लागू किया जाएगा।

खंड - II

तकनीकी और मूल्य बोलियों के बारे में सामान्य निर्देश (केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के संदर्भ में पढ़ने के लिए)

1.1. भाग - I (तकनीकी निविदा)

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम कंपनियों/फर्म/एजेंसियों से दो हिस्सों में ई-टेंडर आमंत्रित करता है, जिनका उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, थमलम, तिरुवनंतपुरम-695 012 में स्थापित 56 केएलडी कॉम्पैक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दैनिक संचालन और समग्र रखरखाव की सुविधा प्रदान करना है, जिसकी अनुमानित लागत ₹9,50,000/- प्रति वर्ष है, जिसमें जीएसटी शामिल है।

1.2. निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड

जो कंपनी/फर्म/एजेंसी निम्नलिखित प्री-क्वालिफिकेशन मानदंडों को पूरा करती हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

क्र. म.	मानदंड	आवश्यकता
1	पिछले अनुभव की अवधि	ऐसी समान कार्यों को अंजाम देने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की दैनिक संचालन और व्यापक रखरखाव, उस महीने के पिछले महीने के आखिरी दिन तक। आवेदक को अपने ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण दिया हो। सूची में विवरण शामिल होना चाहिए जैसे ग्राहक का नाम, किए गए कार्य का मूल्य, कार्य शुरू और समाप्त होने की तारीख आदि। आवेदक को 5 वर्षों के न्यूनतम अनुभव का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
2	प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य (योग्य) का न्यूनतम मूल्य	पिछले 5 वर्षों में, जिनमें आवेदनों को आमंत्रित किए जाने वाले महीने के एक महीने पहले के महीने के अंतिम दिन तक, समान कार्यों* को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए: तीन समान कार्य* जिनमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का कम से कम 40% (अर्थात् ₹3,80,000/- प्रति वर्ष) हो, या दो समान कार्य* जिनमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत का कम से कम 50% (अर्थात् ₹4,75,000/- प्रति वर्ष) हो, या एक समान कार्य* जिसकी लागत अनुमानित लागत का कम से कम 80% (अर्थात् ₹7,60,000/- प्रति वर्ष) हो।
3	वार्षिक कारोबार	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष का वार्षिक कारोबार अनुमानित लागत (₹9,50,000/-) के बराबर होना चाहिए, अर्थात् 31 मार्च, 2025 तक। (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड बैलेंस शीट या CA से कारोबार पत्र आईटीआर की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

4	सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र	आवेदक के बैंक द्वारा जारी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना चाहिए, विशेष रूप से कार्य के उद्देश्य के लिए, जो अनुमानित लागत (₹9,50,000/-) के बराबर कम से कम राशि के लिए हो।
5.	सेवा सेट अप	निर्दिष्ट नौकरी के लिए केरल/नज़दीकी शहर/स्थान में पूरी तरह से सक्षम सेवा सेटअप उपलब्ध होना चाहिए, जहाँ से आवश्यक गुणवत्ता वाली सेवाएँ नियमित रूप से प्रदान की जा सकें।

* समान कार्यों का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का संचालन और रखरखाव है।

निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले ठेकेदारों को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी लिखित रूप में प्रदान करनी चाहिए और प्रासंगिक दस्तावेज बैंक को जमा करने चाहिए ताकि वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनकी पात्रता से संतुष्ट हो सकें, साथ ही निविदा फॉर्म जमा करना अनिवार्य है।

कृपया सेक्षण ॥ के पैरा 1.4 का संदर्भ लें।

1.3. कंपनी/फर्म/एजेंसी का विवरण

a) कंपनी/फर्म/एजेंसी के पूरे विवरण को विस्तार से प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि यह एक कंपनी है, तो कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन और अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि यह एक पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी (यदि कोई हो) और फर्म के सभी साझेदारों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है; और यदि यह एक एजेंसी या एकल स्वामित्व है, तो इसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, नाम(नाम) और पता(पते) आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

b) प्री-कालिफिकेशन मानदंडों में आवश्यकताओं के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण कार्य आदेशों, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी अन्य केंद्र के लिए कार्य करने के पूर्व अनुभव का विवरण, यदि कोई हो, और उससे संबंधित दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

c) आयकर आकलन आदेशों के साथ नवीनतम अंतिम आदेश और बैंकर्स से क्रेडिट योग्यता प्रमाण पत्र, और ठेकेदार के व्यवसाय के निर्दिष्ट खातों की प्रति, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित, अंतिम तीन वर्षों की क्रेडिट योग्यता और कारोबार का प्रमाण देने के लिए संलग्न किए जाने चाहिए।

d) बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी, जिसमें पूर्ण विवरण जैसे नाम, वर्तमान संपर्क डाक पते, ईमेल आईडी, टेलीफोन (कार्यकारी कर्मचारियों के लैंडलाइन और मोबाइल नंबर आदि) यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

1.4. जो दस्तावेज़ अपलोड किए जाने हैं:

(i) मूल दस्तावेज़ की स्कैन की हुई प्रति को ई- निविदा जमा करते समय 'mstcecommerce' पोर्टल के माध्यम से PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन अपलोड किया जाए (प्रत्येक फ़ाइल का आकार 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए):

- a) पिछले 3 लेखा वर्षों के लिए ऑडिटेड या सीए प्रमाणित खाते का विवरण।
- b) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर विभाग में दाखिल की गई आयकर रिटर्न।
- c) लागू कर पंजीकरण प्रमाणपत्र, जैसे कि PAN, GST आदि।
- d) संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी का पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- e) ई.पी.एफ. पंजीकरण प्रमाणपत्र और ई.एस.आई. पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- f) ठेकेदार के बैंकों द्वारा विशेष रूप से इस कार्य के लिए जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, जो अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए हो, ताकि ठेकेदार की वित्तीय मजबूती को दर्शाया जा सके।
- g) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस की प्रति।
- h) एमएसएमई फर्म के लिए एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- i) कार्यों के लिए ग्राहक-वार नाम, कार्य निष्पादन का वर्ष, आवंटित और वास्तविक लागत, जिन अधिकारियों/प्राधिकरणों/विभागों के तहत कार्य किए गए, उनके नाम और पूर्ण संपर्क विवरण प्रदान किए जाने चाहिए। ग्राहक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट A.pdf) में जमा करनी होगी।
- j) कार्य अनुभव से संबंधित सभी दस्तावेज, जिनके समर्थन में कार्य आदेश, पूर्णता प्रमाण पत्र और अन्य विवरण हों। (ऊपर 1.3 (b) देखें)
- k) प्राधिकरण पत्र/अधिकार पत्र, जिसमें कंपनी/फर्म/एजेंसी की मुहर लगी हो और जिसका नाम उन व्यक्तियों के नाम पर हो जो निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।
- l) कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो टेंडरदाता प्रदान करना चाहता है।
- m) कंपनी/फर्म/एजेंसी के बैंक खाता विवरण निर्दिष्ट प्रारूप (परिशिष्ट B) में।
- n) NEFT के माध्यम से EMD भुगतान विवरण (परिशिष्ट C)।
- o) टेंडरदाता को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह घोषणा की गई हो कि उन्हें किसी भी न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही किसी संगठन द्वारा किसी भी कारण से निलंबित/ब्लैकलिस्ट किया गया है। टेंडरदाता को इस संबंध में किए गए किसी भी कार्य में लंबित किसी भी नागरिक मुकदमे का विवरण भी प्रदान करना होगा।
- p) तथ्यों/जानकारी को छुपाना और उसके बाद इसका पता चलना/गलत जानकारी का प्रस्तुतीकरण/जाली दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण अनुबंध को रद्द करने / बोली को तुरंत अस्वीकार करने का कारण बन सकता है।

1.5. आवेदन करने का इरादा रखने वाले आवेदकों को बैंक को यह संतुष्ट करना होगा कि उन्होंने आवश्यक पात्रता रखने के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, और यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो बैंक उनके उम्मीदवार होने को अस्वीकार सुरक्षित रखता है।

1.6. इच्छुक निविदाकार को ₹19,000/- (सिर्फ उन्नीस हजार रुपए) की राशि में अनुमानित लागत का 2% ईएमडी (Earnest Money Deposit) जमा करना होगा, जिसे ईएमडी के रूप में जमा किया जाएगा और इसे NEFT के माध्यम से ESTATEIFMS<space>आपकी कंपनी/एजेंसी/फर्म का नाम के पक्ष में खाता संख्या 8614038 & IFSC: RBISOTH0PA01 में जमा करना होगा, और यह एनआईटी में दिए गए तारीख से पहले किया जाना चाहिए।

1.7. जिन बोलियों के साथ निविदा में निर्धारित बयान जमाराशि (Earnest Money Deposit) संलग्न नहीं होगी, उन्हें गैर-विश्वसनीय टेंडर माना जाएगा और किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज (MSEs) के रूप में पंजीकृत फर्मों, जिनके पास उद्योग पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार मेमोरेंडम संख्या) है, ईमानदार जमा राशि जमा करने की आवश्यकता से मुक्त हैं, बशर्ते कि वे उद्योग प्रमाणपत्र (Udyam Certificate) जमा करें जिसमें उद्योग पंजीकरण संख्या का उल्लेख हो।

1.8. किसी भी परिस्थिति में ईएमडी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

1.9. यदि बोलदाता निविदा की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है या अनुबंध या कार्य का आवंटन निष्पादित करने में विफल रहता है, तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

1.10. सफल बोलदाता की ईएमडी (Earnest Money Deposit) को अनुबंध की अवधि तक सुरक्षा जमा के रूप में रखा जाएगा, बैंक इस पर कोई ब्याज नहीं देगा। असफल बोलदाताओं की ईएमडी बिना किसी ब्याज के अनुबंध प्रदान किए जाने पर लौटाई जाएगी। यदि बोलदाता निविदा की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है, तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

1.11. सफल बोलदाता को अनुबंध की सभी शर्तों और नियमों को शामिल करते हुए एक समझौता करने की आवश्यकता होगी, जो कि पुरस्कार पत्र जारी होने की तिथि या कार्य प्रारंभ होने की तिथि, जो भी पहले हो, से दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। यदि सफल बोलदाता निर्धारित अवधि के भीतर औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या नियत तारीख को कार्य प्रारंभ करने में असफल होता है, तो कार्य प्रदान करने वाला पत्र रद्द माना जाएगा और जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, बैंक ऐसे व्यक्तियों / एजेंसियों / कंपनियों को बैंक में किसी भी निविदा में भाग लेने या किसी भी कार्य को करने से तीन वर्षों की अवधि के लिए वंचित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले, बैंक ऐसे बोदरों को कारण दर्शने के लिए सात दिन का नोटिस (SCN) दे सकता है और SCN को प्रस्तुत किसी भी उत्तर पर विचार करके ही व्यक्ति / एजेंसी / कंपनी को वंचित करने का अंतिम निर्णय लेगा। इस संबंध में जनरल मैनेजर (अधिकारी-प्रभार) (केरल और लक्ष्मीप) का निर्णय अंतिम होगा।

1.12. बोदर को सभी संबंधित दस्तावेज, रिपोर्ट और अन्य विवरण जो निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं, उन्हें निविदा सबमिशन की नियत तिथि के भीतर प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, बैंक को किसी भी या सभी बोदरों से स्पष्टीकरण, प्रमाण पत्र, रिपोर्ट या कोई अन्य संबंधित जानकारी मांगने का अधिकार सुरक्षित है, जो पात्रता मानदंड का हिस्सा होगी, यहां तक कि निविदा सबमिशन की नियत तिथि के बाद भी। बोल पार्ट करने वाला बैंक द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर इसे जमा करेगा, जिसके बिना बैंक बोल पार्ट करने वाले को अयोग्य मानने के लिए बाध्य होगा।

1.13. निविदा जमा करने से पहले, बोल पार्ट करने वाला सामान्य नियम और शर्तों, कार्य की सीमा और सभी अन्य निर्देशों को देख सकता है, जिन पर बैंक के द्वारा कार्य आवंटित किया जाएगा और जिसे सफल बोल पार्ट करने वाले द्वारा निष्पादित करना आवश्यक होगा। बोल पार्ट करने वाले को निर्दिष्ट पात्रता और अन्य मानदंडों के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य नियम और शर्तों संकेतात्मक प्रकृति की हैं और ये बैंक को इससे रोकेंगी नहीं कि वह टेंडर करने वाले पर और अन्य नियम और शर्तों को लागू करने या उनसे सहमत होने के लिए कहे, या उन नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या हटाने के लिए कहे, जैसा कि इस टेंडर के अंतर्गत दिए जा रहे कार्य के उचित और सही निष्पादन के लिए आवश्यक माना जाता है।

2. भाग-II (मूल्य बोली)

निविदा का भाग-II किसी भी शर्त को नहीं रखेगा, बल्कि केवल निविदाकार की मूल्य प्रस्तुति होगी और इसे भाग-I निविदा की शर्तों की पूरी पूर्ति के बाद ऑनलाइन खोला जाएगा। यदि भाग II में किसी भी प्रकार के शर्तों और तकनीकी विचलन में परिवर्तन पाया जाता है, तो उसे ध्यान में नहीं लिया जाएगा और शून्य और शून्य माना जाएगा।

I. स्थिर घटक:

A) सीवेज टीटमेंट प्लांट के दिन-प्रतिदिन संचालन और रखरखाव के लिए तैनात प्लांट ऑपरेटर की न्यूनतम मजदूरी (छुट्टियों सहित) (जिसमें न्यूनतम मजदूरी + परिवर्ती DA शामिल है), EPF @13%, ESI और न्यूनतम बोनस 8.33% के अनुसार) GOI द्वारा तय योग्यता मापदंडों के अनुसार।

II. परिवर्तनशील घटक:

a) अतिरिक्त वेतन, यदि कोई ठेका देने वाला अत्यधिक कुशल तकनीशियन को न्यूनतम मजदूरी आदि के अतिरिक्त दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए तैनात करने का इच्छुक है, आवश्यक प्रकार और मात्रा में सफाई सामग्री, उपकरण, उपभोग्य सामग्री, सुरक्षा सहायक उपकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) / सहायक उपकरण आदि प्रदान करना, श्रमिक मुआवजा नीति, तीसरे पक्ष की जिम्मेदारी सहित सभी जोखिम नीति प्राप्त करना और प्रस्तुत करना, वर्दी, ओवरहेड शुल्क, आकस्मिक शुल्क आदि।

b) स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुओं की लागत: स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुओं की लागत का अर्थ है मरम्मत करने के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति, संचालन में आवश्यक मूलभूत उपभोग्य वस्तुओं की आपूर्ति, जैसे कि रसायन, क्लोरीन, एलम, गुड़, वेस्ट, कैलिको कपड़ा, ग्रीस, पेट्रोलियम जैली, इंसुलेशन टेप आदि, मशीनरी, उपकरण, मलबे उठाने की लागत और सभी अन्य आकस्मिक खर्च।

सभी स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएँ केवल बैंक के अधिकृत अधिकारियों की लिखित मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। बोलीदाताओं की पुराने साइट से किसी भी उपभोग्य वस्तु का उपयोग कड़ाई से प्रतिबंधित है और यदि सफल बोलीदाता बाद में ऐसा करते पाए जाते हैं, तो बैंक सुरक्षा जमा राशि जब्त कर सकता है, दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है और/या 07 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है।

c) NABL/PCB द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से शुद्ध जल की गुणवत्ता का परीक्षण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शुद्ध जल संबंधित IS कोड/गाइडलाइन के मानक मानकों के अनुसार है, त्रैमासिक आधार पर।

2.1. ठेकेदार द्वारा मूल्य बोली में प्रस्तुत किया गया उद्धरण फर्म और अंतर्निहित होगा और बैंक अनुबंध की अवधि के दौरान मात्र वेतन की दो घटकों, यानी केवल मूल दरों और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA), में बदलाव की स्थिति को छोड़कर, ठेकेदार द्वारा दरों में संशोधन के दावे को स्वीकार नहीं करेगा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत घोषित किया गया है। मासिक संविदा राशि में ऐसी वृद्धि की मात्रा, मासिक करत्वों के अनुपात में, केवल मूल दरों और परिवर्ती महंगाई भत्ता (VDA) में वृद्धि तक सीमित होगी और किसी अन्य घटक जो वेतन या भत्ता का हिस्सा हैं और कानूनी प्रकृति के हैं जैसे EPF, ESI, बोनस आदि, जो मूल दरों और/या परिवर्ती महंगाई भत्ता (VDA) पर निर्भर हैं, उन्हें बैंक द्वारा मासिक संविदा राशि में संशोधन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार को इन कानूनी घटकों की संभावित वृद्धि को, मूल दरों और VDA के अलावा, ध्यान में रखते हुए अपने सर्वोत्तम दरें प्रस्तुत करनी होंगी ताकि ये अतिरिक्त लागतें मूल्य बोली के तहत समाहित की जा सकें। इस मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

2.2. कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों से सभी वैधानिक कटौतियां, जहां लागू हों, की जाएंगी। इसलिए, मूल्य निविदा सभी शामिल होगी। स्थायी घटक में शामिल वैधानिक कटौतियां जैसे कि EPF, ESI आदि केवल दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की जाएंगी।

2.3. उन निविदाकर्ताओं की निविदाएँ जो किसी भी घटक के मूल्य बोली में जानबूझकर या गलतीवश अनुचित कम बोली लगाने का सहारा लेते हैं, अयोग्य घोषित की जाएंगी और ऐसे निविदाकर्ता, चाहे पात्र बोली में सबसे कम प्रस्ताव क्यों न देते हों, अहं निविदाकर्ताओं में सफल निविदाकर्ता के रूप में चयन के लिए विचार नहीं किए जाएंगे। बैंक उनके दर विश्लेषण/विभाजन और टिप्पणियाँ बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा में मांग सकता है। हालांकि, यदि कुल अनुबंध

राशि कर्मचारी श्रेणी के लिए न्यूनतम वेतन और संबंधित वैधानिक घटकों का भुगतान करने के लिए भी अपर्याप्त पाई जाती है, तो इसे संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसे निविदाकर्ता, चाहे पात्र बोली में सबसे कम प्रस्ताव क्यों न देते हों, अर्ह निविदाकर्ताओं में सफल निविदाकर्ता के रूप में चयन के लिए विचार नहीं किए जाएंगे। ऐसे अयोग्यता के संबंध में बैंक का निर्णय निविदाकर्ताओं के लिए बाध्यकारी और अंतिम होगा।

2.4. मूल्य बोली में कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा नियुक्त कर्मियों को प्रदान किए जाने वाले यूनिफॉर्म, जूते, पहचान पत्र और सुरक्षा उपकरण की लागत शामिल होनी चाहिए।

2.5. मूल्य बोली में केवल भारतीय रूपये में अंक और शब्दों में भरी कीमत शामिल होनी चाहिए और कोई भी शर्त इसे अस्वीकार के लिए पात्र बना सकती है।

2.6. मूल्य बोली का सभी पहलुओं में पूर्ति बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की जानी चाहिए।

3. निविदा को खोलना

निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, खंड-। में वर्णित निविदा उद्घाटन के लिए।

3.1. **निविदा की वैधता:** निविदा और मूल्य प्रारंभ में, भाग-। के उद्घाटन की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेंगे, जिसे आगे आपसी लेखी सहमति से बैंक और निविदाकर्ता द्वारा बढ़ाया जा सकता है, और इस अवधि के दौरान निविदाकर्ता निविदा रद्द या वापस नहीं करेगा या उद्धृत दरों में परिवर्तन नहीं करेगा।

3.2. जिन निविदा दस्तावेजों में निविदा फॉर्म में निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं किया गया है, उन्हें संक्षेप में अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3.3. शर्तीय बोलियाँ भी संक्षेप में अस्वीकृत कर दी जाएँगी।

3.4. केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की पार्ट-॥ (मूल्य बोली) खोली जाएगी जो तकनीकी बोली (पार्ट-।) में योग्य पाए जाते हैं, और इसके लिए योग्य निविदाकर्ताओं को बाद में सूचना दी जाएगी।

3.5. बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना किसी कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

सूचना: सभी निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि भविष्य में यदि निविदा में कोई संशोधन / सुधार जारी किया जाता है, तो इसकी सूचना केवल आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट और MSTC ई-कॉर्मस वेबसाइट पर दी जाएगी, जैसा कि ऊपर उल्लेख है, और इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

खंड - III

निविदा का फॉर्म

महाप्रबंधक
 (प्रभारी अधिकारी)
 केरल और लक्ष्मीप के लिए
 भारतीय रिज़र्व बैंक
 बेकरी जंक्शन
 तिरुवनंतपुरम - 695033

तारीख:

महोदय/महोदया,

हमने सावधानीपूर्वक उस ज्ञापन में वर्णित कार्यों से संबंधित विशिष्टाओं, कार्य के दायरे और मात्रा अनुसूची की जाँच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की साइट का दौरा किया और उसका निरीक्षण किया है तथा उससे संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की है जो निविदा को प्रभावित करती है। हम यहाँ प्रस्ताव देते हैं कि हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, निविदा के भाग ॥ में उल्लिखित दरों पर और सभी पहलुओं में उस प्रकार से निष्पादित करेंगे जैसे कि अनुबंध के अनुच्छेदों, निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों, पूर्वोक्त शर्तों, विशिष्टाओं, मात्रा अनुसूची के अनुसार, और ऐसे पदार्थों के साथ जैसे कि प्रदान किए गए हैं, और सभी अन्य पहलुओं में, लागू होने की स्थिति में, उक्त शर्तों के अनुसार।

ज्ञापन

(ए)	कार्यों का विवरण	दिन-प्रतिदिन संचालन और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, तम्मलम, तिरुवनंतपुरम-695 012 में स्थापित 56 केलडी कॉम्पैक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के व्यापक रखरखाव के लिए एमसी। नोट: कृपया कार्य के विस्तृत दायरे के लिए खंड VII। देखें।
(बो)	कार्य की अनुमानित लागत	₹9,50,000/- प्रति वर्ष (सभी करों सहित)
(सो)	EMD के भुगतान का तरीका	धारा ॥ की उपधारा 1.6 के अनुसार (तकनीकी और मूल्य बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश)
(डो)	बयाना राशि	₹19,000/- (केवल उन्तीस हजार रुपये) (कुल अनुमानित कार्य लागत का 2%). माइक्रो और लघु उद्यम (MSEs) के रूप में पंजीकृत फर्में जिनके पास उद्योग पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार मेमोरेंडम संख्या) है, ईमानदारी जमा (Earnest Money Deposit) जमा करने की आवश्यकता से मुक्त हैं, बशर्ते कि उद्योग पंजीकरण संख्या का उल्लेख करते हुए उद्योग प्रमाणपत्र (Udyam Certificate) प्रस्तुत किया जाए।
(इ)	अनुबंध को वेधता	एक वर्ष (आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट में उल्लिखित शर्तों और उचित प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक नवीनीकरण के लिए)

2. हम यह प्रतिशा करते हैं कि हम ₹19,000/- (केवल उन्नीस हजार रुपये) की राशि को भारतीय रिज़र्व बैंक में जमानत राशि के रूप में NEFT / अनुसूचित बैंक द्वारा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा करेंगे, जो भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में जारी की गई हो।

3. हम यह भी सहमत हैं कि हमारा टेंडर बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए टेंडर के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए मान्य रहेगा और इस वैधता की अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमति के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

4. मैं / हम यह भी सहमति देते हैं कि वैधता अवधि या किसी अन्य विस्तारित अवधि के दौरान इसके नियमों और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम यह भी सहमत हैं कि टेंडर की पूरी वैधता अवधि के लिए सुरक्षा जमा के रूप में ईएमडी को वैध बनाए रखें या टेंडर / अनुबंध की पूरी वैधता अवधि के लिए रिज़र्व बैंक में सुरक्षा जमा रखें।

5. यदि यह टेंडर स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इस बात के लिए सहमति व्यक्त करते हैं कि टेंडर की सभी लागू शर्तों का पालन करेंगे और यदि ऐसा न हुआ तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को उन धनराशियों का भुगतान करेंगे और उनका हर्जाना देंगे जो टेंडर में वर्णित शर्तों के अनुसार निर्धारित हैं, साथ ही अनुबंध की लिखित स्वीकृति भी देंगे।

6. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक को न्यूनतम बोली या किसी भी टेंडर को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, और इसके लिए उन्हें कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने/हमने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ₹ 19,000/- की ब्याना जमाराशि (Earnest) की है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि हमें अनुबंध निष्पादित करने में विफलता होती है, तो हम सहमति व्यक्त करते हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

7. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी वाणिज्यिक शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में केवल बैंक के प्रारूप में मूल्य बोली शामिल है।

हमारी फर्म/कंपनी के साझेदारों के नाम हैं:

फर्म के भागीदार/निदेशक का नाम जिसे हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त है या/	
उस व्यक्ति का नाम जिसके पास संविदा पर हस्ताक्षर करने की मुख्तारनामा है (मुख्तारनामा की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न करनी चाहिए)	

भवदीय,

ठेकेदार के हस्ताक्षर

तारीख:

साक्षी:

(1) _____

(हस्ताक्षर)

(2) _____

(हस्ताक्षर)

नाम

नामः

पता

पताः

दिनांक:

दिनांकः

खंड IV/ SECTION IV

करार की शर्तें/ Articles of Agreement

यह करार तिरुवनंतपुरम में दिनांक _____, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक निगम निकाय है, जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है, और त्रिवेंद्रम में एक कार्यालय है, द्वारा अधिकृत अधिकारी महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम -695033 (जिसे आगे "नियोक्ता"/"बैंक" कहा जाएगा) के एक पक्ष और (स्वामित्व/साझेदारी फर्म/कंपनी/एजेंसी), कंपनियों के अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित (यदि कम्पनी है) और जिसका पंजीकृत कार्यालय (जिसे आगे "संविदाकार" कहा जाएगा) है, द्वारा श्री के माध्यम से जो अपनी निदेशक मंडल द्वारा इस करार में प्रवेश करने के लिए अधिकृत है, के दूसरे पक्ष के बीच निष्पादित किया गया है।

This AGREEMENT is made at Thiruvananthapuram on this day of _____, 2026 between Reserve Bank of India, a statutory body established under the Reserve Bank of India Act, 1934, having its Central Office at Mumbai, and one of its Offices at Thiruvananthapuram, represented by its authorized officer General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Bakery Junction, Thiruvananthapuram-695033 (hereinafter called "**the Employer**"/ "**the Bank**" on the one part and (proprietorship/partnership firm/Company/Agency), incorporated under the provisions of the Companies Act (in case of a Company) and having its registered office at (hereinafter called "**the Contractor**") represented by Shri who is authorized to enter this agreement by its Board of Directors on the other part.

और जबकि नियोक्ता की इच्छा ठेकेदार से भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टाफ कार्टर्स, तम्मलम, तिरुवनंतपुरम-695 012 में स्थापित 56 KLD कॉम्पैक्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दिन-प्रतिदिन का संचालन और व्यापक रखरखाव करना है।

AND WHEREAS the Employer has the intention of engaging the Contractor to provide AMC for day-to-day Operation and Comprehensive Maintenance of 56 KLD Compact Sewage Treatment Plant installed at Reserve Bank of India Staff Quarters, Thamalam, Thiruvananthapuram-695 012.

और जहां ठेकेदार ने उन शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की है जो यहां निर्धारित की गई हैं और विशेष शर्तों और करार की शर्तों में निर्धारित की गई हैं और बाद में आपसी सहमति से किए गए परिवर्धनों/कमी से स्पष्ट रूप से और निहित रूप से सहमति के अनुसार, और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) की स्वाभाविकता से, जिन सभी को यहां सामूहिक रूप से "शर्तें" कहा जाता है, उन कार्यों को करने के लिए जिनका वर्णन एएमसी दर पर किया गया है, जो इस करार के तहत देय होगा (जिसे यहां एएमसी संविदा राशि कहा गया है)।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon and subject to the conditions set forth in the Conditions set forth herein and to the Conditions set forth in the Special Conditions and in Conditions of Contract and as amplified /curtailed by subsequent additions/deletions mutually agreed upon, originally agreed both expressly and impliedly

and also naturally flowing out of the nature of Annual Maintenance Contract (AMC) (all of which are collectively hereinafter referred to as the said "Conditions") the works described in the said scope of work at the AMC rate as shall become payable thereunder (hereunder referred to as the said AMC contract amount).

**A. अब इस पर निम्नलिखित सहमती व्यक्त की जाती है:
NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:**

1. यह करार 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेगा और यह दोनों पक्षों की आपसी सहमति के अधीन प्रति वर्ष, दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा संतोषजनक सेवाएँ प्रदान की जाएं और जब तक इसे नीचे वर्णित शर्तों के अनुसार पहले समाप्त नहीं किया जाता। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

This agreement will come into effect from April 01, 2026 and will remain in force up to March 31, 2027 and is annually extendable up to two more years, subject to mutual consent of both parties, on satisfactory services being rendered by the Contractor and unless it is terminated earlier as per the terms hereinafter contained. The decision of the Bank in this regard will be final.

2. उक्त वार्षिक रखरखाव संविदा की राशि के विचार में जो कि उक्त शर्तों/ वार्षिक रखरखाव संविदा पुरस्कार पत्र में उल्लिखित तरीके से अदा की जानी है, ठेकेदार उन शर्तों के अधीन उक्त कार्य क्षेत्र में वर्णित कार्य को पूरा और निष्पादित करेगा।

In consideration of the said AMC contract amount to be paid in the manner set forth in the said conditions/AMC Award Letter, the Contractor shall upon and subject to the said conditions execute and complete the work described in the said scope of work.

3. बैंक ठेकेदार को निर्धारित शर्तों में निर्दिष्ट समयों और तरीके से संविदा की राशि का भुगतान करेगा।
The Bank shall pay the Contractor the said contract amount at the times and in the manner specified in the said conditions.

4. बैंक स्रोत पर कर (TDS) की कटौती उचित दर पर आय कर विभाग और जीएसटी विभाग के समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार करेगा, और किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत होने वाली अन्य कटौतियों के लिए भी, और संबंधित अधिनियम में निर्दिष्ट तरीके से समय सीमा के भीतर उचित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ठेकेदार पर होगी, इससे पहले कि बैंक द्वारा उस कर और अन्य कटौती की जा रही हो। बैंक की ओर से प्राधिकृत प्राधिकारी उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक, संपदा विभाग, तिरुवनंतपुरम है।

The Bank shall deduct Tax at Source (TDS) at the appropriate rate as per extant guidelines of the Income Tax department and GST department, provided from time to time and such other deduction under any other statute and the onus of producing appropriate certificate for non-deduction as provided in the relevant statute by way of intimation within the time limit and before such tax and other such deduction is being made by the Bank shall be on the Contractor. The Deputy General Manager/Assistant

General Manager, Estate Department, Thiruvananthapuram is the Authority authorized on behalf of the Bank.

5. वार्षिक रखरखाव संविदा प्रदान पत्र, करार और यहाँ उल्लिखित दस्तावेज़ संविदा का आधार बनेंगे।
The AMC award letter, agreement and document mentioned herein shall form the basis Contract.

6. संविदा का नवीनीकरण समान शर्तों और परिस्थितियों पर होगा। निविदा दस्तावेज़ में निहित शर्तों और परिस्थितियाँ तथा जारी किया गया कोई भी स्पष्टीकरण (सुधार) इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। वार्षिक रखरखाव संविदा नवीनीकरण के दौरान, वार्षिक रखरखाव संविदा राशि में अधिकतम अनुमत वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर होगी, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है।

The renewal of the contract shall be on the same terms and conditions. The terms and conditions contained in the tender document and any clarifications (corrigenda) issued shall be treated as part and parcel of this agreement and shall be binding on the parties. During the annual renewal of the AMC, the maximum permissible increase in AMC amount will be based on increase in Consumer Price Index as decided by the Bank.

7. संविदा को अधिकतम दो वर्षों के लिए उसी शर्तों और नियमों पर आगे नवीनीकरण के लिए विचार में लिया जा सकता है, बशर्ते कि बैंक ठेकेदार की सेवाओं को संतोषजनक पाए और यदि बैंक ऐसा चाहता है। नवीनीकरण के दौरान, जब भी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत मुख्य आयुक्त (केंद्र सरकार) द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, तो कर्मचारियों की तैनाती के लिए वृद्धि दी जाएगी।

The contract could be considered for further renewal for a maximum of two years on the same terms and conditions, provided the Bank finds the services of the Contractor satisfactory and if the Bank desires so. Also, during renewal, escalation/increase will be given for deployment of workers whenever the notification issued by Chief Commissioner (Central Government) under the provision of Minimum Wages Act 1948.

8. ₹ _____ (रुपये _____ केवल) की सहमति शुल्क में कार्य की परिधि और संविदा की शर्तों के अनुसार सेवा के प्रभावी प्रदर्शन के लिए उपयोग की गई मानव शक्ति और सामग्री दोनों शामिल होंगे और यह ठेकेदार द्वारा बिल/बीजक प्रस्तुत करने के अधीन महीने के आधार पर देय होंगे। इसके लिए भुगतान तभी किया जाएगा जब इसे बैंक के अधिकारियों द्वारा इस प्रभाव में सही तरीके से प्रमाणित किया गया हो कि सेवाएं संतोषजनक रूप से प्रदान की गई हैं, वैधानिक कटौतियों के अधीन।

The agreed charges of ₹ _____ (Rupees _____ only) will be inclusive of both manpower and materials used for efficient rendering of service as per the scope of work and terms and conditions of the contract and shall be payable on monthly basis subject to submission of bill/invoice by the Contractor. The payment thereon will be made after the same is duly certified by the Bank's officials to the effect that the services have been provided satisfactorily, subject to statutory deductions.

9. उपरोक्त शुल्क निश्चित हैं और श्रम की स्थितियों, विनिमय परिवर्तनों या किसी अन्य स्थिति के अधीन नहीं हैं।

The above charges are firm and not subject to labour conditions, exchange variations

or any other condition whatsoever.

10. उपरोक्त शुल्कों में जीएसटी, बीमा शुल्क, किसी अन्य कर और शुल्क या अन्य उपकर शामिल नहीं हैं, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए हो।

The above charges exclude GST, Insurance charges, any other tax and duty or other levy, whether existing or levied in future by the Central Government or the State Government or any local authority.

11. ठेकेदार नियमित आधार पर कार्य के क्षेत्र और करार की शर्तों और नियमों के अनुसार सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

The Contractor shall be responsible for providing services on regular basis as per the scope of work and terms and conditions of the contract.

12. भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यों की देखरेख और प्रशासन का प्रबंधन करेगा जिसमें बैंक के कर्मचारियों के माध्यम से बिलों का प्रमाणन, भुगतान करना और करार की विभिन्न शर्तों, स्थितियों और प्रावधानों का कार्यान्वयन, कार्य का निष्पादन, कार्य की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, करार की प्रगति और पूर्णता शामिल है।

The Reserve Bank of India will administer and arrange for supervision of works through the Bank's staff including certification of bills, making payments and implementation of various terms, conditions and stipulations of the contract, execution of the work, quality of work, quality of materials, progress and completion of the contract.

B. ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

SERVICES TO BE RENDERED BY THE CONTRACTOR

1. उक्त शर्तें और इसके साथ संलग्न पत्राचार इस करार का हिस्सा माना जाएगा और इस करार में शामिल पक्षों को संबंधित रूप से उन शर्तों और पत्राचारों का पालन करना पड़ेगा और उन शर्तों और पत्राचारों के अनुसार अपनी ओर से करार को पूरा करना होगा।

The said conditions and the correspondence attached hereto shall be read and construed as forming part of this Agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said conditions and the correspondence and perform the agreements on their part respectively as per the said conditions and the correspondence contained therein.

2. यह संविदा एक निश्चित संपूर्ण राशि की संविदा है, जो अनुच्छेद VIII में विस्तृत कार्य सीमा के अनुसार कार्य करने के लिए है, जिसे संविदा (भाग II) की वित्तीय बोली में शामिल किया गया है।

This Contract is a fixed lump sum contract, to carry out the work according to the scope of work detailed in **Section VIII**, at the rates contained in the Price Bid of the Tender (Part II).

3. ठेकेदार मुख्य कार्यालय भवन और उसके अधिकारियों और कर्मचारी निवासों में नियुक्त सभी कर्मचारियों की एक पूरा और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

The Contractor shall provide a complete and updated list of the personnel deployed in

the Reserve Bank of India Staff Quarters, Thamalam.

4. संविदा प्रदान के 20 दिनों के भीतर, ठेकेदार को ऊटी पर लगाने से पहले, सभी कर्मियों के नाम, उम्र और स्थायी पते से संबंधित विवरण, साथ में एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर प्रस्तुत करनी होगी।

Within 20 days of award of contract, the Contractor has to furnish details of all its personnel relating to name, age and permanent address, along with a passport size photograph before engaging them for duty.

5. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्तियों को तैनात किया जाए, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और जो किसी भी पुरानी या संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त न हों जो उनके कार्य को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता को बाधित कर सकती हैं। ठेकेदार 18 वर्ष की आयु से कम किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा।

The Contractor shall ensure that trained and competent persons are deployed, who are physically fit and that they are not suffering from any chronic or contagious diseases that may hamper their ability in carrying out the work efficiently. The contractor shall not employ any person below the age of 18 yrs.

6. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी श्रमिक या कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारियों के रूप में माने जाएंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों के संबंध में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं रखेगा।

All the workers or employees deployed by the contractor shall be considered as the employees of the Contractor and Reserve Bank of India shall not have any liability whatsoever in nature in regard to such workers/employees.

7. ठेकेदार इस करार के तहत बैंक द्वारा आवश्यक सेवाएँ देने के लिए नियोजित व्यक्तियों को वेतन, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और अन्य कानूनी बकाया के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा।

The contractor shall be responsible and liable for payment of salaries, statutory minimum wages and other legal dues to the persons who are employed for the purpose of rendering the services required by the Bank under the agreement.

8. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित कर्मचारियों को वेतन/वेतन का भुगतान समय पर चेक या बैंक खाते में जमा करके किया जाए और वेतन/वेतन नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए, हर महीने नियोक्ता को प्रमाण पत्र और ऐसे भुगतान और कानूनी आवश्यकताओं जहाँ भी लागू हो, जैसे कि EPFO, ESIC आदि के लिए जमा दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करना होगा, इसके अतिरिक्त, ठेकेदार हर महीने एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा कि विभिन्न श्रम कानूनों और संविदा श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत सभी दायित्वों का पालन किया जा रहा है। बैंक को ठेकेदार से वेतन/वेतन के भुगतान के विवरणों की सत्यता के लिए बैंक स्टेटमेंट मांगने का अधिकार होगा और ठेकेदार से श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज़ की मांग करने का अधिकार भी होगा।

The contractor shall ensure timely payment of wages/salary to the workers persons employed by him through cheque or by credit to bank account and a certificate to the effect that the salaries/wages are being paid regularly shall be furnished to the Employer every month along with documentary proof of such payment and of statutory fulfilments

i.e. deposit to EPFO, ESIC, etc wherever applicable. Further, the Contractor shall furnish a certificate every month to the effect that all the obligations under the various Labour Laws and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, are complied with. The Bank will have the right to ask for bank statements from the contractor to verify the details of wages/salary paid by the Contractor and will also have the right to demand any other documents which are required to ascertain compliance by the contractor to various provisions of the Labour Laws.

9. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के तहत बैंक द्वारा आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के लिए काम पर रखे गए सभी व्यक्तियों का बीमा IRDAI द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनी के साथ हो, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति या जानवर या अन्य चीजों को हुए किसी भी चोट या नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जो बैंक में कार्य करार पूरा करने के कारण हो सकता है।

The Contractor shall ensure that all persons employed for the purpose of rendering the services required by the Bank under this agreement are insured with an IRDAI recognized insurance company, for which no extra payment will be made by the Bank. The Contractor shall be solely responsible for any injury or damage to any persons or animals or any other things arising due to deployment in the Bank for executing the work contract.

10. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी, बैंक के परिसर में या इस करार के तहत अपने कार्यों को अंजाम देते समय, बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करें और बैंक एकमात्र निर्णायक होगा कि क्या ठेकेदार और/या उसके कर्मचारी ने उक्त मानकों का पालन किया है या नहीं। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए जिम्मेदार होगा और यदि बैंक द्वारा किसी भी शिकायत की जाती है, तो ठेकेदार ऐसे कर्मचारियों को बैंक के परिसर में तैनात नहीं करेगा।

The Contractor shall ensure that all employees, while in the premises of the Bank or while carrying out their obligations under this agreement, observe the standards of cleanliness, decorum, safety, good behaviour and general discipline as laid down by the Bank or its authorized agents and the Bank shall be the sole judge as to whether or not the Contractor and/ or his employees have observed the same. The Contractor shall be responsible for the good behaviour and conduct of his employees and in case of any complaints by the Bank, the Contractor shall not employ such employees in the Bank's premises.

11. ठेकेदार को सभी कर्मचारियों के कार्य का व्यक्तिगत और विशेष रूप से पर्यवेक्षण करना होगा ताकि इस समझौते के तहत प्रदत्त सेवाएँ बैंक की सर्वोत्तम संतोषजनकता के अनुसार पूरी हो सकें।

The Contractor shall personally and exclusively supervise the work of all the employees so as to ensure that the services rendered under this agreement are carried out to the best satisfaction of the Bank.

12. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार के कोई भी कर्मचारी बैंक की संपत्ति में निर्दिष्ट समय सीमा के बाद नहीं प्रवेश करेंगे या नहीं रुकेंगे, जब तक बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ और ठेकेदार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक न हो।

The Contractor shall ensure that no employees of the Contractor will enter or remain on the Bank's premises beyond the specified time limits unless and absolutely necessary

and for fulfilling Contractor's obligations and with the prior approval of the Bank.

13. ठेकेदार बैंक या इसके परिसर या इसके किसी भाग या इसके किसी उपकरण या फिटिंग या बैंक की किसी संपत्ति को ठेकेदार या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी कार्य, चूक, कमी या लापरवाही के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

The Contractor shall be liable for any damage caused to the Bank or its premises or any part thereof or to any fixtures or fittings thereof or any property of the Bank and therein by any act, omission, default or negligence of the Contractor or his employees or agents.

14. ठेकेदार बैंक को किसी भी दंड के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा जो ठेकेदार द्वारा करार के तहत ड्यूटी करते समय नियमों के उल्लंघन के कारण बैंक पर लगाया गया हो।

The Contractor shall indemnify the Bank for any penalty levied on the Bank due to breach of regulations by the Contractor while performing the duties under the contract.

15. ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली चोटों के लिए, और बैंक की संपत्ति के सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें बगीचे, लॉन, पेड़, पौधे आदि शामिल हैं, जो संचालन या उसके लापरवाही या किसी भी उसके श्रमिक/कर्मचारी या दोनों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वह चोट या नुकसान लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हो, जो इस करार को लागू करने से किसी भी तरह जुड़ा हो। इस धारा को यह मानते हुए शामिल किया जाएगा कि इससे जुड़े भवनों को होने वाला कोई भी नुकसान, चाहे वह तुरंत जुड़े हों या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को होने वाला कोई भी नुकसान, साथ ही इस करार के विषय के रूप में भवनों और कार्यों को होने वाला सभी नुकसान भी शामिल है।

The contractor shall be responsible for injury to persons, animals or things, and for all structural and decorative damage to Bank's property including garden, lawns, trees, plants etc. which may arise from the operation or its neglect or any of his worker/employee or either, whether such injury or damage arises from carelessness, accident or any other cause whatever, in any way connected with the carrying out of this Contract. This Clause shall be held to include inter alia any damage to buildings, whether immediately adjacent or otherwise, and any damage to roads, streets, footpaths, bridges or ways as well as all damage caused to the buildings and works forming the subject of this Contract.

16. सभी और किसी भी खर्च के संबंध में जो किसी ऐसी चोट या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न होता है जैसा ऊपर उल्लेखित है और किसी भी दावे के संबंध में जो किसी भी कानून या अन्यथा के तहत चोट या क्षति के संबंध में किया गया हो और किसी भी मुआवजे या क्षति के पुरस्कार के संबंध में जो ऐसे दावे के परिणामस्वरूप हो, ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और आगे भी क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

The contractor shall indemnify and keep indemnified the Bank in respect of all and any expenses arising from any such injury or damage to persons or property as aforesaid and also in respect of any claim made in respect of injury or damage under any Acts of any legislature or otherwise and also in respect of any award of compensation or damages consequent upon such claim.

17. ठेकेदार भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और आगे भी क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

क) किसी तृतीय पक्ष द्वारा जीवन या संपत्ति को होने वाले हानि/क्षति की वजह से उत्पन्न कोई भी दावा जो

कार्य के निष्पादन के दौरान हुआ हो।

ख) कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को होने वाली हानि/क्षति के संबंध में उत्पन्न कोई भी दावा।

ग) लागू PF/ श्रम कानूनों, ESI, विनियमों आदि के अनुपालन न होने के कारण उत्पन्न कोई भी दावा।

The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Reserve Bank of India against:

- a) Any claim arising out of third-party loss/ damage to life or property caused by/during execution of the work.
- b) Any claim arising out of loss/ damage to the workmen engaged by the Contractor during execution of the work.
- c) Any claim due to non-compliance of applicable PF/ Labour laws, ESI, regulations etc.

18. ठेकेदार सभी कर्मचारियों या एजेंटों को पहचान पत्र प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में विषय कार्य करेंगे और सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी और एजेंट बैंक के परिसर में काम करते समय हमेशा पहचान पत्र पहनें।

The Contractor shall supply identity cards to all employees or agents who shall be doing the subject job at the Bank's premises and ensure that all the employees and agents bear the identity card at all times while they are working in the Bank's premises.

19. ठेकेदार सहमत है और यह सुनिश्चित करता है कि वह अपने द्वारा नियुक्त/व्यवस्थित सभी व्यक्तियों को यह स्पष्ट करेगा कि वे ठेकेदार के कर्मचारी हैं और उनके पास नियोक्ता यानी बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा, और बैंक ठेके का निष्पादन करने या श्रम कानून और/या किसी अन्य विधान के तहत किसी अन्य कानूनी लाभ प्रदान करने के लिए मजदूरी, वेतन या किसी अन्य प्रकार का मुआवजा भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ठेकेदार अपने कर्मचारियों को संबंधित कानून/नियम/सेवा शर्तों के तहत उपलब्ध सभी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

The Contractor agrees and undertakes that they will make it clear to all persons employed/engaged by them to perform the obligations under this agreement, that they are employees of the Contractor and that they shall have no claim against the Employer i.e. the Bank, and the Bank shall not be liable to pay wages, salary or any other type of compensation to execute the contract or provide any other statutory benefits under the Labour Law and/or any other legislation and the Contractor shall be solely responsible for providing all such amenities to their employees admissible under the relevant Law/Rules/Service conditions.

20. ठेकेदार सहमत है कि वह सर्वोत्तम गुणवत्ता के सामग्री/ब्रण्ड्स का उपयोग करेगा, विशेष रूप से IGBC द्वारा अनुमोदित किसी भी ब्रांड का। बैंक को ठेकेदार द्वारा उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता ऑडिट चेक करने का अधिकार है।

The Contractor agrees to utilize materials/brands which will be of the best quality preferably, any of the brand approved by IGBC. Bank reserves the right to conduct quality audit checks of the materials used by the Contractor on a periodical basis.

21. ठेकेदार अपने कर्मचारियों और सामग्री तथा पूर्ण किए गए कार्य की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपने स्वयं के व्यवस्थाएँ करेगा जब तक कि इन्हें बैंक द्वारा नहीं लिया जाता।

The Contractor shall make his own arrangements for security and protection of his workers and materials and the completed work till the same are taken over by the Bank.

22. ठेकेदार को इस करार के अंतर्गत शामिल सेवाओं के लिए यदि कोई हो, तो केरल राज्य सरकार के कानून या केंद्रीय सरकार के कानून के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

The Contractor shall obtain license, if any, required under the Kerala State Government Law or Central Government Law as applicable in case of the services covered under this contract.

23. ठेकेदार द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों को यूनिफॉर्म और सुरक्षा उपकरण/ जूते आदि प्रदान किए जाएंगे। All staff deployed by the Contractor shall be provided uniform & safety gear/ footwear etc.

24. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक के परिसर में काम करने वाले कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों ताकि वे अपनी ऊँटी के दौरान बैंक की आवासी कालोनी के अंदर किसी भी संदिग्ध वस्तु/गतिविधि को तुरंत बैंक के सुरक्षा स्टाफ को सूचित कर सकें। उन्हें यह भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे किसी भी टूटने, क्षति, रिसाव या ऐसी अन्य चीजों के बारे में जो वे संचालित कर रहे हैं, अपने पर्यवेक्षक, बैंक के देखभालकर्ता को तुरंत सूचित करें।

The Contractor should ensure that the workers deployed in the Bank's premises are well trained to ensure that they immediately report to the Bank's Security Staff any suspicious item/activity noticed by them inside the Bank's Residential Colon while attending to their duties. They should also be trained to immediately report to their supervisor, Banks caretaker about any breakage, damage, leakage or otherwise observed in any of the items/ areas being attended by them.

25. ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि बैंक के परिसर में धूम्रपान, शराब पीना, पान/तंबाकू चबाना सख्त निषिद्ध है और यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक के परिसर में काम कर रहे कर्मचारी इस नियम का पालन करें।

The Contractor should note that smoking, drinking alcohol, chewing pan/tobacco in the Bank's premises is strictly prohibited and ensure that the workers deployed in the Bank's premises abide by this rule strictly.

26. ठेकेदार बैंक के परिसर की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं/ मानकों का पालन करेगा। The Contractor shall abide by all procedures/norms related to safety and security of the Bank's premises.

27. ठेकेदार को बैंक परिसर में तैनात सभी कर्मचारियों को करार की समाप्ति/समाप्ति पर तुरंत हटा देना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे लोग बैंक की परिसर में किसी भी प्रकार की रुकावट/बाधा/समस्या नहीं पैदा करें।

The Contractor shall remove all workers deployed by them in the Bank's premises immediately on termination/expiry of the contract and ensure that such persons shall not create any disruption/ hindrance/ problem of any nature in the Bank's premises.

28. ठेकेदार बैंक के अनुरोध पर तुरंत किसी भी व्यक्ति को कार्य से हटा देगा, जिसे बैंक की राय में अयोग्य या अनुचित व्यवहार करने वाला माना जाता है और ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को बैंक की अनुमति के बिना फिर से काम में नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति खराब काम, गलत बर्ताव, बैंक के निर्देशों की अवहेलना आदि करते हुए पाया जाता है, तो एजेंसी ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को बैंक द्वारा निर्दिष्ट अनुसार कार्य से हटा देगी।

The contractor shall on the request of the Bank, immediately dismiss from the work, any person employed thereon by it who may, in the opinion of the Bank, is incompetent or has misconducted himself/herself and such person/s shall not be again employed on the works, without the permission of the Bank. In case any person is found giving poor workmanship, misbehavior, disobeying instruction of the Bank, etc., the agency will replace such person(s) from the work as directed by the Bank

29. ठेकेदार और उसके कर्मचारी तकनीकी अधिकारी /केयरटेकर /सहायक केयरटेकर या बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण में रहेगा और परिसर में दिन-प्रतिदिन के काम के लिए आवश्यक अनुदेश उनसे प्राप्त करेगा।

The Contractor and his staff shall be under the general supervision and control of the Technical Officer / Caretaker /Assistant Caretaker or any other personnel deputed for the purpose by the Bank and shall obtain necessary instructions from them for the day-to-day work in the premises.

30. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके श्रमिक बैंक के किसी भी परिसर में सेवा करते समय हमेशा पूर्ण वर्दी में हों। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिक हमेशा साफ वर्दी पहने हों और कोई भी पुरानी/फटी वर्दी तुरंत नए से बदली जाए।

The contractor shall ensure that its workers are in complete uniform at all times while rendering services at any of the Bank's premises. The contractor shall ensure the workers are wearing clean uniforms at all times and any worn out/ torn uniform should be replaced with new one immediately.

31. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, तम्मलम के में तैनात सभी स्टाफ तैनाती की तारीख से 45 दिनों के भीतर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

The Contractor shall ensure that all staff deployed in the Reserve Bank of India Staff Quarters, Thamalam shall submit the Police Verification Report within 45 days from the date of deployment.

32. ठेकेदार को दैनिक, साप्ताहिक, पखवाड़े, मासिक, तिमाही और बैंक द्वारा निर्धारित समयानुसार कार्य किए गए का रजिस्टर और उचित रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और जब भी मांग की जाए, इसे बैंक के समक्ष उपलब्ध कराना होगा।

The contractor shall maintain registers and a proper record of the work done on daily, weekly, fortnightly, monthly, quarterly and at periodicity as prescribed by the Bank and shall make it available to the Bank as and when demanded.

33. ठेकेदार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों या किसी संबंधित अधिनियम का किसी भी उल्लंघन के लिए दंड भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

The contractor will be liable to pay penalty for any violation of solid waste management rules or any relevant act.

34. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति के माध्यम से कार्यों / बिलों की जांच कराए और ठेकेदार के बिलों सहित सभी सहायक वाउचरों, दस्तावेज़ों आदि की जांच कराए, और यदि इस जांच के कारण या किसी अन्य कारण से कोई राशि अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो बैंक के लिए यह कानूनी होगा कि वह इस करार के संबंध में ठेकेदार को देय किसी भी भुगतान या भारत के रिज़र्व बैंक के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा अन्यत्र निष्पादित / प्रदान की जा रही किसी अन्य कार्य / सेवाओं से उस राशि की वसूली करे।

The Bank shall have the right to cause examination of the works / bills by any of the persons or organization as appointed by it and the bills of the Contractor, including all supporting vouchers, documents, etc., and if because of this examination or otherwise any sum is found to have been overpaid or over certified, it shall be lawful for the Bank to recover the sum from any payment due to the Contractor in connection with this Contract or any other works / services being carried out / provided by the Contractor elsewhere under the Reserve Bank of India.

35. यदि टेंडर स्वीकृति के किसी भी समय के बाद, बैंक किसी भी कारणवश 'वार्षिक सेवा संविदा' (ASC) के अंतर्गत निर्दिष्ट सेवाओं के पूरे या किसी भाग की आवश्यकता नहीं रखता है, तो बैंक का अभियंता ठेकेदार को लिखित सूचना देगा, जिसे करार के निष्पादन से हुई किसी भी लाभ या सुविधा के संबंध में किसी भी प्रकार का भुगतान या मुआवजे का कोई दावा नहीं होगा।

If at any time after the acceptance of the tender, the Bank shall for any reasons whatsoever, not require the whole or any part of the services specified under the scope of the 'Annual Service Contract' (ASC), the Bank's Engineer shall give notice in writing to the Contractor, who shall have no claim to any payment of compensation or otherwise whatsoever on account of any profit or advantage which they might have derived from the execution of the Contract.

C. करार की समाप्ति

TERMINATION OF AGREEMENT

1. उपरोक्त में निहित बातों के बिना पूर्वाग्रह, बैंक अपने पूर्ण विवेक से, इस करार को किसी कारण बताए बिना और किसी मुआवजे का भुगतान किए बिना, एक लिखित नोटिस द्वारा समाप्त करने का अधिकार रखता है, यदिक) बैंक के अनुसार (जिसे ठेकेदार द्वारा प्रश्न में नहीं लाया जा सकता और जो ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा), ठेकेदार इस करार को बैंक की संतोष से निष्पादित करने में विफल रहता है या इनकार करता है और/या ख) ठेकेदार इस करार की किसी भी शर्त और स्थिति का उल्लंघन करता है और/या ग) किसी भी कारण से, ठेकेदार इस करार के तहत अपने दायित्वों का प्रदर्शन करने के लिए कानून में अयोग्य हो जाता है और/या घ) ठेकेदार या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंधन में कोई भी परिवर्तन बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना होता है।

Without prejudice to what is contained hereinabove, the Bank shall, at its sole and absolute discretion, be entitled to terminate this agreement by a written notice without assigning any reason and without payment of any compensation thereof, if

- a) in the opinion of the Bank (which shall not be called into question by the Contractor

and shall be binding on the Contractor), the Contractor fails or refuses to implement this agreement to the Bank's satisfaction and/or

- b) the Contractor commits a breach of any terms and conditions of this agreement and /or
- c) for any reason whatsoever, the Contractor becomes disentitled in law to perform his obligations under this agreement and/or
- d) there is any variation in the ownership/partnership or management of the Contractor or his business without the prior approval in writing of the Bank to such variation.

2. यदि किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति होती है, तो ठेकेदार/ या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उनके/ उसकी एजेंटों को बैंक से किसी भी प्रकार के मुआवजे, क्षति या किसी अन्य रूप में कोई राशि या राशियों का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

In the event of termination of this agreement for any reason whatsoever, the Contractor/ or persons employed by him or his/ her agents shall not be entitled for any sum or sums whatsoever from the Bank by way of compensation, damages or otherwise.

3. इस करार में अंतर्निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि करार की कोई शर्त का पालन नहीं किया जाता है, आज्ञा नहीं मानी जाती है, या करार के किसी भी नियम का उल्लंघन होता है, या ठेकेदार द्वारा असंतोषजनक या अप्रभावी कार्य किया जाता है, तो नियोक्ता को ठेकेदार को एक महीने की लिखित नोटिस देने के बाद इस करार को रद्द करने का पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार होगा, बिना किसी कारण बताए और यह ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा और करार तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाएगा जैसा कि नोटिस में निर्धारित समय सीमा पूरी होने पर, इस स्थिति में ठेकेदार को किसी भी मुआवजे/नुकसान का हक नहीं होगा और सुरक्षा जमा की राशि नहीं लौटाई जाएगी।

Notwithstanding anything contained in this Contract, in the event of non-compliance, disobedience, or breach of any terms of the contract or unsatisfactory or inefficient working by the Contractor, the Employer shall have the absolute and independent authority to revoke this contract after giving one month's notice in writing to the Contractor without assigning any reason and the same shall be binding on the Contractor and the contract will come to an end with immediate effect on completion of the deadline as stipulated in the notice, in which case the Contractor shall not be entitled for any compensation/damages and the Security Deposit shall not be refunded.

4. करार के समाप्त होने या करार की अवधि पूरी होने पर, ठेकेदार को बैंक के परिसर को खाली करना होगा और उसे बैंक की सभी वस्तुओं/सामग्री/संपत्ति को सौंप देना या वापस कर देना होगा।

On termination of the contract or on expiry of the contract, the Contractor shall vacate the premises of the Bank and shall hand over or return all the articles /material/property belonging to the Bank.

5. ठेकेदार का समाप्त करने का अधिकार:

- i. यदि ठेकेदार ठेके की अवधि खत्म होने से पहले ठेका समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो ठेकेदार को कम से कम 90 दिनों की पूर्व सूचना देनी होगी और 90 दिनों के लिए काम की निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी।
- ii. यदि ठेकेदार 90 दिनों की पूर्व सूचना और 90 दिनों के लिए काम की सुनिश्चित निरंतरता के बिना समझौते

को समाप्त करता है, तो प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)/सुरक्षा जमा लागू/जब्त की जाएगी।

The contractor's right to terminate:

- i. If the contractor decides to terminate the contract before the end of the contract period, the contractor has to give an advance intimation of at least 90 days and ensure continuity of work for 90 days.
- ii. If the contractor terminates the Agreement without prior notice of 90 days and without assured continuation of work for 90 days, then the Security Deposit shall be invoked/forfeited.

D. स्टैम्प ड्यूटी STAMP DUTY

ठेकेदार इस करार के मूल प्रति पर स्टांप ड्यूटी का भुगतान करेगा, जिसे दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, और बैंक मूल करार को रखेगा और ठेकेदार प्रतिलिपी करार को रखेगा।

The Contractor shall bear the stamp duty on the original of this agreement, which shall be executed in duplicate, and the Bank shall retain the original and the Contractor shall retain the duplicate.

E. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वह अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों को समय-समय पर प्रासंगिक कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करेगा।

The Contractor shall ensure payment of minimum wages, as prescribed by the relevant law from time to time, to the workmen employed by him.

F. ठेकेदार बैंक को सभी हानियों और दावों, क्षतियों या मुआवजे के खिलाफ क्षापूर्ति करेगा और उसे क्षापूर्ति करता रहेगा, जो कि वेतन अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, ठेका श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रमिक कानून/ अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए हो। इस संबंध में यदि कोई देनदारियाँ हैं, तो ठेकेदार अकेला जिम्मेदार होगा।

The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Bank against all losses and claims, damages or compensation for breach of any provisions of the Payment of Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 or any other labour law/ statute in force in this regard. The Contractor shall be solely responsible for liabilities, if any, in this regard.

G. इस संविदा के कई हिस्सों को ठेकेदार द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ा जाएगा और पूरी तरह से समझा जाएगा।

The several parts of this contract shall be carefully read and fully understood by the Contractor.

H. गैर- प्रकटीकरण मानदंड Disclosure Norms

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के पास इस समझौते के संबंध में अनुबंधीय दायित्वों के निर्वहन के दौरान आ सकती है, किसी तीसरे पक्ष के साथ और हमेशा इसे सख्त गोपनीयता में रखेगा, यहां तक कि इस करार की समाप्ति/समाप्ति के बाद भी। ठेकेदार

करार के विवरण को निजी और गोपनीय मानता है, सिवाय उस सीमा के जो इसे पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक है। ठेकेदार किसी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को बिना बैंक की पूर्व लिखित सहमति के प्रकाशित नहीं करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगा। ठेकेदार किसी भी ऐसी गोपनीय जानकारी के किसी भी गैर-प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि के लिए बैंक का प्रत्यावर्तन करेगा। उपरोक्त का पालन न करने को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक को क्षति के लिए दावा करने और कानूनी उपायों का सहारा लेने का अधिकार होगा, जैसा कि उचित समझा जाएगा।

The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor or his/her employees during the course of discharging the contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence, even after the expiry/termination of this contract. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Bank. The Contractor shall indemnify the Bank for any loss suffered by the Bank as a result of any such disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Bank shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies, as deemed appropriate.

I. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाइयाँ करेगा ताकि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से पूरे हों। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति के कारण की परवाह किए बिना जारी रहेंगे।

The Contractor shall take all appropriate actions with respect to his employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure

and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

J. बैंक को इस समझौते की शर्तों और शर्तों के बिना, कार्य की विशेषताओं और प्रकृति को संशोधित करने का अधिकार है, किसी भी समय करार की अवधि के दौरान कार्य के किसी भी आइटम या कार्य / कार्य के भागों को जोड़कर या छोड़कर, ठेकेदार को इस प्रभाव में एक पत्र जारी करके।

The Bank reserves the right, without prejudice to the terms and conditions of this agreement, to alter the specifications and nature of the work by adding to or omitting any item of work or portions of the work/s being carried out at any time during the currency of contract, by issuing a letter to this effect to the Contractor.

K. इस संविदा के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे। इस करार से उत्पन्न या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवाद तिरुवनंतपुरम में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल तिरुवनंतपुरम की अदालतों के पास इन्हें निर्धारित करने का अधिकार होगा।

All payments by the Bank under this contract shall be made only at Thiruvananthapuram. All disputes arising out of or in any way connected with this Agreement shall be deemed

to have arisen at Thiruvananthapuram and only Courts in Thiruvananthapuram shall have the jurisdiction to determine the same.

L. उपरोक्त करार राशि के संदर्भ में जिसे निर्धारित शर्तों के अनुसार समय और तरीके से भुगतान किया जाना है, ठेकेदार, उन शर्तों के अनुसार, उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची में दर्शाए गए कार्य को पूरा करेगा।

In consideration of the said contract amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said conditions, the Contractor shall, upon and subject to the said conditions execute and complete the work shown upon the said specifications and the schedule of quantities.

M. बैंक ठेकेदार को उक्त करार राशि या ऐसी कोई अन्य राशि जिसका भुगतान उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से किया जाएगा, का भुगतान करेगा।

The Bank shall pay the Contractor the said contract amount or such other sum as shall become payable at the times and in the manner specified in the said conditions.

N. उक्त शर्तों को इस करार का हिस्सा समझा जाएगा और इसमें शामिल पक्ष उन शर्तों का पालन करेंगे, अपने-अपने हिस्से का समझौता करेंगे और उन शर्तों में निहित काम करेंगे।

The said conditions thereto shall be read and construed as forming part of this agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said conditions and perform the agreements on their part respectively in the said conditions contained.

O. समय को इस संविदा का सार माना जाएगा और ठेकेदार इस प्रकार सहमत होता है कि वह औपचारिक कार्य आदेश जारी होने के बाद **01 अप्रैल 2026** से कार्य/ करार प्रारंभ करेगा और निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करेगा।

Time shall be considered as the essence of this contract and the Contractor hereby agrees to commence the work/contract from **April 01, 2026**, after issue of a formal work order as provided for in the said conditions and to complete the work within the stipulated period.

P. ठेकेदार बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।
The Contractor shall provide a complete and updated list of his employees who are deployed within the Bank's premises.

Q. वित्तीय बोली में ठेकेदार द्वारा दिया गया उद्धरण स्थिर और बैंक ठेकेदार के मूल्य वृद्धि के किसी दावे पर विचार नहीं करेगा जब तक कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा केवल न्यूनतम मजदूरी के दो घटकों में परिवर्तन न हो, अर्थात् आधार दरों और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए)। मासिक संविदा राशि में इस प्रकार की वृद्धि की मात्रा, मासिक कर्तव्यों के अनुपात में, केवल आधार दरों और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में वृद्धि तक सीमित होगी और वे किसी अन्य घटक जो वेतन या भत्ते का हिस्सा हैं, जो वैधानिक प्रकृति के हैं जैसे कि ईपीएफ, ईएसआई, बोनस आदि, जो आधार दरों और/या परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) पर निर्भर हैं, को बैंक द्वारा मासिक करार राशि में संशोधन के लिए नहीं माना जाएगा। ठेकेदार को मूल दरों के अलावा वीडीए और इन वैधानिक घटकों के संभावित वृद्धि की बात

ध्यान में रखनी चाहिए और अपनी सर्वोत्तम दरें इस तरह से देना चाहिए कि ये वृद्धि क्रमिक लागतें वित्तीय बोली के अंतर्गत समाहित हो सकें। इस मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

The quote offered by the Contractor in the price bid shall be firm and final and the Bank will not entertain the Contractor's claim for any revision of rates during the currency of contract except when changes in two components of minimum rates of wages only viz. the Basic rates and Variable Dearness Allowance (VDA), as announced by the Government of India under the Minimum Wages Act. The amount of such hike in monthly contract amount, in proportion to the monthly duties, will be restricted only to the increase in Basic rates and Variable Dearness Allowance (VDA) and any other components which form part of wages or allowance which are statutory in nature viz. EPF, ESI, Bonus etc. which are dependent on the Basic rates and/or Variable Dearness Allowance (VDA) will not be considered by the Bank for revision in the monthly contract amount. The Contractor shall keep in mind the possible escalation of these statutory components other than the Basic rates plus VDA and offer their best rates in such a way as to accommodate these incremental costs under the price bid. The decision of the Bank in the matter will be final.

R. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE:

ठेकेदार "महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी/कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत होती है, तो शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और ठेकेदार उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा ग्रहण की जाएगी। यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारियों का शामिल होना आवश्यक है, तो ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा प्रमाणित होती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत देनी होगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

The Contractor shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee/s within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the contractor and the Contractor shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint. Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the Contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank. The Contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the Contractor, for instance any monetary relief payable to the Bank's employee, if sexual violence by the employee of the Contractor is proved. The Contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

ठेकेदार अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक की परिसर में तैनात हैं।

The Contractor shall provide a complete and updated list of his employees who are deployed within the Bank's premises.

S. अन्य शर्तें

Other Conditions:

बैंक को इस करार की शर्तों और शर्तों के बिना, किसी भी समय करार की अवधि के दौरान कार्य के किसी भी वस्तु या कार्य के भाग को जोड़ने या छोड़ने के लिए, ठेकेदार को इस संबंध में एक पत्र जारी करके, कार्य की विशेषताओं और प्रकृति को संशोधित करने का अधिकार है।

The Bank reserves the right, without prejudice to the terms and conditions of this agreement, to alter the specifications and nature of the work by adding to or omitting any item of work or portions of the work/s being carried out at any time during the currency of contract, by issuing a letter to this effect to the contractor.

1. इस करार के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे। इस करार से उत्पन्न या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवाद तिरुवनंतपुरम में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल तिरुवनंतपुरम में न्यायालयों के पास इन्हें निर्धारित करने का अधिकार होगा।

All payments by the Bank under this contract shall be made only at Thiruvananthapuram. All disputes arising out of or in any way connected with this Agreement shall be deemed to have arisen at Thiruvananthapuram and only Courts in Thiruvananthapuram shall have the jurisdiction to determine the same.

2. इस शर्तों के तहत संपूर्ण कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और वह सीधे बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना समझौते के तहत किसी भी भाग या हिस्से या उसमें रुचि को सीधे नहीं सौंपेगा या संलग्न करेगा और कोई भी हस्तांतरण ठेकेदार को करार की पूर्ण और कुल जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा या कार्यों के निष्पादन के दौरान सक्रिय पर्यवेक्षण से नहीं। कोई भी परिवर्तन, छूट या परिवर्तन इस करार को अमान्य नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक कार्यों के निष्पादन के दौरान किसी भी समय में कार्यों में कोई परिवर्तन या जोड़ या कोई छूट करना उचित समझता है या उपयोग किए जाने वाले सामग्रियों की प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है, तो उसे ठेकेदार को इसके बारे में लिखित रूप में सूचित करना होगा। ठेकेदार को ऐसे नोटिस के अनुसार परिवर्तन करना, जोड़ना या छोड़ना होगा, लेकिन ठेकेदार किसी भी प्रकार का अतिरिक्त काम नहीं करेगा या किसी काम में कोई परिवर्तन, जोड़ या छोड़ नहीं करेगा या करार, शर्तों, विनिर्देशों या करार की किसी भी प्रावधान से किसी भी भिन्नता नहीं करेगा बिना बैंक के पूर्व लिखित सहमति के और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तनों, जोड़ या छोड़ का मूल्य सभी मामलों में बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा, बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ और इसे करार राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला होगा।

The entire work included under these terms shall be executed by the contractor and it shall not directly entrust and engage or indirectly transfer assign or let under the agreement or any part or share thereof or interest therein without the prior written consent of the Bank and no undertaking shall relieve the contractor from the full and entire responsibility of the contract or from active superintendence of the works during their progress. No alteration, omission or variation shall vitiate this contract but in case the Bank thinks proper at any time during the progress of the works to make any alterations in or additions to or omissions from the works or any alteration in the kind or quality of the materials to be used therein, it shall give notice thereof in writing to the contractor. The

contractor shall alter, add to or omit from, as the case may be, in accordance with such notice but the contractor shall not do any work extra to or make any alterations or additions to or omissions from the works or any deviation from any of the provisions of the contract, stipulation, specifications or contract without the previous consent in writing of the Bank and the value of such extras, alterations, additions or omissions shall in all cases be determined by the Bank, with the prior approval in writing of the Bank and the same shall be added to or deducted from the contract amount, as the case may be, accordingly.

T. अप्रत्याशित घटना

1. ठेकेदार या बैंक युद्ध, क्रांति, विद्रोह, नागरिक उपद्रव, दंगे, आंदोलन, हड़ताल, नाकाबंदी, अप्रत्याशित घटना, प्लेग, या अन्य महामारियों के कारण, या आग, बाढ़, सरकार या शत्रु पक्ष या किसी भी पार्टी के नियंत्रण से परे किसी भी अन्य घटना, जो सीधे, भौतिक और किसी भी या ऐसे सभी संविदात्मक दायित्वों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है, के कारण किसी भी या सभी संविदात्मक दायित्वों के विलंब या गैर-कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। अप्रत्यशीत घटनाओं में कम्प्युटर वायरस और कम्प्युटर से संबंधित समस्याएं शामिल नहीं होंगी।
2. यदि बैंक की राय में, कार्य में देरी हो रही है (क) अपरिहार्य कारण से या (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या (ग) ठेकेदार की स्वयं की चूक के अलावा अन्य कारण से पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या (घ) ठेकेदारों या बैंक द्वारा नियुक्त या नामित कारीगरों के कार्य या देरी के कारण और मात्र और/ या विनिर्देश की अनुसूची में संदर्भित नहीं हैं या (ङ) नागरिक दंगा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण जो किसी भी भवन व्यापारी को प्रभावित करती है, तो बैंक ऐसी हड़ताल या तालाबंदी के मामले में करार कार्यों को पूरा करने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार कर सकता है, ठेकेदार जितनी जल्दी हो सके, बैंक को इसकी लिखित सूचना देगा, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए अपने प्रयासों का लगातार उपयोग करेगा और काम के साथ आगे बढ़ने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो उचित रूप से आवश्यक होगा।

यदि कोई अप्रत्याशित घटना की स्थिति उपस्थित होती है, तो ठेकेदार ऐसी स्थितियों और उसके किसी भी परिवर्तन के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करेगा। जब तक अन्यथा लिखित रूप में बैंक द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है, तब तक ठेकेदार करार के तहत अपने दायित्वों को यथासंभव आगे बढ़ाता रहेगा, और अन्य सभी दायित्वों के प्रदर्शन के लिए सभी साधनों की तलाश करेगा, जब तक की अप्रत्याशित घटना की वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा।

अप्रत्याशित घटना के प्रावधान बैंक पर भी लागू होंगे।

3. यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फ़र्म या कंपनी होते हुए, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या निगमित कंपनी होने के कारण, उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश किया जाएगा या स्वैच्छिक रूप से न्यायालय की देखरेख में समापन के लिए प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा और दिवालियापन या समापन के ऐसे कार्यों में परिसमापक का आधिकारिक समनुदेशिती, उसे ऐसा करने के लिए कहने वाले नोटिस के सात दिनों के भीतर बैंक की उचित संतुष्टि के लिए यह दिखाने में असमर्थ होगा कि वह करार को पूरा करने के में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो वह इसके लिए सुरक्षा दे सकता है।

Force Majeure

1. The contractor or the Bank shall not be responsible for delays or non-performance of

any or all contractual obligations, caused by war, revolution, insurrection, lockdown, civil commotion, riots, mobilizations, strikes, blockade, acts of God, Plague or other epidemics, fire, flood, acts of government or public enemy or any other event beyond the control of either party, which directly, materially and adversely affect the performance of any or all such contractual obligations. Force majeure shall not include computer viruses and computer related problems.

2. If in the opinion of the Bank, the works be delayed (a) by force majeure or (b) by reason of any exceptionally inclement weather or (c) by reason of proceedings taken or threatened by or dispute with adjoining or neighboring owners or public authorities arising otherwise than through the contractor's own default or (d) by the works or delays of the contractors or Tradesmen engaged or nominated by the Bank and not referred to in the Schedule of Quantities and/or Specification or (e) by reason of civil commotion, local combination of workmen or strike or lockout affecting any of the building traders the Bank may make a fair and reasonable extension of time for completion of the Contract Works in case of such strike or lockout, the contractor shall, as soon as may be, give written notice thereof to Bank, but the contractor shall nevertheless constantly use his endeavor's to prevent delay and shall do all that may reasonably be required to the satisfaction of the Bank to proceed with work. If a Force Majeure situation arises, the contractor shall promptly notify the Bank in writing of such conditions and any change thereof. Unless otherwise directed by the Bank in writing, the contractor shall continue to perform its obligations under the contract as far as possible and shall seek all means for performance of all other obligations, not prevented by the Force Majeure event. Force Majeure shall also apply to the Bank.

3. If the contractor being an individual or a firm/ a company, commit any "Act of insolvency" or shall be adjudged an Insolvent or being Incorporated Company, shall have an order for compulsory winding up made against it or pass an effective resolution for winding up voluntarily or subject to the supervision of the Court and the Official Assignee of the Liquidator in such acts of insolvency or winding up shall be unable, within seven days after notice to him, requiring him to do so, to show to the reasonable satisfaction of the Bank, that he is able to carry out and fulfill, the Contract and to give security therefore, if so required by Bank.

या यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी हो) को निषादन जारी करने की आवश्यकता होगी।

OR if the contractor (whether an individual, firm or incorporated company) shall suffer execution to be issued.

या इस संविदा के अंतर्गत ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी और से किए गए किसी भी भुगतान को कुर्क होने दिया जाएगा।

OR shall suffer any payment under this contract to be attached by or on behalf of any of the creditors of the contractor.

या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस करार को सौंपेगा या उप-पट्टे पर देगा।

OR shall assign or sublet this Contract without the consent in writing of the Bank first obtained.

या इस संविदा या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय और देय होने वाले किसी भी भुगतान को भारित या भारित नहीं करेगा।

OR shall charge or encumber this Contract or any payment due or which may become due to the contractor there under.

या यदि ठेकेदार

- (i) संविदा को त्याग दिया है
- (ii) कार्य आरंभ करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के अंतर्गत बिना किसी वैध बहाने के बैंक से आगे बढ़ने का नोटिस प्राप्त करने के पश्चात 14 दिनों के लिए कार्य की प्रगति को स्थगित कर दिया है, या
- (iii) कार्य को उचित परिश्रम की साथ आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या
- (iv) बैंक से लिखित नोटिस प्राप्त करने के पश्चात सात दिनों के भीतर साइट से सामग्री हटाने या कार्य को हटाने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के अंतर्गत बैंक द्वारा नींदा और अस्वीकार किया गया था, या
- (v) ठेकेदार को लिखित नोटिस दिये जाने के पश्चात सात दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा पालन किए जाने वाले इस करार द्वारा पालन किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्य, मामले या चीजों का पालन करने में लगातार उपेक्षा या विफलता की है, या
- (vi) बैंक के विपरीत निर्देशों के अवहेलना करते हुए करार के किसी भाग को उप- किराए पर दे दिया है, या
- (vii) बाल श्रम

तब और उक्त किसी भी मामले में बैंक किसी भी पूर्व छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, करार का निर्धारण कर सकता है। और इसके अलावा, बैंक अपने एजंटों या कर्मचारियों के माध्यम से काम में प्रवेश कर सकता है और आस पास की भूमि या सड़कों के परिसर में पड़े सभी संयंत्र, उपकरण, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के बर्तन और सामग्री को अपने कब्जे में ले सकता है और उसे अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या काम को पूरा करने अपने कर्मचारियों और कामगारों के माध्यम से या काम को पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति और व्यक्तियों को नियुक्त करके काम पर रख सकता है और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को काम पूरा करने और खत्म करने या काम के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने से रोकने या बढ़ा डालने की लिए कोई कार्य, बात या चीज नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा तो बैंक ठेकेदार को अपनी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित में नोटिस देगा और ठेकेदार यदि नोटिस प्राप्त होने के बाद 14 दिनों की अवधी के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच ठेगा और ठेकेदार को प्रपट राशी का क्रेडिट देगा।

OR if the contractor

- (i) has abandoned the Contract or
- (ii) has failed to commence the works, or has without any lawful excuse under these Conditions suspended the progress of the works for 14 days after receiving from the Bank Notice to proceed, or
- (iii) has failed to proceed with the work with such due diligence and failed to make such due progress as would enable the works to be completed within the time agreed upon, or
- (iv) has failed to remove materials from the site or to pull down and replace work for seven days after receiving from the Bank's written notice that the said materials or work were

condemned and rejected by the Bank under these Conditions, or
 (v) has neglected or failed persistently to observe and perform all or any of the acts, matters or things by this Contract to be observed and performed by the contractor for seven days after written notice shall have been given to the contractor requiring the contractor to observe or perform the same, or
 (vi) has in the defiance of the Bank's instructions to the contrary sublet any part of the Contract, or
 (vii) has employed child labour.

Then and in any of the said cases the Bank may notwithstanding any previous waiver, after giving seven days' notice in writing to the contractor, determine the Contract. And further, the Bank by his, Agents or servants may enter upon and take possession of the works and all plant, tools, scaffoldings, sheds, machinery, steam and other power utensils and materials lying upon the premises of the adjoining lands or roads, and use the same as his own property or may employ the same by means of his own servants and workmen in carrying on and completing the work or by employing any other Contractors or other person or persons to complete the works and the Contractor shall not in any way interrupt or do any act, matter or thing to prevent or hinder such other Contractor or other person or persons employed for completing and finishing or using the materials and plant for the works. When the works shall be completed the Bank shall give a notice in writing to the Contractor to remove his surplus materials and plant and should the Contractor fail to do so within a period of 14 days after receipt thereof by him, the Bank shall sell the same by public auction and shall give credit to the Contractor for the amount realized.

U. सभी-समावेशी व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (CAMC) - नवीनीकरण के लिए दरें:

यह दरें वार्षिक रखरखाव संविदा के पहले वर्ष के लिए स्थिर रहेंगी और इन शुल्कों को 'निविदा के मूल्यांकन' खंड में वर्णित के अनुसार निविदा का मूल्यांकन करते समय भी माना जाएगा। इसके अलावा, वार्षिक रखरखाव संविदा के नवीनीकरण की राशि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार तय की जाएगी:

Ap	MPc	Wlc
AC= ----- (15 + 55 x ----- + 30x -----)	100	MPp Wlp
Ac	=	वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा की राशि।
Ap	=	पिछले वर्ष के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा की राशि।
MPc	=	वर्तमान वर्ष के करार की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले धातु उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक।
MPp	=	पिछले वर्ष के करार की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले धातु उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक।
Wlc	=	वर्तमान वर्ष के करार प्रारंभ तिथि से छह महीने पूर्व औद्योगिक श्रमिकों (तिरुवनंतपुरम) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

WIp		पिछले वर्ष के करार प्रारंभ तिथि से छह महीने पूर्व औद्योगिक श्रमिकों (तिरुवनंतपुरम) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
-----	--	---

Rates for All-inclusive Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) - Renewal

These rates shall remain firm for the first year of AMC & these charges will also be considered while evaluating tender as prescribed in the section "evaluation of tenders". Further renewal amount for the AMC shall be worked out as per the following formula:

$$AC = \frac{Ap}{100} + \frac{MPc}{MPp} + \frac{Wlc}{Wlp} (15 + 55 \times \frac{Ap}{100} + 30 \times \frac{MPc}{MPp})$$

Ac	=	The AMC amount for the current year.
Ap	=	The AMC amount for the previous year.
MPc	=	Wholesale Price Index for metal products 6 months prior to the commencement date of contract for the current year.
MPp	=	Wholesale Price Index for metal products 6 months prior to the commencement date of contract for the previous year.
Wlc	=	Consumer Price Index for industrial workers (Thiruvananthapuram) 6 months prior to commencement date of contract for the current year.
Wlp		Consumer Price Index for industrial workers (Thiruvananthapuram) 6 months prior to commencement date of contract for the previous year.

संचालन संविदा:

वार्षिक रखरखाव संविदा एक वर्ष की डिफेक्ट दोष ज़िम्मेदारी अवधि (DLP) के बाद निम्नलिखित सूत्र के आधार पर नवीनीकरण किया जाएगा:

$$AC = \frac{Ap}{100} + \frac{Wlc}{Wlp} (10 + 90 \times \frac{Ap}{100})$$

Ac	=	वर्तमान वर्ष के लिए परिचालन लागत की राशि
Ap	=	पिछले वर्ष के लिए परिचालन लागत की राशि
Wlc	=	करार की वर्तमान वर्ष की शुरुआत से 6 महीने पहले औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (तिरुवनंतपुरम)

WIp	=	करार की पिछले वर्ष की शुरुआत से 6 महीने पहले औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (तिरुवनंतपुरम)।
-----	---	--

Operation Contract:

The annual maintenance contract will be renewed after DLP of one year based in the following formula.

$$AC = \frac{Ap}{100} (10 + 90 \times \frac{Wlc}{WIp})$$

Ac	=	The Operation cost amount for the current year.
Ap	=	The Operation cost amount for the previous year.
Wlc	=	Consumer Price Index for industrial workers (Thiruvananthapuram) 6 months prior to commencement date of contract for the current year.
WIp	=	Consumer Price Index for industrial workers (Thiruvananthapuram) 6 months prior to commencement date of contract for the previous year.

(यदि ठेकेदार भागीदारी फर्म या कोई व्यक्ति है)

(If the Contractor is a Partnership firm or an individual)

जिसके साक्ष्य स्वरूप बैंक और ठेकेदार ने अपनी उपस्थिति में इसकी दो प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ऊपर बताए गए पहले दिन और वर्ष के हैं। IN WITNESS WHEREOF the Bank and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and the year first hereinabove written

(अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई कंपनी है)

(If the Contractor is a Company)

जिसके साक्ष्य के रूप में बैंक ने अपने विधिवत प्राधिकरण अधिकारी के माध्यम से इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने अपनी आम मुहर इस पर लगवा दी है और उक्त दो प्रतियाँ अपनी ओर से ऊपर वर्णित पहले दिन और वर्ष में निष्पादित करवा ली हैं। IN WITNESS WHEREOF the Bank set its hands to these presents through its duly authorised official and the Contractor has caused its common seal, to be affixed hereunto and the said two duplicates/ has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and the year first hereinabove written.

हस्ताक्षर खंड
Signature Clause

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित
SIGNED AND DELIVERED BY Reserve Bank of India, Thiruvananthapuram

(नाम और पदनाम)

(Name and designation)

(Name and designation)

साक्षियों की उपस्थिति में:

In the presence of Witnesses:

1.
पता/Address

2.

पता/Address

अगर पार्टी भागीदार फर्म या व्यक्ति है:
If the party is a Partnership firm or individual:

(नाम और पदनाम)

(Name and Designation)

साक्षियों की उपस्थिति में

In the presence of Witnesses:

1.

पता/Address

2.

पता/Address

..... को आयोजित बैठक में, की उपस्थिति में, इसके निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसरण में की आम मुहर लगाई गई।

The COMMON SEAL OF Was hereunto affixed pursuant to the Resolutions passed by its Board of Directors at the meeting held on, in the presence of

1)

2)

निदेशक, जिन्होंने 1 की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

Directors, who have signed these in token thereof in the presence

of

1)

2)

ठेकेदार द्वारा श्री के हस्ताक्षर और वितरण

और विधिवत रूप से गठित अटॉर्नी

SIGNED AND DELIVERED BY the Contractor by the hand of

Shri

And duly constituted Attorney

खंड V

निवेदकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश और

संविदा की विशेष शर्तें

1. सामान्य अनुदेश:

1.1 बैंक किसी भी अतिरिक्त शर्तों की पेशकश करने से निविदाकर्ता को हतोत्साहित करता है।

1.2 निविदाएँ बैंक द्वारा खुली स्वीकार्यता के लिए निविदा भाग। खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि तक उपलब्ध रहेंगी। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है और इस अवधि के दौरान निविदाकर्ता निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकता।

1.3 निविदा फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना अनिवार्य है। यदि कोई दस्तावेज़/दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर नहीं हैं या वे गुम हैं, तो बैंक अपनी विवेकाधिकार पर निविदा को अवैध मान सकता है।

1.4 दरें भी निश्चित होंगी, पूरे संविदा की अवधि और/या उसके विस्तार के दौरान मान्य रहेंगी और विनिमय परिवर्तनों, श्रम स्थितियों, रेलवे भाड़े में उतार-चढ़ाव या किसी भी अन्य शर्तों के अधीन नहीं होंगीं।

1.5 जो कोटेशन किसी अन्य तरीके से प्राप्त होते हैं जो ऊपर संकेतित नहीं हैं, उन्हें संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा और L1 टेंडरकर्ता का निर्धारण करने के उद्देश्य से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

1.6 मजदूरी की दर जो मानव संसाधन के लिए उद्धृत की गई है, वह वैधानिक केंद्रीय या राज्य सरकार के न्यूनतम वेतन से कम नहीं होनी चाहिए, जो भी अधिक हो। जो टेंडर निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों से नीचे दरें उद्धृत किए हैं, उन्हें संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा और L1 टेंडरकर्ता का निर्धारण करने के उद्देश्य से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

1.7 किसी फर्म/कंपनी की ओर से प्रस्तुत टेंडर पर सभी मालिकों/साझेदारों/निदेशकों या उस फर्म/कंपनी के मालिक/साझेदार/निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिनके पास फर्म/कंपनी की ओर से प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने का आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, बैंक द्वारा टेंडर अस्वीकार किया जा सकता है।

1.8 बैंक से उसकी/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निवेदक अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और कार्य आदेश जारी होने की तारीख से **चौदह दिनों** के भीतर सफल निवेदक मसौदा अनुबंध और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी निविदा की लिखित स्वीकृति रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और उस व्यक्ति के बीच बाध्यकारी संविदा का निर्माण करेगी जो निविदा दे रहा है, चाहे ऐसा औपचारिक अनुबंध बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं। संविदा दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा। मूल प्रति बैंक के पास रहेगी और दूसरी प्रति ठेकेदार के पास रहेगी। संविदा आवश्यक स्टाम्प पेपर (गुजरात राज्य में लागू स्टाम्प छ्यूटी के बराबर) पर किया जाएगा और दोनों दस्तावेज़ों पर आवश्यक स्टाम्प छ्यूटी की लागत पूरी तरह से ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

1.9 किसी भी बोली को निर्दिष्ट जमा करने की अंतिम तिथि/समय या किसी भी विस्तारित बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1.10 ठेकेदार को कर्मचारियों को अगले महीने के 7वें दिन तक मज़दूरी का भुगतान करना आवश्यक है।

2. कार्य का व्यापक दायरा

कार्य का दायरा टेंडर दस्तावेज़ के अनुभाग VIII में विस्तार से दिया गया है।

3. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार

3.1 बैंक को सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने का बंधन नहीं है और किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया समाप्त कर सकता है।

3.2 यदि यह कार्य प्रदान करने के बाद पाया जाता है कि ठेकेदार पिछले 3 वर्षों में किसी भी सरकारी विभाग/संस्थान/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय/नगरपालिका/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/आरबीआई के किसी अन्य कार्यालय द्वारा ब्लैकलिस्टेड है, तो बैंक संविदा समाप्त कर सकता है।

3.3 न्यूनतम मज़दूरी और/या परिवर्ती महंगाई भत्ता समय-समय पर श्रमिक मुख्य आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया जाएगा, अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा, कुशल श्रमिक (क्षेत्र बी) की श्रेणी के लिए; जो "सड़क या रनवे के निर्माण या रखरखाव में या भवन निर्माण कार्यों में नियोजित हैं, जिसमें भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, तार और अंतर्राष्ट्रीय संचार केबल तथा इसी तरह के अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, विद्युत लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों और सीवर पाइप लाइनों को बिछाना शामिल है"।

3.4 जो बोलीदाता किसी भी मूल्य बोली घटक को अत्यधिक कम आंका जाएगा, उनकी बोलियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और ऐसे बोलीदाता, भले ही पात्र बोलियों में सबसे कम मूल्य पेश कर रहे हों, को पात्र बोलीदाताओं में सफल बोलीदाता के रूप में चयन के लिए नहीं माना जाएगा। हालांकि, बैंक ऐसे बोलीदाता को उनके प्रस्ताव को प्रमाणित करने का अवसर दे सकता है, उनके दर विश्लेषण / टूट-फूट और उस पर टिप्पणी मांगकर, बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर। हालांकि, यदि कुल अनुबंध राशि कर्मचारी श्रेणी के लिए न्यूनतम वेतन और संबंधित वैधानिक घटकों का भुगतान करने के लिए भी अपर्याप्त पाई जाती है, तो इसे तात्कालिक रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा और ऐसी अयोग्यता के संबंध में बैंक का निर्णय बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा और अंतिम माना जाएगा।

4. भुगतान की शर्तें और दंड शुल्क का प्रवर्तन

4.1 मानव संसाधन तैनाती से संबंधित भुगतान वास्तविक तैनाती के अनुसार किया जाएगा और कंपनी/एजेंसी/फर्म को बिल के साथ उपस्थिति रजिस्टर और न्यूनतम मज़दूरी के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

4.2 सफल निविदादाता को अपने कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे वेतन जमा करना चाहिए और वेतन भुगतान दिखाने वाला मासिक बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना चाहिए। EPF, ESI आदि के लिए आवश्यक भुगतान विनियामक नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने होंगे। बैंक को आवश्यकतानुसार इसकी जांच करने का अधिकार सुरक्षित है और उसी अनुसार, ठेकेदार के पास इसे प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए।

4.3 बैंक का अधिकारी लोगों/कर्मचारियों की तैनाती की नियमित अंतराल पर जांच करेगा; इसलिए सत्यापन के लिए एक उपस्थिति रजिस्टर बनाए रखना चाहिए और इसकी प्रति देखभालकर्ता द्वारा सही तरीके से सत्यापित की जानी चाहिए।

4.4 कामगार उपलब्ध कराने के लिए बिल प्रत्येक आगामी माह के दूसरे सप्ताह के भीतर बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे। रखरखाव सेवाओं के लिए बिल प्रत्येक तिमाही के पिछले माह के अगले महीने में प्रस्तुत किया जाएगा। बिल का भुगतान बिल के जमा किए जाने की तिथि से 1 महीने के भीतर सभी संबंधित दस्तावेजों जैसे उपस्थिति रजिस्टर की प्रति, सेवा रिपोर्ट, (Attachments.pdf में निर्दिष्ट प्रपत्र), कॉलोनी के केयरटेकर से संतोषजनक सेवाओं की पुष्टि आदि के साथ किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान ठेकेदार को कर्मचारियों को बैंक से भुगतान प्राप्त होने का इंतजार किए बिना आगामी माह की 7वीं तिथि तक करना होगा। ठेकेदार को बिल के साथ भुगतान किए जाने के प्रमाण, जैसे बैंक विवरण, खाता संख्या आदि भी प्रस्तुत करने होंगे।

4.5 देय राशि उन किसी भी कटौतियों को घटा कर भुगतान की जाएगी, जो इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं में कमी के लिए लगाई गई हैं। बिल को जीएसटी फॉर्मेट के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी विशेष महीने/तिमाही के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की फर्म द्वारा प्रमाणित प्रति बिल के साथ भुगतान के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए:

- i. हाजिरी रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।
- ii. सहायक केयरटेकर / केयरटेकर / बैंक के इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित किए गए किए गए कार्य/सेवा पर्ची/रखरखाव के दौरान उपयोग किए गए स्पेयर पार्ट्स का विवरण।
- iii. न्यूनतम मजदूरी का भुगतान दिखाती बैंक स्टेटमेंट (श्रमिकों/कर्मचारियों को भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा)।
- iv. अनुबंध श्रम अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुपालन के लिए घोषणा।
- v. पीएफ और ईएसआईसी के भुगतान के सबूत, जहाँ लागू हो।
- vi. बैंक द्वारा निर्देशित किसी भी अन्य लॉगबुक/दस्तावेज।

सभी कार्यों (स्थान अनुसार) से संबंधित बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसमें कार्यनुक्रम विवरण उस प्रकार बताया जा सकता है जैसा कि प्राइस बिड के पार्ट-II में दिया गया है। जहाँ तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दिन-प्रतिदिन संचालन और निवारक/सजग रखरखाव का संबंध है, तिमाही/अर्धवार्षिक आधार पर किए गए कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट (Attachments.pdf में निर्दिष्ट प्रपत्र) बिलों के साथ संलग्न की जा सकती है, जिसे संबंधित स्थान के केयरटेकर और सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

4.6 यह नोट किया जा सकता है कि ठेकेदार पहले श्रमिकों/कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करेगा और पीएफ, ईएसआईसी और अन्य कानूनी भुगतान/जमा राशि का भुगतान कर चुका होगा और फिर उसी का बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत करेगा, साथ ही श्रमिकों को वेतन भेजने का प्रमाण भी प्रस्तुत करेगा। किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

5 कार्य समय और अवकाश:

संपूर्ण वर्ष में, पौधे के दैनिक संचालन के लिए, ठेकेदार तकनीशियन की सेवाएँ **सुबह 08:00 बजे से शाम 04:00 बजे** तक, लंच ब्रेक सहित, सप्ताह के सभी सात दिनों में उपलब्ध कराएगा, राष्ट्रीय अवकाशों के अलावा जैसे कि 26 जनवरी, 01 मई, 15 अगस्त और 02 अक्टूबर। हालांकि, समय बैंक की सुविधा के अनुसार और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्णय के अनुसार बदला जा सकता है। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, उपयुक्त विकल्प व्यवस्था के माध्यम से, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्ष के सभी दिनों में, ऊपर उल्लिखित समय के अनुसार, किसी वैकल्पिक कुशल तकनीशियन की सेवा उपलब्ध हो। कौशलपूर्ण तकनीशियन की अनुपस्थिति की स्थिति में, ठेकेदार को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक वैकल्पिक कौशलपूर्ण तकनीशियन की सेवाएँ हमेशा उपलब्ध रहें ताकि सीवेज उपचार संयंत्र (STP) के निरंतर संचालन और रखरखाव में

कोई बाधा न आए। इस प्रकार की व्यवस्था की लागत उनके दर में शामिल होनी चाहिए और बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था के लिए अलग से कोई राशि नहीं दी जाएगी। इस वार्षिक सेवा अनुबंध के दायरे में तैनात किए जाने वाले कौशलपूर्ण तकनीशियन(यों) की तकनीकी क्षमता की पुष्टि/जांच बैंक द्वारा की जाएगी ताकि ठेकेदार द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की तैनाती सुनिश्चित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को मासिक एक बार और आवश्यकता अनुसार संयंत्र की निवारक/भंगुर सेवा के लिए एक योग्य तकनीशियन नियुक्त करना होगा और साइट पर किए गए कार्यों के लिए बैंक को विस्तृत सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

6 जुर्माना

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक आवश्यक प्रणाली है और इसे बिना विफल हुए काम करना चाहिए। प्रणाली में किसी भी दोष को नीचे दिए गए सुधार समय के अनुसार सुधारा जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया गया तो दंड लागू किया जाएगा।

क्रम	अवसर	सुधार समय	समय का पालन न करने पर जुर्माना
(ए)	कोई भी खराबी जिससे प्लांट पूरी तरह फेल हो जाए	24 घंटे	1000/- रुपये प्रतिदिन
(बी)	इंडिपेंडेंट डिवाइस, कंपोनेंट, केबल में कोई भी खराबी जिससे सिस्टम पूरी तरह फेल न हो जाए	48 घंटे	500/- रुपये प्रतिदिन
(सी)	प्लांट ऑपरेटर की अनुपस्थिति	प्लांट ऑपरेटर के लिए हर दिन का शुल्क , बताए गए रेट के हिसाब से दोगुना होगा।	

दोषों/विफलताओं को सुधारने में विलंब, दैनिक संचालन के लिए तकनीशियन को नियुक्त न करने पर, बैंक द्वारा ऊपर निर्दिष्ट दरों पर दंड लगाया जाएगा, जब बैंक के इंजीनियर द्वारा इसे लिखित रूप में / फोन पर नोटिस या रिपोर्ट किया जाएगा। दंड किसी भी देय राशि से वसूले जाएंगे जो ठेकेदार को देय हो या सुरक्षा जमा को प्रवर्तित करके वसूल किए जा सकते हैं।

धारा VII में उल्लिखित IGBC अनुमोदित उत्पादों के अलावा किसी अन्य सफाई उत्पाद/रसायन का उपयोग होने पर प्रति घटना 1000/- रुपये का दंड लगाया जाएगा।

7 कर

रोज़गारियों द्वारा मूल्य बोलियों के दर कॉलम में उद्धृत दरें सभी करों, GST, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, स्थानीय लेवी आदि को छोड़कर हों। विधि अनुसार केंद्र/राज्य सरकारों या किसी वैधानिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण को देय किसी भी अन्य कर/लेवी/शुल्क आदि को बिल/चालान जमा करते समय कर प्रतिशत दिखाते हुए कुल राशि में शामिल किया जाना चाहिए।

8 बीमा

8.1 सफल निविदाकर्ता को संविदा की राशि के लिए "सर्व जोखिम पॉलिसी जिसमें तृतीय पक्ष देयता शामिल है" और काम में लगे कार्यकर्ताओं के लिए **श्रमिक मुआवजा पॉलिसी** एक वर्ष के लिए लेने की आवश्यकता होगी, और यदि अनुबंध बैंक द्वारा नवीनीकृत किया जाता है तो उसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। ठेकेदार को संविदा के अनुसार कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी भी व्यक्ति, भवन या किसी तृतीय पक्ष को हुई हानि या नुकसान के लिए बैंक को हर्जना देना होगा। सभी तैनात कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन या प्रति कर्मचारी वास्तविक वेतन के न्यूनतम कवरेज के साथ श्रमिक मुआवजा बीमा पॉलिसी भी ली जानी चाहिए। इसका प्रतिलिपि बैंक को रिकॉर्ड के लिए जमा कराना अनिवार्य है।

8.1 ठेकेदार आवश्यक बीमा कवर (वर्कमेन क्षतिपूर्ति पॉलिसी), तीसरे पक्ष / सार्वजनिक देयता को बैंक द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ और बैंक और ठेकेदार (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जाएगा) के संयुक्त नाम पर बीमा पॉलिसी के रूप में लें और ऐसे जोखिमों के खिलाफ कार्य शुरू करने से पहले यह पॉलिसी जमा करें। कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी के तहत न्यूनतम कवरेज उन मजदूरों को दी गई मजदूरी की सीमा तक होगी, जिन्हें संविदा के पालन के लिए तैनात किया गया है।

8.2 तीसरे पक्ष की देयता पॉलिसी का कवरेज निम्नलिखित विवरण के अनुसार लिया जाना चाहिए:

- a) व्यक्तियों को चोट के लिए – प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना न्यूनतम ₹2 लाख
- b) संपत्ति को नुकसान के लिए – प्रति दुर्घटना न्यूनतम ₹5 लाख, वर्तमान बीमा दिशानिर्देशों के अनुसार कुल सीमा के अधीन

8.3 ठेकेदार सभी व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं को होने वाली चोटों और किसी भी संरचनात्मक और सजावटी संपत्ति नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, जो उसके स्वयं के या किसी नामित उप-ठेकेदार के कर्मचारियों के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे ऐसे चोट या नुकसान लापरवाही, दुर्घटना या किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न हो, जो किसी भी तरह से संविदा को निष्पादित करने से संबंधित हो। इस धारा को विशेषकर यह माना जाएगा कि इसमें किसी भी भवन को होने वाला नुकसान शामिल है, चाहे वह पास-पड़ोस में हो या अन्यत्र, और सड़कों, मार्गों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को होने वाला कोई भी नुकसान, साथ ही इस संविदा के अंतर्गत आने वाले भवनों और कार्यों को तुषार या अन्य मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाला सभी नुकसान भी शामिल है। ठेकेदार बैंक को प्रतिरक्षित करेगा और इसे किसी भी तरह की चोट या उक्त व्यक्तियों या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में हानिरहित रखेगा और साथ ही किसी भी ऐसी चोट या नुकसान के संबंध में किसी भी दावे के संबंध में सरकारी अधिनियमों या अन्यथा के तहत और साथ ही ऐसे दावों के फलस्वरूप किसी भी मुआवजे या नुकसान के पुरस्कार के संबंध में भी।

नोट: ये पॉलिसी काम के पूरा होने तक मान्य रहेंगी। यदि ठेकेदार ये नीतियां प्रदान नहीं करता है, तो बैंक स्वयं उपरोक्त बीमा नीतियां लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसका खर्च ठेकेदार के बिल से वसूल कर सकता है।

9 संविदा करार पर हस्ताक्षर

9.1 निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और पूर्वोक्त अनुबंध की शर्तें तथा तकनीकी विशिष्टताएँ, बैंक और निविदाकर्ता के बीच बाद में की गई पत्राचार, और दिया गया कार्य आदेश, सफल निविदाकर्ता के साथ किए जाने वाले अंतिम अनुबंध का आधार होंगे।

9.2 निविदाकर्ता यहां संलग्न अनुबंध की सामान्य शर्तों में दिए गए नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा और उसकी पेशकश पूरी तरह से वहां निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप होगी। निर्दिष्ट शर्तों और नियमों से कोई भिन्नता स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर इसे पढ़कर और समझकर व्यक्तिगत/सामूहिक रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

9.3 किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा सभी भागीदारों द्वारा या उस भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे प्रस्तावित संविदा में प्रवेश करने का आवश्यक अधिकार प्राप्त हो। अन्यथा, निविदा अस्वीकार किया जा सकता है।

9.4 बैंक से अपने/अपने निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और इसके तहत चौदह दिनों के भीतर सफल निविदाकर्ता को मसौदा संविदा के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा। करार पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति स्वयं बैंक और निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी करार मानी जाएगी, भले ही ऐसा संविदा बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं।

9.5 ठेकेदार किसी अन्य पार्टी को संविदा सौंप नहीं सकता। वह बैंक की लिखित सहमति के बिना संविदा का कोई भी हिस्सा उपठेका नहीं कर सकता। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक ठेकेदार को लिखित नोटिस देकर संविदा रद्द कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा जमा बैंक के लिए जब्त हो जाएगा, बिना ठेकेदार के खिलाफ उपलब्ध अन्य उपायों को प्रभावित किए।

10. आंशिक निविदा स्वीकार करने का अधिकार

बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह निविदा को पूरे या आंशिक रूप से उसी मूल्य पर स्वीकार कर सके जो निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत किया गया हो।

11. अन्य मुद्दे

11.1 ठेकेदार सभी कार्य बैंक के अधिकारियों के विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार ही करेगा। यदि बैंक के अधिकारियों के विचार में साइट की स्थिति के अनुरूप मामूली बदलाव करने की आवश्यकता हो और बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा।

11.2 बैंक के कर्मचारियों या बैंक में तैनात किसी अन्य ठेकेदारी कर्मियों द्वारा सुविधा प्रबंधक/पर्यवेक्षक या ठेकेदार द्वारा तैनात सभी मजदूरों के खिलाफ किसी भी यौन उत्पीड़न की शिकायत गंभीरता से देखी जाएगी और कानून के अनुसार निपटाई जाएगी।

12 मध्यस्थता द्वारा विवादों का निवारण:

12.1 किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद जो संविदा के कारण या उसके क्रियान्वयन से उत्पन्न होते हैं (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान हों या उसके पूर्ण होने के बाद और चाहे अनुबंध के समाप्त होने, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद हों) बैंक के पास संदर्भित किए जाएंगे और बैंक द्वारा लिखित रूप में उनका निर्णय किया जाएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र या किसी अन्य रूप में हो सकता है। किसी भी अपवादित मामलों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा। लेकिन यदि ठेकेदार किसी भी मामले से असंतुष्ट है, तो वह ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरी पार्टी यानी बैंक को लिखित सूचना दे सकता है, जिसमें झगड़े वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजने की आवश्यकता बताई जाए। ऐसी लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी, जो विवाद या मतभेद में हैं और जिनके संबंध में यह लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो इसके लिए एक एकल मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामांकित करेंगे। दोनों पक्षों द्वारा नामांकित दो मध्यस्थ एक और व्यक्ति को तृतीय मध्यस्थ या न्यायाधीश के रूप में नामांकित करेंगे।

12.2 मध्यस्थ या मध्यस्थों के पास, जैसा कि मामला हो, किसी भी प्रमाणपत्र, राय, निर्णय, अनुरोध या नोटिस की समीक्षा, पुनरावलोकन और संशोधन करने की शक्ति होगी, सिवाय उन अपवादात्मक मामलों के, जो पूर्ववर्ती प्रावधान में उल्लिखित हैं, और सभी विवादों के मामलों का निर्धारण करने की शक्ति होगी, जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनकी सूचना ऊपर वर्णित अनुसार दी गई होगी।

12.3 मध्यस्थ या मध्यस्थक, जैसा कि मामला हो, अपने पुरस्कार की घोषणा संदर्भ में प्रवेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या ऐसा अधिक समय जो वह या वे पक्षों की सहमति से तय कर सकें) करेंगे। यदि मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्ष अपने विवाद या मतभेद का आपसी करार या समाधान कर लेते हैं, और पक्ष अपने संयुक्त समझौते या समाधान का ज्ञापन दर्ज करते हैं, तो मध्यस्थ या मध्यस्थक, जैसा कि मामला हो, ऐसे करार या समाधान के अनुसार पुरस्कार करेंगे।

12.4 किसी भी ऐसे संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार से संबंधित खर्च पर निर्णय मध्यस्थ या मध्यस्थक, जैसा कि मामला हो, के विवेक पर होगा, जो इसका राशि तय कर सकते हैं या इसे पक्षों के बीच व्यय करने के लिए कर सकते हैं और यह निर्देश देंगे कि किसके द्वारा, किसे और किस प्रकार इसका भुगतान किया जाएगा।

12.5 इस प्रस्तुतिकरण को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी सांविधिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए सबमिशन माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जिस परिस्थिति में भी हो,

पक्षों के लिए अंतिम और बंधनकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों को करने में विलंब नहीं करेगा, बल्कि पूरी तत्परता के साथ कार्य जारी रखेगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय नहीं आता, बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जिस परिस्थिति में भी हो, ठेकेदार को कामों के वास्तविक क्रियान्वयन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक और ठेकेदार यह भी सहमति देते हैं कि इस प्रावधान के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए पूर्व शर्त होगी।

13. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/नियम और ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम/नियम और अन्य लागू कानूनों/नियमों/सूचनाओं की आवश्यकताओं का पालन

13.1 ठेकेदार जिम्मेदार होगा कि वह आवश्यकता पड़ने पर खुद को ठेकेदार श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 / ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत पंजीकृत कराए। ठेकेदार ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वहां और श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय द्वारा निर्धारित सभी रिकॉर्ड बनाए जाएं।

13.2 ठेकेदार अपने मजदूरों को उनके वेतन का भुगतान 1948 के न्यूनतम वेतन अधिनियम और 1950 के न्यूनतम वेतन (केन्द्रीय) नियमों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार न्यूनतम वेतन के संबंध में आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखेगा जैसा कि न्यूनतम वेतन अधिनियम / नियमों / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नोटिफिकेशनों के तहत आवश्यक है। ठेकेदार एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें उनके मजदूरों को भुगतान किए गए वेतन का विवरण, महीनेवार और कार्यवार, प्रत्येक कर्मचारी के हस्ताक्षर के साथ होगा जो प्राप्त भुगतान को स्वीकार करते हैं। यह रजिस्टर संबंधित महीने के अगले महीने की 10 तारीख तक बैंक के एसिस्टेंट जनरल मैनेजर, एस्टेट विभाग को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

13.3 ठेकेदार सभी दस्तावेज़ों, रजिस्टरों और अभिलेखों को बनाए रखेगा, जैसा कि ठेका श्रम (पंजीकरण एवं अभिलेख) अधिनियम, 1970 / अनुबंध मजदूर (पंजीकरण एवं अभिलेख) केंद्रीय नियम, 1971, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और न्यूनतम वेतन (केंद्रीय) नियम 1950 तथा संबंधित श्रम और सामान्य कानून/नियम और अधिसूचनाओं के तहत आवश्यक है, और इन्हें बैंक या इसके अधिकारियों तथा श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के अधिकारियों या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण, जिन्हें संबंधित कानून/नियमों के तहत ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं, के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा।

13.4 ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के माध्यम से न्यूनतम वेतन की दरों में कोई परिवर्तन लागू हुआ है या नहीं और वह उक्त परिवर्तनों को कार्यान्वित करेगा तथा अपने कर्मचारियों का वेतन तदनुसार तुरंत प्रभाव से भुगतान करेगा और इस संबंध में सभी अभिलेखों को अद्यतन रखेगा तथा बैंक को उक्त विकास की जानकारी देगा और आवश्यक दस्तावेज़ी प्रमाण बिना विलंब प्रस्तुत करेगा।

13.5 ठेकेदार अपने कर्मचारियों पर लागू श्रम कानूनों जैसे कि वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1970, पी.एफ. एवं ईएसआई अधिनियम के भुगतान, कामगार मुआवजा अधिनियम आदि के सभी वैधानिक शर्तों और आवश्यकताओं का पालन और क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी सरकारी दायित्वों का भी पालन करेगा।

13.6 ठेकेदार वर्तमान श्रम कानूनों और अन्य कानून / नियम / विनियमों के अनुसार सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक किसी भी प्रकार से ठेकेदार की किसी भी कार्रवाई, चूक या कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में बैंक या उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

13.7 उस श्रमिक के लिए, जिन्हें ठेकेदार द्वारा बैंक में अनुबंध कार्य निष्पादित करने के लिए तैनात किया गया है, पीएफ (नियोक्ता और कर्मचारी) और ईएसआई के वैधानिक योगदान की भुगतान की प्रमाणिक प्रति चुने हुए ठेकेदार/एजेंसी द्वारा हर महीने दावा बिल के साथ बैंक को प्रदान की जानी चाहिए, अन्यथा दावा बिल का निपटान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार को अनुबंधित मजदूर (नियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या किसी अन्य लागू कानून के तहत निर्धारित लाइसेंस प्राप्त करना होगा, अन्यथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली कार्रवाई/कार्यवाहियों के लिए केवल वही जिम्मेदार होगा। बैंक को ठेकेदार के कृत्यों, कामों या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी प्रकार से ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा। मुख्य नियोक्ता यानी ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मजदूरी रजिस्टर (या स्थिति अनुसार मजदूरी-कम-मस्टर रोल रजिस्टर) के अंत में अपने हस्ताक्षर के तहत निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाणित किया जाएगा:

“सत्यापित किया जाता है कि कॉलम संख्या... में दिखाया गया राशि संबंधित कामकाजी को उनके/उनकी बैंक खाता ... में सीधे क्रेडिट द्वारा भुगतान की गई है....”

13.8 ठेकेदार को ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा और उन्हें पूरा करना होगा और उसे अपने द्वारा नियोजित मजदूरों को CLRA अधिनियम के तहत निर्धारित सभी सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी और उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं देना होगा। उसे बैंक को उन सभी कार्रवाइयों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव से बचाए रखना होगा, जो उसके द्वारा ऐसे वेतन न देने और आवश्यक सुविधाएँ न प्रदान करने की वजह से वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जा सकती हैं। उसे बैंक को एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मूल्य 100/- रुपये के प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि निर्धारित प्रारूप में है, समझौते के साथ, यह प्रमाण देते हुए कि उसके द्वारा नियोजित मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान किया गया है।

14 संपूर्ण वार्षिक रखरखाव संविदा (CAMC) - नवीनीकरण के लिए दरें

ये दरें AMC के पहले वर्ष के लिए स्थिर रहेंगी और इन शुल्कों को भी 'प्रस्तावों का मूल्यांकन' القسم में निर्दिष्ट के अनुसार टेंडर का मूल्यांकन करते समय माना जाएगा। आगे AMC की नवीनीकरण राशि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

	Ap	MPc	Wlc
AC=	-----	(15 + 55 x -----)	+ 30x -----)
	100	MPp	Wlp
Ac	=	वर्तमान वर्ष के लिए AMC राशि।	
Ap	=	पिछले वर्ष की AMC राशि।	
MPc	=	वर्तमान वर्ष के अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले धातु उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक।	
MPp	=	पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले धातु उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक।	
Wlc	=	वर्तमान वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले औद्योगिक श्रमिकों (तिरुवनंतपुरम) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।	
Wlp	=	औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (तिरुवनंतपुरम) अनुबंध की प्रारंभ तिथि से पूर्व वर्ष के छह महीने पहले।	

संचालन संविदा:

संचालन अनुबंध एक वर्ष के बाद निम्नलिखित सूत्र के आधार पर नवीनीकृत किया जाएगा।

	Ap	Wlc
AC=	-----	(10 + 90x -----)
	100	Wlp
Ac	=	वर्तमान वर्ष के लिए संचालन लागत राशि।
Ap	=	पिछले वर्ष के लिए संचालन लागत राशि।
Wlc	=	वर्तमान वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले औद्योगिक श्रमिकों (तिरुवनंतपुरम) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
Wlp	=	औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (तिरुवनंतपुरम) अनुबंध की प्रारंभ तिथि से पूर्व वर्ष के छह महीने पहले।

15 सभी कामगारों / पर्यवेक्षकों / अधिकारियों के बैंक परिसर में प्रवेश के लिए पुलिस सत्यापन:

सफल निविदाकर्ता को सभी तैनात कामगारों / पर्यवेक्षकों / अधिकारियों की पहचान रिकॉर्ड के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से आवश्यक पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जमा करना होगा। तैनाती में किसी भी परिवर्तन को भी उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बिना किसी देरी के जमा करना आवश्यक है।

मैं/हम यहां घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा की मात्रा के कार्यक्रम और भाग ॥ की सामग्री को पढ़ा और समझा

है और ऊपर उल्लिखित सभी शर्तों को भी पढ़ा और समझा है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है, तो ये शर्तें मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेंगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

साक्षी:

पता:

तारीख:

खंड VI

व्याख्या खंड में संदर्भित शर्तें

इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्रा की अनुसूची और संविदा करार की व्याख्या करते समय, निम्नलिखित शब्दों को यहां उन्हें सौंपे गए अर्थों के अनुसार समझा जाएगा, सिवाय इसके कि विषय या संदर्भ अलग अर्थ की आवश्यकता हो।

(ए)	"नियोक्ता/बैंक"	इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय होगा और इसमें इसके अधिकार प्राप्तकर्ता और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
(बी)	"ठेकेदार" (साझेदारी के मामले में)	"ठेकेदार" का अर्थ _____ और _____ नाम पर व्यापार और शैली और _____ एक स्थान पर होने _____ और उक्त फर्म के वर्तमान साझेदार और मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि सहित शामिल होंगे।
	(व्यक्तिगत मामले में)	"ठेकेदार" अर्थ श्री _____ नाम पर व्यापार और शैली का _____ और इसमें उसके वारिस, उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(कंपनी के मामले में)	"ठेकेदार" का तात्पर्य _____ होगा कंपनी इनकॉरपोरेटेड के अंतर्गत _____ और इसका पंजीकृत होना कार्यालय _____ और इसमें इसके उत्तराधिकारी और वारिस भी शामिल होंगे।
(सी)	"साइट"	इसका अर्थ होगा संविदा कार्यस्थल, जिसमें वहां किसी भी भवन और निर्माण शामिल हैं, और किसी अन्य भूमि (समावेशी रूप से) जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिसे ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आबंटित किया गया हो।
(डी)	"यह अनुबंध"	इससे करार की शर्तें, विशेष शर्तें, निबंधन, मात्रा और विनिर्देशों का कार्यक्रम आदि, जो इसके साथ संलग्न और सही ढंग से हस्ताक्षरित हैं, मतलब होगा।
(ई)	"बैंक का सुरक्षा अधिकारी/केयरटेकर"	'बैंक का अधिकारी/केयरटेकर' शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित किया जाएगा जिसे नियोक्ता द्वारा कार्यों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया हो। ठेकेदार को बैंक के अधिकारी/ केयरटेकर को कार्य और सामग्री का निरीक्षण/ केयरटेकर करने और समय तथा सामग्री की जाँच और माप करने के लिए सभी सुविधाएँ और सहायता प्रदान करनी होगी। न तो बैंक का अधिकारी/ केयरटेकर और न ही बैंक का कोई प्रतिनिधि कार्यों को निर्धारित करने, संविदा की किसी भी आवश्यकता को रद्द, बदल, विस्तारित या ढीला करने, किसी भी दैनिक कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या छूट को स्वीकृत करने या किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए प्राधिकृत होगा, सिवाय इसके कि ऐसी अनुमति बैंक के इंजीनियर के लिखित आदेश और नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति से विशेष रूप से प्रदान की गई हो।

		बैंक का अधिकारी/ केयरटेकर या बैंक का कोई प्रतिनिधि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री की अप्रत्याशित स्वीकृति न होने की सूचना देने का अधिकार रखेगा और ऐसे कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसे सामग्री के उपयोग को बंद कर दिया जाएगा। बैंक का अधिकारी/ केयरटेकर समय-समय पर कार्य की जांच करेगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी प्रकार से ठेकेदार को किसी भी दोष को सुधारने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी, जो कार्य के किसी भी चरण में या कार्य पूरा होने के बाद पाए जा सकते हैं। इस धारा की सीमाओं के अधीन, ठेकेदार केवल बैंक के अधिकारी/देखभालकर्ता से ही निर्देश लेगा।
(एफ)	"लिखित सूचना"	लिखित नोटिस का अर्थ है ऐसा नोटिस जो लिखित, टाइप किया हुआ या मुद्रित अक्षरों में भेजा गया हो (जब तक कि इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं सौंपा गया हो या अन्यथा यह प्रमाणित न हो कि इसे प्राप्त किया गया है) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यापारिक पते पर भेजा गया हो, और सामान्य डाक प्रक्रिया में इसे प्राप्त माना जाएगा।
(जी)	"दिवालियापन अधिनियम"	इसका मतलब होगा कोई भी दिवालियापन कृत्य जैसा कि प्रेसिडेंसी टाउन्स इनसॉल्वेंसी एक्ट या प्रान्तीय इनसॉल्वेंसी एक्ट या किसी अन्य अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है जो ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करता हो।
(एच)	"शुद्ध मूल्य"	यदि संविदा राशि पर पहुंचने में, ठेकेदार ने निविदा में कुल मदों में से एक राशि को प्रतिशत के रूप में या अन्यथा जोड़ा या घटाया होगा, तो निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य उस वस्तु की कीमत के रूप में निविदा में दिखाई देने वाले वास्तविक आंकड़े से उस वस्तु के समान प्रतिशत या अनुपात के रूप में जोड़कर या घटाकर प्राप्त राशि होगी ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ा या काटा गया, किसी भी प्राइम कॉस्ट आइटम की कुल राशि और अनन्तिम रकम निविदा की कुल राशि से काट ली जाएगी। अभिव्यक्ति "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्यें" जब संविदा या खातों के संदर्भ में उपयोग की जाती हैं, तो दरों या कीमतों का मतलब इस तरह से प्राप्त किया जाएगा।
(मे)	"काम"	इसका तात्पर्य यहां उल्लिखित नियोक्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टाफ कार्टर्स, तम्मलम, तिरुवनंतपुरम-695 012 में स्थापित 56 KLD कॉम्पैक्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दिन-प्रतिदिन का संचालन और व्यापक रखरखाव कार्य प्रदान करना होगा।

1. संविदा का दायरा

ठेकेदार इस कार्य को प्रत्येक पहलू में इस संविदा के अनुसार और नियोक्ता की निर्देशानुसार तथा संतोषप्रद तरीके से पूरा करेगा। नियोक्ता अपने पूर्ण विवेकानुसार और समय-समय पर लिखित निर्देश, विवरण, मार्गदर्शक और व्याख्या जारी कर सकता है, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से “नियोक्ता के अनुदेश” कहा जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- a) कार्य की गुणवत्ता या मात्रा में बदलाव या संशोधन, किसी भी कार्य का जोड़ना, हटाना या स्थानापन्न करना।
- b) मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में कोई विसंगति।
- c) साइट से ठेकेदार द्वारा लाए गए किसी भी सामग्री को हटाना और उसकी जगह कोई दूसरी सामग्री का उपयोग करना।
- d) वहां पर किसी भी व्यक्ति को कार्य से हटाना।

ठेकेदार तत्काल उन सभी कार्यों का पालन करेगा और उन्हें सही तरीके से निष्पादित करेगा जो ऐसे नियोक्ता के अनुदेशों में शामिल हों, बशर्ते कि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को कार्य स्थल पर दिए गए मौखिक अनुदेशों, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, यदि किसी परिवर्तन से संबंधित हों, तो उन्हें ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जानी चाहिए, और यदि नियोक्ता द्वारा आगे सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति नहीं जताई गई, तो इसे अनुबंध की सीमा के भीतर नियोक्ता के निर्देश के रूप में माना जाएगा।

2. कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

ठेकेदार को नियोक्ता के अनुरोध पर उन किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से हटाना होगा, जो ठेकेदार द्वारा कार्यरत हैं और जिसे नियोक्ता की राय में अयोग्य या अपने आचरण में अनुचित पाया गया हो। ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को नियोक्ता की अनुमति के बिना पुनः कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।

3. कार्यों तक पहुँच

नियोक्ता और उनके संबंधित प्रतिनिधियों को सभी उचित समयों पर कार्यों और/या कार्यशालाओं, फैक्ट्रियों या अन्य स्थानों तक मुफ्त पहुँच होगी जहाँ सामग्री रखी है और जहाँ से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है, और ठेकेदार नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों को सामग्री और कर्मकौशल के निरीक्षण, परीक्षा और परीक्षण के लिए हर सुविधा प्रदान करेगा। कोई भी व्यक्ति, जब तक कि नियोक्ता द्वारा अधिकृत न हो, सार्वजनिक अधिकारियों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, किसी भी समय कार्यों पर उपस्थित नहीं हो सकेगा।

4. असाइनमेंट और उप-किराया

संविदा में शामिल सभी कार्यों को ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार सीधे या परोक्ष रूप से संविदा या इसका कोई हिस्सा, शेयर या उसमें किसी प्रकार की रुचि को अप्रिम लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित, असाइन या उप-किराए पर नहीं दे सकता, और कोई भी प्रतिज्ञा ठेकेदार को संविदा की पूरी और संपूर्ण जिम्मेदारी या कार्यों की प्रगति के दौरान सक्रिय निरीक्षण से मुक्त नहीं करेगी। इस अनुबंध को कोई भी परिवर्तन, विलोपन या विविधता अवैध नहीं करेगा, लेकिन यदि नियोक्ता कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय यह उचित समझता है कि कार्यों में कोई परिवर्तन, जोड़ या विलोपन किया जाए या उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री की प्रकार या गुणवत्ता में कोई

परिवर्तन किया जाए और इस बारे में अपने हस्ताक्षर के साथ ठेकेदार को लिखित सूचना देता है, तो ठेकेदार को इस सूचना के अनुसार बदलना, जोड़ना या विलोप करना होगा। लेकिन ठेकेदार किसी भी अतिरिक्त कार्य को करने, किसी भी प्रकार के परिवर्तन या जोड़ करने या विलोपन करने या अनुबंध, शर्तें, विनिर्देशों या अनुबंध की किसी भी प्रावधान से विचलन करने का कार्य बिना नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के नहीं करेगा, और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, जोड़ या विलोपन का मूल्य प्रत्येक मामले में नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा, नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा कि मामला हो।

5. मात्रा सूची की पर्याप्तता

ठेकेदार को निविदा प्रस्तुत करने से पहले खुद यह सुनिश्चित करना होगा कि इस कार्य के लिए यह निविदा सही और पर्याप्त है और मात्रा सारणी और/या दरों और कीमतों की सारणी में दिए गए मूल्य सभी उसके अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों को कवर करते हैं, और कार्यों की उचित Completion के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को शामिल करते हैं।

6. व्यक्ति और सम्पत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा

ठेकेदार किसी भी व्यक्ति, पशु या वस्तु को हुए सभी चोटों के लिए, और किसी भी संरचनात्मक और साज-सज्जा वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, जो कि उसके स्वयं के संचालन या लापरवाही या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की लापरवाही से उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे यह चोट या नुकसान लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हो, और किसी भी तरह से इस संविदा के निष्पादन से संबंधित हो। इस धारा में विशेष रूप से किसी भी इमारत को हुए किसी भी नुकसान को शामिल माना जाएगा, चाहे वह तुरंत स्टें हों या नहीं, और किसी भी सड़क, गलियों, फुटपाथ, पुलों या मार्गों को हुए किसी भी नुकसान के साथ-साथ, इस संविदा के विषय वाले भवनों और कार्यों को हुए नुकसान को भी शामिल किया जाएगा, चाहे वह नुकसान झाड़, वर्षा, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूलताओं से हुआ हो। ठेकेदार नियोक्ता को ऐसी किसी भी चोट या संपत्ति को हुए नुकसान से संबंधित सभी और किसी भी खर्चों के लिए हजारिना देगा और उसे सुरक्षित रखेगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और साथ ही किसी भी कानून या अन्यथा के तहत चोट या नुकसान से संबंधित किसी भी दावे के लिए, और साथ ही ऐसे दावे के परिणामस्वरूप किसी भी मुआवजे या क्षतिपूर्ति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी।

ठेकेदार इस क्लॉज में उल्लिखित सभी प्रकार के नुकसान की मरम्मत करेगा, ताकि पूरा संविदा कार्य प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण और संपूर्ण रूप में सौंपा जा सके और ताकि तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के सभी दावों को सही किया जा सके या अन्यथा संतोषजनक ढंग से निपटाया जा सके।

ठेकेदार नियोक्ता को ऐसे सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति देगा जो किसी भी आम जनता के सदस्य या अन्य तीसरी पार्टी द्वारा ठेकेदार के कार्यों या उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं और अपने खर्च पर, संविदा की आभासी पूर्णता तक, एक मान्य कार्यालय के साथ ऐसी जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा नीति लागू करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी नीति या नीतियाँ नियोक्ता के पास जमा करेगा। ठेकेदार इसी तरह नियोक्ता को सभी क्लोस्स से प्रतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं, चाहे वह वर्कमेनेज़ कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत हों या इस संविदा की अवधि के दौरान किसी अन्य प्रवर्तन कानून के तहत या सामान्य कानून के तहत किसी भी ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार के कर्मचारी के संबंध में हों, और अपने खर्च पर, संविदा की आभासी पूर्ति तक, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर अनुमोदित कार्यालय के साथ ऐसी

जोखिमों के खिलाफ बीमा पॉलिसी का प्रबंध और रखरखाव करेगा और संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा। ठेकेदार उस किसी भी देयता के लिए जिम्मेदार होगा जिसे उपरोक्त उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा गया हो और साथ ही किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को होने वाले अन्य सभी नुकसान के लिए भी, जो इस संविदा के लापरवाहीपूर्ण या दोषपूर्ण निष्पादन से उत्पन्न या उससे संबंधित हो। वह नियोक्ता को किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क या खर्च के संबंध में और इसके अलावा किसी भी मुआवजे या हर्जनि के पुरस्कार के संबंध में भी क्षतिपूर्ति देगा।

नियोजक को किसी भी ऐसे दावों या नुकसान से उत्पन्न या संबंधित किसी भी नुकसान, मुआवजा, लागत, शुल्क और खर्च की राशि को ठेकेदार को देय या भविष्य में देय किसी भी राशि से काटने का अधिकार होगा, बिना इससे संबंधित नियोजक के अन्य अधिकारों पर कोई असर डाले।

7. नियोक्ता के अनुदेशों का पालन न करने पर ठेकेदार की असफलता

यदि ठेकेदार को नियोक्ता से लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद, जो कि 10 दिनों के भीतर पालन करने की आवश्यकता बताती है, किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता को स्वतंत्रता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नियुक्त करे और भुगतान करे, जो उस कार्य को करने के लिए आवश्यक हो जिससे इन निर्देशों को प्रभावी बनाया जा सके, और इससे संबंधित सभी खर्च ठेकेदार से वसूल किए जा सकते हैं या उन्हें नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से कटौती की जा सकती है।

8. नियोक्ता द्वारा संविदा का समाप्ति

यह संविदा 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए मात्र है, और बैंके को संविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में या ठेकेदार की सेवा से संतुष्ट न होने की स्थिति में एक माह की अग्रिम सूचना देकर संविदा समाप्त करने का अधिकार है, ऐसी स्थिति में ठेकेदार किसी भी मुआवजे/क्षति के हकदार नहीं होगा और सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाएगी।

9. ठेकेदार द्वारा संविदा का समाप्ति

ठेकेदार, यदि चाहे, बैंके को एक माह की सूचना देकर संविदा समाप्त कर सकता है। सूचना अवधि बैंके द्वारा नोटिस प्राप्त करने के दिन से गणना शुरू होगी।

10. नियोक्ता द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले मामले

इस करार के किसी भी या सभी मामलों के संबंध में निर्णय, राय, दिशा, प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर) अंतिम और निर्णयिक होंगे और यहां उपस्थित पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे तथा इन पर कोई अपील नहीं की जा सकेगी। नियोक्ता का कोई अन्य निर्णय, राय, दिशा, प्रमाणपत्र या मूल्यांकन, या नियोक्ता द्वारा इनमें से किसी को देने से इंकार करना, यहां निर्दिष्ट पंचटाली और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, सभी मामलों में उसी प्रकार (संदर्भ खोलने के प्रावधान सहित) जैसा कि यह नियोक्ता का निर्णय हो।

11. नियोक्ता को कामगारों को दिए गए मुआवजे की वसूली का अधिकार

यदि, किसी कारण से, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या किसी सांविधिक संशोधनों या उसके पुन अधिनियमन के उपबंधों के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूलने का हकदार होगा और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। नियोक्ता इस तरह की राशि या उसके किसी भी हिस्से को सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा इस संविदा के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि से या अन्यथा वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और नियोक्ता को सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए पूर्ण सुरक्षा देने पर, जिसके लिए नियोक्ता इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

12. ठेकेदार, यदि व्यक्ति हो के निधन की स्थिति में नियोक्ता के लिए संविदा समाप्त करने का अधिकार

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपायों को प्रभावित किए बिना, यदि ठेकेदार एक व्यक्ति हैं और उनका निधन हो जाता है, तो नियोक्ता के पास ऐसा संविदा समाप्त करने का विकल्प होगा और इसके लिए किसी भी प्रकार की देयता से मुक्त रहेगा।

13. सीमांत नोट्स

यहाँ और अनुबंध में दिए गए शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और इन्हें इस संविदा तथा इसके अनुबंध की व्याख्या के लिए किसी भी तरह से विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

पता

खंड VII

निबंधन और शर्तें

1. संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी, बशर्ते प्रदर्शन संतोषजनक हो, जब तक कि इसे बैंक द्वारा सेवा की कमी, प्रयुक्त सामग्रियों की घटिया गुणवत्ता, अनुबंध का उल्लंघन, कार्य की आवश्यकता में कमी या समाप्ति के कारण कम न किया जाए या समाप्त न किया जाए। अनुबंध की समाप्ति पूर्व सूचना जारी करके की जाएगी। ऐसी स्थिति में ठेकेदार को एक महीने की नोटिस अवधि दी जाएगी और सुरक्षा जमा राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
2. ठेकेदार और उसके कर्मियों को बैंक की संपत्ति का उचित और यथार्थपूर्ण ध्यान रखना चाहिए और बैंक द्वारा उन्हें दिए गए जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों को खोने, नष्ट होने, बर्बाद होने या दुरुपयोग से बचाना चाहिए।
3. सफाई का कार्य यूनिफॉर्मधारी, स्वच्छता-सचेत कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।
4. ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के काम की निगरानी करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षी कर्मचारियों को विशेष रूप से नियुक्त या पर्यवेक्षण करना होगा ताकि प्रदान की जाने वाली सेवाओं को उच्च रखरखाव मानकों के अनुसार पूरा किया जा सके।
5. ठेकेदार केवल सक्षम, शारीरिक रूप से स्वस्थ, अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त और अनुशासित कर्मचारियों को ही कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। साथ ही, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य के दायरे में निर्दिष्ट न्यूनतम संख्या में लोग तथाकथित अनुपात में तैनात हों। ठेकेदार उन पुरुष/महिला को नियुक्त करेगा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो कार्य के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो।
6. ठेकेदार की कोई भी लापरवाही, जो बैंक के इंजीनियर की राय में संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या कर्मचारियों को चोट पहुँचाने का कारण बन सकती हो, अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. यह कार्य निवासियों को न्यूनतम असुविधा पहुँचाते हुए किया जाना चाहिए।
8. ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के कार्य समय का विवरण निर्दिष्ट करना चाहिए और इसका विवरण संबंधित कॉलोनियों के केयरटेकर/सुरक्षा गार्ड के साथ रखा जाएगा। काम के समय के बाद किसी भी कर्मचारी को परिसर के अंदर रुकने की अनुमति नहीं होगी।
9. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को हटा देने की मांग कर सके, जिसे ठेकेदार द्वारा नियोजित किया गया हो और जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम और अनुशासित न पाया जाए।
10. ठेकेदार के पास अपने द्वारा उक्त कार्य के लिए लगाए जाने वाले मजदूरों के पते और फोटोग्राफ उपलब्ध होने चाहिए। केवल बैंक द्वारा जारी फोटोपास प्रस्तुत करने पर मजदूरों को भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और उन्हें बैंक द्वारा लागू सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। केवल ठेकेदार स्वयं/अपने कार्यकर्ताओं के आचरण के लिए जिम्मेदार होंगे।
11. संविदा प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर, ठेकेदार को अपने कर्मियों के चरित्र और पिछले रिकॉर्ड की पुलिस

सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी और इस अनुबंध के तहत आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, नाम और स्थायी पते जैसी अन्य जानकारियाँ और उनके पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराना होंगे, इससे पहले कि उन्हें बैंक परिसर में छ्यूटी के लिए लगाया जाए। केवल सक्षम, शारीरिक रूप से फिट, अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त, साक्षर, अनुशासित और ईमानदार कर्मियों को तैनात किया जाएगा।

12. ठेकेदार को एक हाजिरी रजिस्टर बनाए रखना होगा, जिसे नामित बैंक के कर्मचारियों द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित किया गया हो, और प्रत्येक माह के बिलों के साथ इसकी प्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा किसी भी भुगतान को रिलीज़ नहीं किया जाएगा।

13. ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें विशिष्ट रूप से 1970 के कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट / 1948 के न्यूनतम वेजेस एक्ट के अनुसार होंगी और साथ ही भारत सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित किसी भी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए होंगी। जिन निविदाओं में निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम दरें उद्धृत की गई होंगी, उन्हें बिना किसी मूल्यांकन के अस्वीकृत कर दिया जाएगा और ₹1 ठेकेदार निर्धारित करने के उद्देश्य से उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

14. सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता अपने सामग्री और कर्मियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और कार्य स्थल में अपने कार्य हिस्से सहित हमेशा आग रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

15. ठेकेदार किसी भी उप-ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से ठेका हस्तांतरित नहीं करेगा और ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मी/कर्मचारी किसी भी प्रकार की कृतज्ञता या इनाम स्वीकार नहीं करेंगे।

16. इच्छुक निविदाकारों को बैंक से पूर्व अनुमति लेकर साइट का निरीक्षण करने और अपने दरों की पेशकश से पहले बनाए जाने वाले क्षेत्र और किए जाने वाले कार्य की सटीकता सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।

17. सफाई और दैनिक संचालन तथा निवारक रखरखाव के लिए आवश्यक सभी उपभोज्य और प्रयोज्य पर्यावरण-अनुकूल होने चाहिए और आईजीबीसी द्वारा स्वीकृत किसी भी ब्रांड से होने चाहिए और इन्हें संविदाकर्ता/एजेंसी अपने स्वयं के खर्च पर खरीदेंगे।

18. शामिल की गई कामगार को कचरे (बायो-डीग्रेडेबल और नॉन-डीग्रेडेबल और रीसायक्लेबल वेस्ट) के प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि कचरा निपटान पर्यावरण को प्रभावित किए बिना प्रदूषण नियंत्रण निर्देशों के अनुसार सही ढंग से किया जा सके।

19. उद्धृत शुल्क में तैनात किए गए मनुष्य शक्ति, उपयोग किए गए सामग्री, ओवरहेड शुल्क और कुशल सेवाओं के लिए तैनात मशीनरी/उपकरण की लागत शामिल होगी और यह चालान प्रस्तुत करने पर मासिक आधार पर देय होगी। भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब इसके प्रमाण को केयरटेकर/बैंक के इंजीनियर द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद कि सेवाएं संतोषजनक रूप से प्रदान की गई हैं, प्रमाणित कर दिया जाए और सभी वैधानिक देयता/कर आदि घटाने के बाद।

20. रखरखाव कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामग्री/स्पेयर अनुमोदित गुणवत्ता के होने चाहिए और इसका उपयोग करने से पहले बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

21. कर्मचारियों को भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए और इसका प्रमाण बिलों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
22. सभी सांविधिक लाभ जैसे ईपीएफ, बोनस, ईएसआई और अन्य कानूनी भुगतान आदि ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने चाहिए और इसका प्रमाण बिलों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
23. यदि बैंक को ठेकेदार की सेवाएँ संतोषजनक पाई जाती हैं और यदि बैंक चाहे तो, तो अनुबंध को समान शर्तों और नियमों पर दो साल के लिए आगे नवीनीकरण के लिए माना जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
24. संयंत्र संचालन और रखरखाव की समय-समय पर बैंक के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी।
25. कार्य को बैंक के अधिकारियों के निर्देशानुसार सख्ती से किया जाएगा।
26. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पानी का उपयोग बिना किसी बर्बादी के समझदारी से किया जाए।
27. ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा कि वह उन प्रावधानों या किसी भी अधिनियम या उसके तहत केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे, जो उनके द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर लागू होते हैं। बैंक किसी भी प्रावधान के पालन न करने के मामले में जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह राज्य/केंद्रीय सरकार के नियमों का उल्लंघन क्यों न हो।
28. बैंक के पास बिना किसी कारण बताए एक महीने की नोटिस अवधि के साथ समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार को समझौते की समयपूर्व समाप्ति के लिए कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे मामलों में सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। समाप्ति नोटिस में दी गई नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले, ठेकेदार को परिसर खाली कर देना होगा।
29. इस करार से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
30. बैंक ठेकेदार और/या उसके कर्मचारियों / पर्यवेक्षकों आदि को बैंक परिसर में किसी भी प्रकार का आवास प्रदान नहीं करेगा।
31. ठेकेदार अपने नाम पर आवश्यक लाइसेंस और परमिट अपने खर्च पर प्राप्त करेगा और किसी भी वैधानिक आवश्यकता के पालन न करने के कारण होने वाली किसी भी हानि से बैंक को सुरक्षित रखेगा।
- मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन हेतु अनुदेशों को पढ़ा और समझ लिया है और उनका पालन करेंगे।

दिनांक:

ठेकेदार के हस्ताक्षर के साथ मुहरः

स्थानः

संपर्क नंबर के साथ नाम और पता :

खंड VIII

कार्य का विस्तृत दायरा

1. कार्य के दायरे की सूची केवल संकेतात्मक है। किसी भी रखरखाव का कार्य जो नीचे विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है लेकिन संबंधित प्रणाली के स्वस्थ संचालन और उपयोगकर्ता विभाग की संतुष्टि के लिए आवश्यक है / बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार, उसे कार्य के दायरे का हिस्सा माना जाएगा।

2. नीचे उल्लेखित कार्य का दायरा फर्म / एजेंसी / ठेकेदार से अपेक्षित न्यूनतम कार्य है। इसके अतिरिक्त, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और किसी भी अन्य कार्य जो संबंधित उपकरणों के संचालन और रखरखाव मैनुअल के अनुसार और अच्छे इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुसार सही तरीके से संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक हैं, इसे इस कार्य दायरे के तहत किया जाना आवश्यक होगा। सफल बोलीदाता निम्नलिखित न्यूनतम कार्य अनुसूची/पैरामीटर रिकॉर्ड करने के लिए प्रोफार्मा बनाएगा और इन कार्यों की सही पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसे नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा।

3. कार्य का दायरा सभी सातों दिनों में संयंत्र के संचालन और रखरखाव को कवर करेगा, जिसमें नियमित, निवारक और समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार बड़े/विशेष रखरखाव कार्य शामिल होंगे, जो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया स्टाफ़ क्वार्टर, थमलम में एसटीपी के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। संचालित और रखरखाव किए जाने वाले पौधों का संक्षिप्त विवरण:

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट- 56 केएलडी क्षमता:

क) सभी उपकरण/स्थापना हमेशा अच्छी और परेशानी-मुक्त संचालन स्थिति में रखी जाएंगी।

ख) टूट-फूट/मरम्मत और रखरखाव आदि के लिए सभी आवश्यक रिकॉर्ड इतिहास पुस्तकों और लॉगबुक आदि के रूप में निर्देशानुसार बनाए जाएंगे।

ग) सभी रखरखाव कार्य अभियंता के निर्देशन/अनुदेशों के अनुसार किए जाएंगे।

मात्रा की अनुसूची में दिए गए दो मदों के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दायरा निम्नलिखित है:

मद संख्या 1: 56 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), इसके संबंधित उपकरण / प्रतिस्थापना, सहायक उपकरण आदि, और उसके निकटवर्ती क्षेत्र का दैनिक संचालन, रखरखाव और अनुरक्षण:

इस मद के तहत सेवा का दायरा बैंक के स्टाफ़ क्वार्टर्स परिसर, तम्मलम में उपलब्ध 56 केएलडी क्षमता वाले एसटीपी और इसके संबंधित उपकरण / प्रतिस्थापना और उसके निकटवर्ती क्षेत्र का दैनिक संचालन, रखरखाव और अनुरक्षण के लिए है, जिसकी सेवा अवधि 1 वर्ष के लिए है जो 01 अप्रैल 2026 से शुरू होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

a) ठेकेदार उत्तरदायी होगा कि वह 01 अप्रैल 2026 से दैनिक आधार पर सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (साप्ताहिक अवकाश और नियमित तकनीशियन की अनुपस्थिति में प्रतिस्थापित करना शामिल है) वर्ष भर के लिए एक वार्षिक सेवा संविदा (ASC) में प्रवेश करे, और कुशल तकनीशियन(ओं) को तैनात करे जिनके पास संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यानुभव हो और जो MBBR प्रकार के STP और इसके सहायक उपकरण/स्थापनों के संचालन और रखरखाव में दक्ष एवं सक्षम हो। ऐसे तैनात किये गए तकनीशियन दैनिक संचालन, रखरखाव, सफाई और MBBR प्रकार के STP और इसके सहायक उपकरण/स्थापनों, प्लांट क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा और किसी भी ब्रेकडाउन/खराबी की वास्तविक समय में बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों और ठेकेदार को रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होगा, ताकि सुधारात्मक उपाय/मरम्मत/सेवा की जा सके। तकनीशियन को प्लांट में एक 'लॉगबुक' बनाए रखने की जिम्मेदारी भी होगी, जिसमें दिन-प्रतिदिन के संचालन/रखरखाव, किसी भी प्रकार की खराबी, किए गए सुधारात्मक उपाय आदि का विवरण दर्ज किया जाएगा, और इसे संपदा विभाग को साप्ताहिक आधार पर और बैंक के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। एसटीपी से उत्पन्न सूखे कीचड़ को स्थानांतरित करना और इसे कार्यालय परिसर में निर्धारित स्थान(ओं) पर जमा करना ताकि इसका उपयोग खाद के रूप में किया जा सके, यह भी प्रविधिक की जिम्मेदारी होगी। प्रविधिक को STP और उसके संबंधित उपकरणों / संस्थापनों, सहायक उपकरण आदि का रखरखाव करने के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए, जैसा कि केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) प्राधिकरण और किसी अन्य समय पर लागू किसी भी वैधानिक निकाय के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित है। वह उपचारित सीवेज (उपचारित पानी और पानी निकाले गए कीचड़ दोनों) की गुणवत्ता की जांच / परीक्षण करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपचारित सीवेज (उपचारित पानी और पानी निकाले गए कीचड़ दोनों) के सभी मापदंड KSPCB और किसी अन्य समय पर लागू किसी भी वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित अनुमति सीमा के भीतर हों।

b) इस मद के तहत कार्य का दायरा इस बात को भी शामिल करेगा कि पौधे से उत्पन्न अतिरिक्त पानी रहित कीचड़ को निपटाना और ले जाना, जिसमें बैंक द्वारा कार्यालय परिसर के भीतर खाद के रूप में उपयोग के लिए आवश्यक मात्रा रखी जाएगी, कार्यालय परिसर से अनुमोदित डंपिंग यार्ड तक, जैसा कि बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया हो। ऐसे सांविधिक निकायों द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क / दंड, ऐसी शर्तें / आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण, ठेकेदार द्वारा बैंक की ओर से भुगतान किया जाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है, तो बैंक इसे भुगतान करेगा और इसे अतिरिक्त दंड के साथ डेबिट करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

c) ठेकेदार पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे दिन-प्रतिदिन के संचालन और रखरखाव के लिए तैनात तकनीशियन के लिए आवश्यक प्रकार और मात्रा की सफाई सामग्री, उपकरण, उपभोग्य सामान, सुरक्षा सहायक उपकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) / सहायक उपकरण आदि तथा ठेकेदार का नाम अंकित उपयुक्त वर्दी अपने खर्च पर उपलब्ध कराएं। d) बोलीदाता अपनी सभी-समावेशी मासिक दरें पेश करेंगे, जो 01 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होने वाली प्रारंभिक 12-माह की अवधि के लिए मान्य होंगी।

d) इस मद के दायरे के तहत 'वार्षिक सेवा' के लिए भुगतान बैंक द्वारा ठेकेदार को मासिक आधार पर किया जाएगा, बशर्ते पिछली माह की सेवा संतोषजनक रूप से प्रदान की गई हो, चालान प्रस्तुत करने पर, आवश्यक दस्तावेजों, सेवा रिपोर्टों, जल परीक्षण रिपोर्टों (त्रैमासिक आधार पर) आदि के साथ, जैसा कि यहाँ निर्दिष्ट किया गया है।

e) 'वार्षिक सेवा संविदा' (ASC) अवधि के दौरान तकनीशियन(ओं) की किसी भी अनुपस्थिति के लिए कटौती: यदि ठेकेदार किसी भी दिन तकनीशियन(ओं) को तैनात करने में विफल रहता है, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, तो औसत दर से अनुपातिक रूप से प्लांट ऑपरेटर प्रति दिन दोगुना शुल्क ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत चालान में से वसूला जाएगा। ये दंड ठेकेदार को देय किसी भी राशि से वसूल किए जा सकते हैं या सुरक्षा जमा को प्रवर्तित करके वसूल किए जा सकते हैं।

f) ठेकेदार इस बात का दायित्व होगा कि वह इस आइटम के अंतर्गत तैनात तकनीशियन(ओं) को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करे, जैसा कि किसी भी समय केंद्रीय श्रम आयुक्त (CLC) की नवीनतम अधिसूचना में निर्दिष्ट 'न्यूनतम वेतन' में उल्लेखित है।

g) इस मद के अंतर्गत 'वार्षिक सेवा' की दर को कार्यक्रम अवधि के लिए अनुमोदित बीमा एजेंसी से कामगार मुआवजा पॉलिसी (WCP) प्राप्त करने, प्रस्तुत करने और बनाए रखने के शुल्क शामिल होने का माना जाएगा, जो इस आइटम के अंतर्गत तैनात किए जाने वाले कर्मियों [तकनीशियन(ओं)] पर लागू होगी।

h) ठेकेदार प्रत्येक माह के आधार पर दिन-प्रतिदिन संचालन और रखरखाव के लिए तैनात तकनीशियन को मजदूरी/वेतन का भुगतान करेगा।

i) नवीनीकरण: 'वार्षिक सेवा संविदा' (ASC) को 01 अप्रैल 2026 से प्रारंभिक अवधि के लिए 12 महीने के लिए दिया जा सकता है और इसे बैंक के विवेकाधिकार पर कुल 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए वार्षिक रूप से (01 अप्रैल से 31 मार्च) नवीनीकृत किया जा सकता है। 'वार्षिक सेवा संविदा' (ASC) नवीनीकरण के समय, इस आइटम की नई दर उस विधि/सूत्र के आधार पर तय की जाएगी जो निविदा के भाग I में दी गई है।

नोट्स:

इस आइटम के लिए दर का उद्धरण देते समय, बोलदाता निम्नलिखित विधि के अनुसार दर तय करेंगे:

दर = [(A) + (B)]/12, जहाँ:

(A) - वह घटक जिसे बैंक ने ₹3,87,090/- के रूप में तय किया है, जो मौजूदा न्यूनतम वेतन के आधार पर 365 दिनों के लिए कुशल तकनीशियन के लिए प्रति दिन ₹893/- पर निर्धारित किया गया है, जैसा कि केंद्रीय श्रम आयोग के नवीनतम अधिसूचना में बताया गया है, जो न्यूनतम वेतन होगा जिसे ठेकेदार

को दैनिक संचालन और रखरखाव के लिए तैनात कुशल तकनीशियन को देने के लिए देना होगा, साथ ही मासिक ₹15,000/- के 13% के कर्मचारी भविष्य निधि के साथ।

(B) – परिवर्तनीय घटक 1: अतिरिक्त वेतन, यदि कोई हो, जो ठेकेदार उच्च कुशल तकनीशियन को दैनिक संचालन और रखरखाव के लिए तैनात करने के लिए न्यूनतम वेतन, वैधानिक भुगतान / योगदान जैसे ईएसआई, बोनस आदि के ऊपर देने का इरादा रखता है, आवश्यक प्रकार और मात्रा के सफाई सामग्री, उपकरण, उपभोग्य वस्तुएं, सुरक्षा सहायक उपकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) / सहायक उपकरण, यूनिफॉर्म और ओवरहेड शुल्क आदि प्रदान करना, श्रमिक मुआवजा पॉलिसी प्राप्त करना और जमा करना, सभी जोखिम नीति सहित तीसरे पक्ष का बीमा प्रति वर्ष, जिसे बोलीदाता जोड़ने का इरादा रखता है।

महत्वपूर्ण सूचना: उन बोलियों (Tender(s)) को, जिन्होंने इस आइटम के लिए कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से कम दर का मूल्यांकन किया है, बैंक द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जब 'प्राइस बिड्स' खोल दिए जाएंगे।

आइटम संख्या 2: 56 KLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), इसके सहयोगी उपकरण/स्थापना, सहायक उपकरण आदि की 'सम्पूर्ण वार्षिक रखरखाव और सेवा':

इस आइटम के तहत सेवा का दायरा **56 KLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP)**, इसके सहयोगी उपकरण/स्थापना, सहायक उपकरण आदि और उनके निकटवर्ती क्षेत्र के 'सम्पूर्ण वार्षिक रखरखाव और सेवा' के लिए है, जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं, और यह अवधि 01 अप्रैल 2026 से 12 महीने तक लागू होगी, ताकि इसके परिचालन/सेवा योग्य/समस्या मुक्त/कुशल स्थिति की सुनिश्चितता हो सके, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

a) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), इसके संबंधित उपकरण / स्थापना, सहायक उपकरण आदि का हर महीने एक बार निरीक्षण करना तथा बैंक द्वारा आवश्यक होने पर (जब किसी भी दोष / खराबी / प्रणाली की कमी देखी / रिपोर्ट की जाए) निरीक्षण करना, ताकि दोषों / खराबियों का पता लगाया जा सके और उन्हें ठीक किया जा सके। निरीक्षण के दौरान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), इसके संबंधित उपकरण / स्थापना, सहायक उपकरण आदि के प्रत्येक भाग / घटक की किसी भी दोष / खराबी / क्षरण / पहनने और आंसू आदि के लिए पूरी तरह से जांच की जाएगी।

b) दोषपूर्ण / खराब / कार्यशील नहीं होने वाले हिस्सों की मरम्मत / सर्विसिंग, आवश्यक स्पेयर / पार्ट्स / सहायक उपकरणों की आपूर्ति ताकि सिस्टम को उसकी मूल ऑपरेशनल / सेवा योग्य / कुशल स्थिति में लाया जा सके और STP और इसके संबद्ध उपकरणों / संस्थाओं, सहायक उपकरणों आदि के सुचारू, त्रुटि-रहित और कुशल संचालन, कार्यक्षमता और सेवा योग्यता को सुनिश्चित किया जा सके, 'व्यापक वार्षिक रखरखाव और सेवा' अवधि के दौरान इस आइटम के दायरे में। इस संबंध में, ठेकेदार नियमित उपयोग और दोषपूर्ण / क्षतिग्रस्त / कार्यशील नहीं होने वाले हिस्सों के तत्काल प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक मात्रा में स्पेयर / पार्ट्स / सहायक उपकरण बनाए रखेगा, दैनिक संचालन और नियमित / ब्रेकडाउन रखरखाव के दौरान। इन स्पेयर / पार्ट्स /

उपभोग्य वस्तुओं की लागत, जो दैनिक और नियमित / ब्रेकडाउन रखरखाव के दौरान आवश्यक हो सकती है, ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में शामिल मानी जाएगी।

c) किसी भी स्पेयर/पार्ट्स/एक्सेसरी, जिसमें बेयरिंग्स, नट्स और बोल्ट्स, ग्लैंड पैकिंग्स, वाइब्रेशन पैड्स आदि शामिल हैं, जो एसटीपी और उसके संबद्ध उपकरण/प्रतिस्थापना, एसेसरी आदि के हैं, यदि निरीक्षण के दौरान दोषपूर्ण/अकार्यशील/घिस चुके पाए जाते हैं और जिनकी नियमित रूप से बदलने की आवश्यकता होती है, उन्हें उसी मेक/टाइप/मॉडल/ब्रांड के स्पेयर से प्रदान और बदला जाएगा, जैसा कि मूल उपकरण/इंस्टॉलेशन/एसेसरी की स्थापना के समय उपलब्ध कराया गया था या स्वीकृत, संगत समकक्ष से। यदि स्पेयर/पार्ट्स को बार-बार बदलने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे आइटम्स का न्यूनतम बफर स्टॉक संयंत्र के पास ठेकेदार की देखरेख में रखा जाएगा। d) कीटाणुनाशक (सोडियम हाइपोक्लोराइट, ब्लीच आदि), डोजिंग, बायो-कल्वर, सफाई आदि के लिए आवश्यक सभी उपभोज्य रसायन/सामग्री की आपूर्ति और उपयोग और फिल्टर मीडिया की नियमित रूप से पुनः प्रतिस्थापन।

d) इस मद के तहत 'व्यापक वार्षिक रखरखाव और सेवा' के लिए उद्धृत दर में किसी भी उपकरण/सिस्टम की स्थापना की मरम्मत/प्रतिस्थापन शामिल होना चाहिए, यदि उनमें ऐसी कोई खराबी उत्पन्न हो जो उन्हें उनके प्रभावी/कुशल संचालन/सेवा योग्य स्थिति में लाने के दायरे से बाहर हो। किसी भी दोष की स्थिति में, उन्हें निर्दिष्ट अवधि के भीतर ठीक/सुधारा जाएगा, जिसमें दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त/अकार्यशील भागों/स्पेयर/घटक/सहायक उपकरण आदि का पूरा या आंशिक प्रतिस्थापन शामिल है, बिना बैंक पर किसी अतिरिक्त लागत के। ऐसी मरम्मत या प्रतिस्थापन की अवधि के दौरान, ठेकेदार अस्थाई रूप से समान स्टैंडबाय उपकरण/सहायक प्रदान करेगा ताकि सिस्टम कार्यशील रह सके।

e) 'व्यापक वार्षिक रखरखाव और सेवा' की अवधि के दौरान नियमित प्रदर्शन जांच और रखरखाव बैंक की आवश्यकताओं और बैंक के इंजीनियर के अनुदेशानुसार किए जाएंगे। सभी किए गए प्रदर्शन जांचों को 'लॉगबुक' में दर्ज किया जाना चाहिए, जिसे ठेकेदार संयंत्र में बनाए रखेगा।

f) संयंत्र के सभी यांत्रिक भागों को घर्षण रहित संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से ग्रीस/तेल लगाया जाएगा। पंपों की ग्लैंड पैकिंग आवश्यकतानुसार बदल दी जाएगी।

g) एसटीपी और इसके संबंधित उपकरण/स्थापनों, सहायक उपकरण आदि के घटकों की सतहों पर पेंटिंग, पाउडर कोटिंग, एफआरपी कोटिंग जैसी फिनिश, यदि निरीक्षण के समय क्षतिग्रस्त/जंग लगी/मैली पाई जाती है, तो इन्हें उचित रूप से तैयार किया जाएगा, जंग की परतें, डेलेमिनेटेड फिनिश हटाकर और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार उपयुक्त सतह तैयार करने के बाद मूल फिनिश के समान रंग में फिर से पेंट/कोट किया जाएगा।

h) एसटीपी और उसके संबंधित उपकरण / स्थापना, सहायक उपकरण आदि को केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) और किसी भी अन्य वैधानिक निकाय के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी समय लागू होने पर अनुरक्षित किया जाएगा।

- i) प्रसंस्कृत सीवेज की गुणवत्ता (दोनों, प्रसंस्कृत जल और डीवॉटर/सुखाए गए स्लज आउटपुट) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) के निर्धारित मानकों के अनुसार रखी जाएगी। इन मानकों/आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण ऐसे वैधानिक निकायों द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क/दंड का भुगतान ठेकेदार बैंक की ओर से करेगा, और अगर ऐसा न किया गया तो बैंक इसका भुगतान करेगा और इसे अपने मनोनित अतिरिक्त दंडों के साथ डेबिट करेगा। प्रसंस्कृत जल का परीक्षण समय-समय पर (मौसमी या जब भी बैंक के अभियंता द्वारा आवश्यक समझा जाए) NABL द्वारा प्रत्यायित और बैंक के अभियंता द्वारा अनुमोदित किसी लैब में, ठेकेदार की लागत पर किया जाएगा। ऐसे परीक्षणों की रिपोर्ट बैंक के एस्टेट विभाग को ठेकेदार के 'वार्षिक सेवा अनुबंध' के बिलों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए और इनकी प्रति प्लांट में सुरक्षित रखी जानी चाहिए।
- j) बोलने वाले अपने समग्र दरें प्रति तिमाही प्रस्तावित करेंगे, जो 01 अप्रैल 2026 से प्रारंभिक अवधि के लिए एक वर्ष के लिए लागू होगी।
- k) 'व्यापक वार्षिक रखरखाव और सेवा संविदा' (CAMSC) का भुगतान प्रति वर्ष तिमाही आधार पर किया जाएगा, पूर्व तिमाही के सेवा संतोषजनक रूप से प्रदान करने के बाद, बिल प्रस्तुत करने पर, आवश्यक दस्तावेजों, सेवा रिपोर्ट, जल परीक्षण रिपोर्ट, तकनीशियन की उपस्थिति पत्रक आदि के साथ, जैसा कि यहां निर्दिष्ट है।
- l) 'व्यापक वार्षिक रखरखाव और सेवा' अवधि के दौरान दोष / खराबियों के सुधार में देरी पर दंड: संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 7 के अनुसार, प्रति घटना प्रति दिन ₹500/-, / ₹1000/- के दंड की कटौती की जाएगी।
- m) ठेकेदार इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि इस 'व्यापक वार्षिक रखरखाव और सेवा' के तहत तैनात कामगारों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, जैसा कि किसी भी समय केंद्रीय श्रम आयुक्त (CLC) की नवीनतम सूचना में न्यूनतम वेतन के रूप में निर्दिष्ट है।
- n) ठेकेदार इसके लिए भी जिम्मेदार होगा कि प्लांट में एक 'लॉगबुक' रखी जाए, जिसमें उनके प्लांट दौरे के दौरान किए गए नियमित / ब्रेकडाउन सेवाओं, उठाए गए सुधारात्मक उपायों आदि का विवरण दर्ज किया जाए और इसे बैंक के एस्टेट विभाग को मासिक आधार पर तथा बैंक अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाए। ठेकेदार यह भी जिम्मेदार होगा कि प्लांट दौरे के दौरान किए गए नियमित / ब्रेकडाउन सेवाओं, उठाए गए सुधारात्मक उपायों आदि की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की जाए।
- o) **नवीनीकरण:** 'वार्षिक रखरखाव और सेवा संविदा' को 12 महीनों (चार तिमाही) की प्रारंभिक अवधि के लिए के लिए 01 अप्रैल 2026 से प्रदान किया जाएगा और इसे वार्षिक रूप से (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) अगले 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए, बैंक के विवेकानुसार, नवीनीकृत किया जा सकता है। 'वार्षिक रखरखाव और सेवा संविदा' को नवीनीकृत करते समय, इस मद की नई दर निविदा के भाग । में प्रदान किए गए सूत्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

संविदा की सेवा अनुसूची में शामिल मदों के तहत गतिविधियों का संक्षिप्त दायरा:

1. इस 'वार्षिक सेवा संविदा' (ASC) की सेवा अनुसूची में मद संख्या 1 के तहत सेवा का उद्देश्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) प्लांट, उसके संबंधित उपकरण और सहायक उपकरण आदि के दैनिक संचालन और रखरखाव के लिए कुशल तकनीशियनों को तैनात करना है। तैनात कुशल तकनीशियन की गतिविधियों में शामिल हैं:

- i) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), उसके जुड़े उपकरण और सहायक उपकरणों का दैनिक संचालन और रखरखाव, जिसमें सभी स्क्रीन / फ़िल्टर (बार स्क्रीन, प्रेशर सैंड फ़िल्टर / मल्टी-मीडिया फ़िल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर) की बैक-वॉशिंग, सफाई और धुलाई शामिल है; डोजिंग / एंटी-स्केलेंट / सफाई रसायनों का आवश्यकता अनुसार पुनः भरना; पूरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), उसके जुड़े उपकरण और सहायक उपकरणों और उनके शेड की दैनिक सफाई / हाउसकीपिंग, ताकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), उसके जुड़े उपकरण और सहायक उपकरण प्रभावी, बिना परेशानी और सुचारू रूप से कार्य कर सकें।
- ii) लीक-फ्री जॉइंट और कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), उसके जुड़े उपकरण और सहायक उपकरणों के पाइप्स, फिटिंग्स, गैस्केट्स, ग्लैंड पैकिंग्स और अन्य स्पेयर पार्ट्स का आवश्यकता अनुसार प्रतिस्थापन।
- iii) दैनिक आधार पर यहाँ निर्दिष्ट रजिस्टर और लॉगबुक का रखरखाव और अद्यतन करना और जब बैंक के अभियंता द्वारा मांगा जाए तो इसे सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना।
- iv) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को कार्यशील बनाने के लिए, यदि कोई न्यूनतम मरम्मत / खराबी हो तो उसे सुधारना / ठीक करना / आवश्यक स्पेयर पार्ट्स सहित मरम्मत करना, जो ठेकेदार द्वारा स्टोर में रखे जाएँ, और उनकी खराबी / दोष / खराब कार्यशीलता, स्पेयर पार्ट्स / सामग्री की आवश्यकता आदि के बारे में ठेकेदार और बैंक के अभियंता को तत्काल जानकारी देना, ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।
- v) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), उसके सहायक उपकरण एवं सहायक सामग्री और निकटवर्ती क्षेत्र को नियमित रूप से झाड़ू-पोछा, डस्टिंग, धुलाई आदि करके साफ-सुथरा रखना।

2. इस 'वार्षिक सेवा संविदा' (ASC) की सेवा अनुसूची में मद संख्या 2 के तहत वार्षिक समग्र सेवा समय-समय पर निवारक और ब्रेकडाउन रखरखाव एवं सेवा के लिए है, जिसमें आवश्यक स्पेयर पार्ट्स, रसायन और सामग्री की आपूर्ति और प्रतिस्थापन / उपयोग शामिल है, जो बैंक के लिए सेवा की अवधि के दौरान निःशुल्क होगी, और जो व्यापक रूप से निम्नलिखित हैं:

- i) रसायन / सामग्री की आपूर्ति और उपयोग, जिसमें डोजिंग रसायन जैसे सोडियम हाइपो क्लोराइट, एंटी-स्केलेंट्स, सफाई रसायन (जैविक और अजैविक) आदि शामिल हैं, जो दैनंदिन संचालन और रखरखाव तथा सफाई के लिए आवश्यक हैं ताकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), इसके संबद्ध उपकरण और सहायक उपकरण कुशल, निर्बाध और सुचारू रूप से कार्य करें।

ii) संपूर्ण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), इसके संबंधित उपकरण और सहायक उपकरण तथा इसे आवृत करने वाले शेड की समय-समय पर ओवरहालिंग, सर्विसिंग और गहन सफाई, प्रत्येक 3 महीने की अंतराल से अधिक न होने की शर्त पर, ताकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), इसके संबंधित उपकरण और सहायक उपकरण की कुशल, समस्या-मुक्त और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

iii) प्रेशर सैंड फिल्टर / मल्टी-मीडिया फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के फिल्टर मीडिया का वर्ष में कम से कम एक बार और आवश्यकता अनुसार प्रतिस्थापन, ताकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की अधिकतम दक्षता सुनिश्चित की जा सके।

iv) कच्चे सीवेज (इनपुट), शुद्ध जल (आउटपुट) और डी-जलित / सूखे कीचड़ के pH, TSS / TDS / बिजली प्रवाह आदि की माप के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन उपकरणों के स्पेयर और सहायक उपकरणों का प्रतिस्थापन, इनपुट / शुद्ध जल आदि को मापने वाले क्षतिग्रस्त फ्लो मीटरों का प्रतिस्थापन।

v) गंदा पानी शोधन संयंत्र (STP), इसके जुड़े उपकरणों और सहायक उपकरणों के कुशल, समस्यामुक्त और सुगम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई अन्य पार्ट्स और खपत सामग्री।

vi) शुद्ध पानी की समय-समय पर (प्रति तिमाही या जब बैंक के अभियंता द्वारा आवश्यक हो) NABL द्वारा मान्यता प्राप्त और बैंक के अभियंता द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से परीक्षण किया जाएगा, जिसकी लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। ऐसे परीक्षणों की रिपोर्टें ठेकेदार के 'वार्षिक सेवा संविदा' के बिलों के साथ बैंक के एस्टेट विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी और उनके प्रतिलिपियाँ संयंत्र में सुरक्षित रखी जाएंगी।

vii) यहाँ ऊपर संकेतित सेवा/मरम्मत की आवृत्ति अधिकतम है। हालांकि, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), उसके सहायक उपकरण और सहायक सुविधाओं की लगातार और कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, टूट-फूट की स्थिति में न्यूनतम आवश्यक रिकवरी समय और प्रशोधित पानी (आउटपुट) और सूखा/निर्जलीकृत कीचड़ की निर्दिष्ट/उद्देश्यपूर्ण गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक स्पेयर पार्ट्स, उपभोज्य सामग्री और सामग्रियों की आपूर्ति या प्रतिस्थापन समय-समय पर किया जा सकता है और इसके लिए बैंक से कोई अलग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

viii) प्रदर्शन किए जाने वाले आवधिक दौरे/परीक्षणों का विवरण:

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति
1	सेवाज्ञ अभियंता / तकनीशियन द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और इसके संबंधित उपकरणों और सहायक उपकरणों की सर्विसिंग के लिए यात्रा और निरीक्षण / सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	मासिक
2	प्रक्रियाकृत जल/कीचड़ का परीक्षण	तिमाही

3	पूरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और इसके संबंधित उपकरणों और सहायक उपकरणों का पुनर्निर्माण और रखरखाव।	द्विवार्षिक
---	--	-------------

3. हालांकि, निम्नलिखित सूचीबद्ध उपकरण / कंपोनेंट / सहायक उपकरणों का प्रतिस्थापन, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से संबंधित हैं, और जिनका सेवा जीवन समाप्त हो गया है / जो सामान्य उपयोग से क्षतिग्रस्त हैं और जिनकी मरम्मत / सर्विसिंग आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, और जिन्हें ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर कारणों से सामान्य कार्यशील स्थिति में लाना संभव नहीं है, वार्षिक सेवा संविदा के दायरे से बाहर हैं:

- क) मल्टीपोर्ट / बटरफ्लाई / अन्य प्रकार के वाल्व।
- ख) पंप, मोटर और ब्लोअर।
- ग) विद्युत पैनल और वायरिंग।
- घ) विद्युत केबल, UV लैंप और उनके हाउजिंग।
- ड) इनलेट पाइपिंग कार्य।

4. भारत के नेशनल एकीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (NABL) द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला के माध्यम से तिमाही आधार पर परीक्षण किए गए शोधन जल के निम्नलिखित मानदंड, और इसके रिपोर्ट को ठेकेदार के तिमाही सेवा बिलों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

क्रम संख्या	टेस्ट किए जाने वाले ट्रीटेड पानी (आउटपुट) के पैरामीटर।
1	रंग।
2	गंध.
3	चालकता।
4	मैलापन।
5	pH मान।
6	कुल निलम्बित ठोस (TSS).
7	कुल घुलित ठोस (टीडीएस)।
8	कार्बोनेट कठोरता।
9	नॉन-कार्बोनेट कठोरता।
10	टोटल हार्डनेस (CaCO_3 के रूप में)।
11	फिनोलफथेलिन क्षारीयता (CaCO_3 के रूप में)।
12	कुल क्षारीयता (CaCO_3 के रूप में)।
13	कैल्शियम (Ca के रूप में)।
14	मैग्नीशियम (Mg के रूप में)।
15	क्लोराइड (Cl के रूप में)।
16	सल्फेट (SO_4 के रूप में)।

17	लोहा (Fe के रूप में).
18	सिलिका (SiO ₂ के रूप में)।
19	नाइट्रोट (NO ₃)।
20	जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी)।
21	रासायनिक ऑक्सीजन मांग (COD).
22	कोलीफॉर्म बैक्टीरिया.

5. उपकरण और अन्य सामग्री:

- a. उचित संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक सभी सामान्य और विशेष उपकरण, टैकल्स को ठेकेदार अपनी लागत पर तैयार करेगा और इस कार्य के लिए तैनात अपने स्टाफ को प्रदान करेगा।

6. सुरक्षा और रखरखाव:

- a. सामग्री, मशीनरी और सिस्टम आदि की सुरक्षा और रखरखाव पूरे संविदा की अवधि तक ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी और चोरी आदि की जिम्मेदारी पूरी तरह ठेकेदार की होगी।

7. संचालन समय:

भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ कार्टर, तम्मलम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) वर्ष भर सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (सप्ताह के 7 दिन) निगरानी में रखा जाएगा (साप्ताहिक अवकाश के दिनों में और नियमित तकनीशियन की अनुपस्थिति में प्रतिस्थापन करना शामिल)।

8. स्टाफ की तैनाती:

- a. एजेंसी को दिन की शिफ्ट में पार्ट प्लांट के संतोषजनक संचालन और रखरखाव के लिए कुशल प्लांट ऑपरेटर तैनात करना होगा ताकि प्लांट का निरंतर संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
- b. किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मजदूरी, यदि कभी भी किसी मरम्मत/टूट-फूट के लिए आवश्यक हो, तो एजेंसी अपने खर्च पर तैनात करेगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
- c. तैनात मजदूर पर्याप्त, अनुभवी और STP के संचालन एवं रखरखाव में योग्य/प्रशिक्षित होंगे ताकि सभी टूट-फूट/मरम्मत तुरंत न्यूनतम संभव डाउन टाइम के साथ की जा सके। किसी भी अनुचित देरी को उपकरणों की मरम्मत में अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और उपयुक्त दंड लगाया जाएगा जो मासिक बिल/जमा की गई सुरक्षा राशि से वसूला जाएगा।

9. रखरखाव अनुसूची:

सिस्टम का परीक्षण (STP) करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिस्टम का टूट-फूट न हो और आवश्यक सिस्टम आउटपुट लगातार प्रदान होता रहे। एक अतिरिक्त उद्देश्य यह है कि निरीक्षण द्वारा स्पष्ट न होने वाली सिस्टम की कमियों का पता लगाया जा सके।

a) दैनिक परीक्षण:

- उपचारित पानी की गुणवत्ता।
- उपचारित पानी का रंग और गंध।
- योग्य संचालन कर्मियों को दैनिक पंप संचालन के दौरान उपस्थित रहना चाहिए।
- पंप सिस्टम प्रक्रिया।
- सिस्टम के सक्षण और डिस्चार्ज प्रेशर गेज के रीडिंग रिकॉर्ड करें।
- पंप पैकिंग ग्लैंड में हल्की रिसाव की जांच करें।
- आवश्यक होने पर ग्लैंड नट समायोजित करें।
- असामान्य आवाज़ या कंपन की जांच करें।
- पैकिंग बॉक्स, बीयरिंग या पंप आवरण में अधिक गर्म होने की जांच करें।

b) मासिक परीक्षण:

- सभी पंप, फिल्टर आदि की कार्यक्षमता जांचें।
- सभी स्ट्रेनर और जल संग्रहण कक्षों की सफाई उपचार से पहले और बाद में करें। सभी पंप और वाल्व के ग्लैंड को कसें और आवश्यकता होने पर ग्लैंड डोरी बदलें।

c) तिमाही परीक्षण:

- सभी संग्रह कक्षों, उपचारित जल टैंकों आदि से सभी कीचड़ की सफाई करें।
- पंप और मोटरों के सभी बियरिंग्स को ग्रीस करें।
- पैनल पर सभी केबल, स्विच और स्टार्टर के कनेक्शन की जांच करें।
- प्रयोगशाला से उपचारित जल की गुणवत्ता का परीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि उपचारित जल संबंधित IS कोड/निर्देशों के मानक मापदंडों के अनुसार हो।

10. विशेष शर्तें:

STP रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कार्टर्स, थमलम के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सिस्टम को पूरे अनुबंध अवधि के दौरान बनाए रखना आवश्यक है। अनुबंध में संचालन, निवारक रखरखाव, दोषपूर्ण उपकरणों की मरम्मत / प्रतिस्थापन आदि के लिए कुशल कर्मचारियों की आपूर्ति शामिल है। तैनात कर्मचारियों को PF और ESIC (यदि लागू हो) के तहत कवर किया जा सकता है। उपस्थिति/सेवा/रखरखाव की रिपोर्ट रखी जानी चाहिए, जिसे देखभाल करने वाले/बैंक के इंजीनियर द्वारा countersign किया गया हो। मासिक उपस्थिति रिपोर्ट और STP परीक्षण रिपोर्ट बिल के साथ बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। फ़र्म द्वारा उद्धृत दरें ठेकेदार श्रम अधिनियम 1970/ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केंद्रीय) के अनुसार होंगी। कर्मचारियों का वेतन केंद्रीय श्रम आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी को कवर करना चाहिए और इसे केवल उनके बैंक खाते में NEFT के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए और इसकी जानकारी RBI को

सत्यापन के लिए भेजनी चाहिए। निर्धारित दरों से कम दरें उद्धृत करने वाले टेंडर को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- 1) उद्धृत दर में उपभोग्य सामग्री शामिल होगी, जैसे कि आवश्यक रसायन, क्लोरीन, एलम, गुड़, कचरा, कैलीको कपड़ा, चिकनाई, पेट्रोलियम जेली, इन्सुलेशन टेप आदि।
- 2) ठेकेदार को केवल कुशल व्यक्तियों को ही STP प्रणाली के संचालन/रखरखाव कार्य के लिए तैनात करना चाहिए, जिसमें सभी संबंधित उपकरण/उपइकाइयाँ शामिल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्टार्टर पैनल जिसमें टाइमर, कॉन्ट्रैक्टर, सूचक लैप, फ्यूज, बैटरी चार्जिंग सर्किट, इंजन प्राइमर (24V, DC मोटर) आदि।
- 3) कुशल व्यक्ति को प्रणाली के कार्य और तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार एसटीपी के संचालन और रखरखाव का पूरा ज्ञान होना चाहिए।
- 4) तैनात कर्मचारियों को पंपों के संचालन/वांछित कार्यक्रम के अनुसार सभी उपकरणों के निवारक रखरखाव से परिचित होना चाहिए। प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार सभी उपकरणों के संचालन के लिए जांच की जानी चाहिए और पंपों को दैनिक आधार पर उनकी परिचालन क्षमता/कामकाज के लिए जांच की जानी चाहिए।
- 5) तैनात व्यक्ति उस शिकायत में भाग लेगा जिसमें बैंक के अधिकारियों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पुर्जों आदि के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है।
- 6) तैनात व्यक्ति आपात स्थिति के मामले में प्रणाली के महत्व को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों के दिन/कार्यालय समय के बाद भी शिकायतों में भाग लेगा।
- 7) संविदा राशि में सभी आवश्यक परीक्षण शुल्क / उपकरण / परीक्षण / रासायनिक आदि शामिल होंगे।
- 8) इस शुल्क में सभी विद्युत उपकरणों की आवधिक निवारक रखरखाव करने का कार्य शामिल है और उचित रजिस्टर रखा जाएगा तथा उसका सारांश आरबीआई को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 9) जब भी कोई विशेष उपकरण खराब हो जाए; इस तथ्य को बैंक के अभियंता को तुरंत सूचित किया जाएगा। यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो, सामग्री को बदलने की जरूरत हो, तो उसे यथाशीघ्र व्यवस्था की जाएगी। मरम्मत / प्रतिस्थापन का कार्य तुरंत किया जाएगा और पूरा किया जाएगा।
- 10) ठेकेदार को बैंक में ऊटी पर लगे पंप ऑपरेटर्स के लिए सामान्य फोन / मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना चाहिए और यह नंबर आपातकाल की स्थिति में उन्हें संपर्क करने के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध होना चाहिए।
- 11) न्यूनतम सेवा शुल्क का कोटेशन निश्चित घटक के 3.00% से कम नहीं होना चाहिए। इस सीमा से कम कोटेशन अमान्य माना जाएगा।

स्थानः
दिनांकः

निवेदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर
नामः
पता:
ईमेलः
फ़ोनः

खंड IX

प्रस्तावना

1. सफल निविदाकर्ता बैंक के साथ एक सेवा स्तर करार (Service Level Agreement) में प्रवेश करेगा, जिसमें तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों का विवरण, उनके कार्य समय और ऑन-कॉल उपलब्धता शामिल होगी।
2. सभी कार्य ऐसे समय पर किए जाएंगे जो कार्यालय की सुविधा के अनुसार हों और बैंक को किसी भी प्रकार की बाधा या असुविधा न पहुँचाएं। संविदा स्टाफ यूनिफॉर्म में हों और अनुशासन बनाए रखें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत केयरटेकर/सहायक केयरटेकर को सूचित किया जाना चाहिए। किसी भी बड़े कार्य या मरम्मत को तुरंत उनके ध्यान में लाना चाहिए। सभी शिकायतों और किए गए सुधारात्मक कार्यों की रिपोर्ट बनाए रखनी चाहिए और हर महीने उन्हें सौंपनी चाहिए।
3. ठेकेदार सभी कर्मचारियों की पुलिस अधिकारियों द्वारा पृष्ठभूमि जांच करवाने के लिए जिम्मेदार है। सभी कर्मचारियों के विवरण के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट रिकॉर्ड के लिए बैंक को जमा करनी होगी। इस प्रक्रिया को सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाना चाहिए।
4. इस संविदा के तहत अपने कर्तव्यों को पूरा करने में ठेकेदार किसी भी बालक को शामिल नहीं करेगा। यदि ऐसी कोई उल्लंघन देखी जाती है, तो संविदा रद्द करने के अलावा, ठेकेदार के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
5. ठेकेदार के सेवा कर्मियों को बैंक के परिसर के भीतर आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।
6. एसटीपी संचालक के कर्तव्य और कार्य समय अनुभाग VII में सूचित किया गया हैं।

खंड - X

सुरक्षा कोड

1. प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, जिसमें पर्याप्त मात्रा में असंसर्गीय पट्टियाँ और सूती ऊन शामिल हैं, उन्हें ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के उपयोग के लिए आसानी से पहुँच योग्य स्थान पर रखा जाएगा।
2. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, घायल व्यक्ति को किसी सार्वजनिक अस्पताल में तुरंत ले जाया जाएगा, जहाँ चोट के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो।
3. उन सभी कार्यों के लिए, जिन्हें सुरक्षित रूप से जमीन स्तर से नहीं किया जा सकता, कामगारों के लिए उपयुक्त और मजबूत फाटक (स्कैफोल्ड) प्रदान किए जाने चाहिए।
4. नियुक्त किए गए कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए। किसी बिल्डिंग या वर्किंग प्लेटफॉर्म के फर्श में हर खुली जगह पर सही फेंसिंग लगाकर लोगों या सामान को गिरने से रोकने के लिए सही तरीके दिए जाएंगे या रेलिंग जिसकी न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।
5. किसी भी इमारत की मंजिल में या काम करने वाले प्लेटफॉर्म में हर छेद पर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त फेंसिंग या रेलिंग के माध्यम से उपयुक्त साधन प्रदान किया जाना चाहिए, जिसकी न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर हो।
6. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी आठ मीटर से अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। साइड रेल्स के बीच की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और दो पास-पास की सिद्धियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाए, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी को लगाया जाना चाहिए।
7. खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई, जो भी ज़्यादा हो के अंदर नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।
8. किसी भवन की मंजिल में या कार्य प्लेटफॉर्म में किसी भी छेद पर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से

रोकने के लिए उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान की जानी चाहिए; न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।

9. संरचना का कोई भी फर्श, छत या अन्य हिस्सा इस हद तक मलबे या सामग्री से ओवरलोड नहीं किया जाना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।

10. एसे फर्श या सामग्री जैसे कि डामर, सीमेंट मोर्टर या कंक्रीट और चूना मोर्टर को मिश्रण और संभालने वाले कर्मचारियों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए।

11. जो लोग वेल्डिंग कार्यों में लगे हैं उन्हें वेल्डर की सुरक्षात्मक आई शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए।

12. अग्रसारक या लेड उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा सिवाय पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में।

13. जब पेंट को स्प्रे के रूप में लगाया जाए या सतह पर लेड पेंट सूखकर रगड़ी और खुरचाई गई हो, तब कामगारों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क प्रदान किए जाएंगे।

14. ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को ओवरऑल प्रदान किए जाएंगे और कार्यरत चित्रकारों को कार्य के विराम के दौरान धोने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

15. कार्य में उपयोग की जाने वाली होइस्टिंग मशीनें और उनके उपकरण, संलग्नक, एंकरज और समर्थन पूरी तरह से कार्यक्षम स्थिति में होंगे।

16. सामग्री को ऊपर उठाने या नीचे करने में प्रयुक्त रस्सियां या निलंबन का साधन टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त शक्ति का होगा और दोषमुक्त होगा।

खंड-XI

अग्नि सुरक्षा कोड

1. साइट पर उपयोग किए जाने वाले कटिंग / ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत संचालित उपकरण सही रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किए जाने चाहिए।
2. केवल ISI मार्केड 3 पिन प्लग और अन्य उपकरण एवं उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए।
3. उपयोग किए जाने वाले विद्युत पावर केबल/वायरों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और वे सही रेटेड होने चाहिए।
4. सभी विद्युत उपकरण जैसे कि वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को सुरक्षित रूप से ग्राउंड किया जाना चाहिए ताकि संचालन के दौरान leakage current से बचाव हो सके।
5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाना चाहिए और केवल फायर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है।
6. साइट पर आसानी से उपलब्ध क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जानी चाहिए।
7. साइट पर फायर अधिकारियों द्वारा सुझाए गए और जारी किए गए फायर एक्सटिंगुइशर रखा जाना चाहिए।
8. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को केवल निर्दिष्ट स्टोर में ही सही ढंग से बंद करने के बाद संग्रहित किया जाना चाहिए।
9. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने, वेल्डर का मास्क, कान के प्लग आदि, कार्य की आवश्यकता के अनुसार, ठेकेदार द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रदान किए जाएंगे ताकि व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों से बचा जा सके।
10. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और कार्यकर्ता इसे जमीन से 10 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम करते समय पहनेंगे।
11. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरा जमा करने या स्टैकिंग के लिए कोई मार्ग उपयोग नहीं किया जाएगा।
12. दोनों सीढ़ियों के दरवाजे सामान्यतः बंद रखे जाएंगे।
13. किसी भी फायर एक्सटिंगिशर को उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
14. जब उपकरण का उपयोग न किया जा रहा हो, तो मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए।
15. काम से उत्पन्न लकड़ी के टुकड़े और आरी के धूल को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर रखा जाएगा।
16. काम से उत्पन्न किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर रखा जाएगा।
17. कार्यालय समय के बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए ठेकेदार द्वारा बैटरी चालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च प्रदान की जाएगी।

अनुबंध ए

ग्राहक का प्रमाण पत्र जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दैनिक संचालन और व्यापक रखरखाव सेवाएँ प्रदान करने वाले ठेकेदार के प्रदर्शन के संबंध में
(ग्राहक द्वारा अपने पत्र शीर्षक पर जारी किया जाना चाहिए)

ग्राहक का नाम और पता:

मेसर्स से प्राप्त सेवा का विवरण

क्रम	विवरण	टिप्पणियाँ
1	प्राप्त सेवा की प्रकृति	
2	संविदा संख्या और दिनांक	
3	करार की राशि	
4	कार्य शुरू करने की तारीख	
5	उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या	
6	संविदा के नियमों और शर्तों के पालन के बारे में टिप्पणी	
7	देरी के लिए लगाए गए मुआवजे का ब्यौरा (अगर कोई हो तो रकम बताएं)	
8	पूरे किए गए और चुकाए गए काम की कुल रकम	
9	उस प्राधिकरण का नाम और पता जिसके तहत काम किया गय	
10	i) काम की गुणवत्ता (ग्रेडिंग बताएं) ii) कम दर पर पेमेंट किया गया काम, अगर कोई हो	बहुतबढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
11	i) क्या ठेकेदार आर्बिट्रेशन के लिए गया? ii) अगर हाँ, तो दावे की कुल रकम iii) कुल दी गई राशि	

12	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणी	
	a) तकनीकी दक्षता	बहुत बढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
	b) वित्तीय सुदृढ़ता	बहुत बढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
	c) जनशक्ति का जुटान	बहुत बढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
	d) सामान्य व्यवहार	बहुत बढ़िया/बहुत अच्छा/संतोषजनक/खराब
13	किसी भी अन्य जानकारी	

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

टिप्पणी:

- i) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए और समक्ष हस्ताक्षरित हों।
- ii) प्रत्येक प्रीकालिफिकेशन कार्य/कार्यों के लिए क्लाइंट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- iii) सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठनों या पीएसयू के मामले में अधिकारी / कार्यपालक अभियंता या समकक्ष के स्तर से नीचे न होने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित।
- iv) ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त भुगतानों के पर्याप्त प्रमाण द्वारा समर्थित।
- v) निजी संगठन द्वारा जारी क्लाइंट की रिपोर्ट के साथ टीडीएस प्रमाणपत्र संलग्न होने चाहिए।
- vi) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए और समक्ष हस्ताक्षरित हों। क्लाइंट प्रमाणपत्र क्लाइंट के लेटरहेड पर होना चाहिए और अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(ई-निविदा प्रस्तुत करते समय केवल रिपोर्ट की स्कैन की गई प्रति "mstcecommerce" पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)

अनुबंध बी
आपूर्तिकर्ता विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक	
तिरुवनंतपुरम	
ईसीएस / एनईएफटी के माध्यम से बिलों का भुगतान	
ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं का विवरण	
फर्म / कंपनी का नाम *	
फर्म/कंपनी का प्रकार	
GSTIN. *	
स्थायी खाता संख्या (पैन)*: -	
डाक पता (पिन कोड के साथ)*	
संपर्क व्यक्ति *	
टेलीफोन नंबर (भूमि)	
मोबाइल नंबर *	
ईमेल आईडी *	
बैंक खाता संख्या*	
खाते का प्रकार*	
बैंक का नाम*	
शाखा का नाम*	
आईएफएससी कोड*	
भविष्य निधि पंजीकरण संख्या	
ईएसआईसी पंजीकरण संख्या	
एमएसएमई पंजीकरण संख्या	

क्या निविदाकर्ता के पास अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के साथ अनुबंध श्रम अधिनियम 1971 की धारा 21 के तहत लाइसेंस है।	
दूसरे संगठनों के साथ इसी तरह की सेवा करने का अनुभव	
पिछले 3 सालों में दूसरी ऑर्गनाइजेशन को दी गई सेवाएँ का कुल संविदा मूल्य	2022-2023 ₹ 2023-2024 ₹ 2024-2025 ₹
पिछले तीन वर्षों का वित्तीय टर्नओवर	2022-2023 ₹ 2023-2024 ₹ 2024-2025 ₹
अगर आप किसी भी समय किसी मुकदमे में शामिल हैं तो बताएं	
किसी भी अदालत में लंबित कोई भी नागरिक मामला है , विवरण दें।	

अनुबंध सी

ईएमडी भुगतान संदर्भ

फर्म / कंपनी का नाम *	
मोबाइल नंबर	
भेजने वाले का बैंक खाता क्रमांक *	
भेजने वाले का IFSC कोड*	
ईएमडी की रकम दी गईः*	
भुगतान संदर्भ क्रमांकः*	
भुगतान की तारीख :*	
* से मार्क किए गए फ़ील्ड ज़ारूरी तौर पर भरे जाने चाहिए।	

अनुबंध-डी

बयाना राशि जमा करने के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रपत्र

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)।

यह गारंटी पत्र इस _____ दिनांक _____ वर्ष दो हज़ार _____ को _____ (बैंककर्मी का नाम) के बीच बनाया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ (स्थान) में स्थित है और जिसका एक स्थानीय कार्यालय _____ में है (इसके बाद 'जामीनदार' कहा जाएगा), और भारतीय रिझर्व बैंक, जो कि भारतीय रिझर्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा गठित एक निगम है, जिसका केंद्रीय कार्यालय सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400 001, भारत में स्थित है (इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा)। जहाँ _____ (जिसे आगे 'टेंडरकर्ता' कहा जाएगा) एक कंपनी है, जो _____ के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है, बैंक के साथ ईमानदारी राशि के रूप में ₹ _____ (₹ _____ मात्र) जमा करने के लिए बाध्य है, जो 'भारतीय रिझर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, थमलम, तिरुवनंतपुरम- 695 012 में स्थापित 56 केएलडी कॉम्पैक्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दिन-प्रतिदिन के संचालन और विस्तृत रोकथाम रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव करार' के लिए उसके टेंडर के संबंध में है और इसमें संलग्न निर्देशों और शर्तों के अनुसार है।

जहाँ तक निविदाकर्ता ने निविदा दाताओं के निर्देशों और विशेष शर्तों के खंड IV, अनुच्छेद संख्या _____ के अनुसार नकद रूप में अर्जित धन की जमा राशि के बजाय _____ तक वैध बैंक गारंटी प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब यह साक्ष्य है:

1 कि ऊपर उल्लेखित निविदाकर्ता द्वारा बैंक को प्रस्तुत निविदा के परिप्रेक्ष्य में, यह जमानतकर्ता बैंक को बिना किसी आपत्ति के, मांग पर उक्त राशि ₹ _____ (₹ _____ मात्र) का भुगतान करने की गारंटी देता है, जो इस गारंटी पत्र की प्रस्तुति पर बैंक से मांग प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर देय होगी, जिसे निविदाकर्ता अपने निविदा से संबंधित earnest money के रूप में बैंक में जमा करने के लिए बाध्य है।

2 यह गारंटी निविदाकर्ता की किसी भी अक्षमता या अनियमितता या बैंक, निविदाकर्ता या जमानतकर्ता की संरचना में किसी भी परिवर्तन या विघटन से प्रभावित नहीं होगी।

3 अगर निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने के बाद अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है या उसके नियम और शर्तों में ऐसा बदलाव करता है जो बैंक के लिए स्वीकार्य नहीं है, या बैंक ने निविदाकर्ता के साथ 'भारतीय रिझर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, थमलम, तिरुवनंतपुरम- 695 012 में स्थापित 56 केएलडी कॉम्पैक्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दिन-प्रतिदिन के संचालन और विस्तृत रोकथाम रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव करार' का आदेश देने का निर्णय लेने के बाद निविदाकर्ता उसके आदेश को स्वीकार करने के प्रति अनिच्छा व्यक्त करता है, तो बैंक इस गारंटी के अंतर्गत किसी भी दावा करने का पात्र होगा। बैंक का इस संबंध में निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4. गारंटर इस गारंटी को इसकी अवधि के दौरान रद्द नहीं कर सकता और न ही कर पाएगा, सिवाय इसके कि बैंक की लिखित पूर्व सहमति प्राप्त हो।

5. उपरोक्त में जो कुछ भी शामिल है उसके बावजूद, गारंटर की गारंटी के तहत जिम्मेदारी केवल ₹ _____ (₹ _____ केवल) तक सीमित है।

6. यह गारंटी _____ तक प्रभावी और लागू रहेगी और बैंक द्वारा गारंटर को इसकी सूचना दिए जाने पर समाप्त हो जाएगी और प्रभावहीन हो जाएगी, ऐसे में यह गारंटी समाप्त मानी जाएगी।

7. गारंटर बैंक द्वारा जारी किए गए मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेगा, चाहे टेंडरकर्ता और बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विवाद मौजूद हो या उत्पन्न हो।

8. बैंक द्वारा उक्त टेंडर की किसी भी शर्त को लागू करने में किसी भी प्रकार की सहनशीलता, कार्य या चूक, या टेंडरकर्ता के प्रति किसी भी प्रकार की उदारता प्रदर्शित करने से गारंटर की जिम्मेदारी किसी भी तरह से समाप्त नहीं होगी और इस गारंटी के तहत गारंटर की जिम्मेदारियाँ केवल बैंक द्वारा गारंटर को इसकी सूचना देने पर ही समाप्त होंगी।
9. उपरोक्त में कहीं कुछ भी कहा गया हो, इसके बावजूद, जब तक इस गारंटी के तहत गारंटर से लिखित में मांग या दावा _____ तक नहीं किया जाता है, उसके बाद गारंटर इस गारंटी के तहत सभी दायित्वों से मुक्त रहेगा।
10. गारंटर को अपने अपने ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों के अधीन इस गारंटी को जारी करने का अधिकार है और जमानतदार द्वारा दिए गए मुख्तारनामा के अधीन इस विलेख को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पास आवश्यक अधिकार है।

उपर्युक्त बैंक के बदले और उसकी ओर से
हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(बैंक का नाम और मुहर)
के बदले और उसकी ओर से

**शाखा प्रबन्धक
(बैंक की मुहर)**

अनुबंध- ई

पिछले 5 सालों में किए गए इसी तरह के क्लालिफाइंग कामों की जानकारी

क्रमांक	फर्म/कंपनी का नाम और पता	कार्य का प्रकार	कार्य का संविदा मूल्य	काम समय पर पूरा हुआ या नहीं (शुरू होने की तारीख और पूरा होने की तारीख बताएं)	कार्य आदेश के अनुसार पूरा होने का समय@	फ़ैक्स/फ़ोन नंबर और फर्म का संपर्क व्यक्ति

(अगर ज़रूरी हो तो शीट संलग्न करें)

@कृपया कार्य आदेश की प्रति जमा करें।

तारीख:

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध- एफ

बायो- डाटा फॉर्म / Bio- Data of workers employed by the contractor

(to be submitted in letter head of the contractor)

नाम / Name		
पिता का नाम / Father's Name		
जन्म तिथी / Date of Birth		
लिंग / Gender		
विवाह की स्थिति / Marital Status		
शैक्षणिक योग्यता / Educational Qualification		
वर्तमान पता / Current Address		
स्थाई पता / Permanent Address		
मोबाइल नं. / Mobile No.		
*आधार नं. / Aadhaar No.		
*पैन नं. / PAN No.		
*बैंक खाता विवरण / Bank Account Details	खाता संख्या/ Account No.-	आई.एफ.एस.सी. कोड/ IFSC Code-
*पी.एफ. (यू.ए.एन.) संख्या / PF (UAN) No.		
*ई.एस.आई.सी. (आई.पी.) नं. / ESIC IP No.		
नमूना हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान/ Specimen Signature or Thumb impression		

* *अनिवार्य दस्तावेज Mandatory documents*

उपरोक्त विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और सहायक दस्तावेज संलग्न हैं।

The above details are verified by me and the supporting documents are enclosed.

ऑफिशियल सील के साथ हस्ताक्षर / Signature with official seal-

अधिकारी का नाम / Name of Official-

पदनाम / Designation-

स्थान / Place-

दिनांक / Date-

अनुबंध- जी

किसी अनुसूचित बैंक से बैंकर्स सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का फॉर्म
(बैंकर्स के पत्र शीर्ष पर)

स्थान:

तारीख:

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम
केरल

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी और ज्ञान के अनुसार श्री/श्रीमती....., हमारे बैंक के ग्राहक, जिनका पता संक्षेप में उल्लेखित है, सम्मानीय हैं और किसी भी लेन-देन के लिए ₹.....(रुपए) तक अच्छी तरह से माना जा सकते हैं।

यह प्रमाणपत्र किसी भी प्रकार की गारंटी या बैंक या उसके किसी अधिकारी की जिम्मेदारी के बिना जारी किया गया है।

बैंक के लिए नाम, पदनाम और मुहर के साथ

टिप्पणी:

1. बैंकर का प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए, सील करके भर्ती प्राधिकारी को संबोधित कवर में।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में उन सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए जो बैंक में दर्ज हैं।

अनुबंध – एच

बैंकों का विवरण

हमारे बैंक/बैंकों की डिटेल्स हैं:

एस. नं.		बैंक 1	बैंक 2
1	बैंक का नाम		
2	शाखा का नाम और उसका पूरा पोस्टल पता		
3	शाखा प्रबन्धक का नाम, उसका टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर आदि		
4	खाते का प्रकार		
5	खाता संख्या		
6	खाता धारक का नाम		
7	आईएफएससी कोड		
8	क्या क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है		
9	खाता खोलने की तिथि		

#हर बैंक का रद्द किया हुआ चेक अटैच करें।

हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
फर्म/कंपनी का नाम मुहर सहित

अनुबंध – आई

संविदात्मक श्रमिक नियमावली/विनियमावली के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का प्रोफार्मा

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम:695 033

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा 'भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ कार्टर, तम्मलम, तिरुवनंतपुरम- 695 012 में स्थापित 56 केएलडी कॉम्पैक्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दैनिक संचालन और व्यापक रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा को पूरा करने के लिए काम पर लगाए गए सभी श्रमिकों को उस दर पर मजदूरी का भुगतान करेंगे जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दर से कम न हो और यह सुनिश्चित करें कि CLRA अधिनियम, 1970 के तहत आवश्यक सुविधाओं का पालन करेंगे और प्रधान नियोक्ता (भारतीय रिजर्व बैंक) को सभी ऐसे कार्यों के खिलाफ सुरक्षित रखेंगे जो मेरे / हमारे द्वारा मजदूरी का भुगतान न करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान न करने पर सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा प्रधान नियोक्ता (भारतीय रिजर्व बैंक) के खिलाफ शुरू किए जा सकते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षर:।

नाम:।

पता:।
.....

तारीख:।

मुहर

(उक्त घोषणा को 100 रुपये के गैर -न्यायिक स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाना है)

अनुबंध- जे

निविदा के भाग-1 के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्रमांक।	दस्तावेजों का विवरण	जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं*) *कृपया सही कारण बताएं
1	बैंक द्वारा जारी किया गया निविदा दस्तावेज़ – ठीक से भरा हुआ, स्टैम्प लगा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ (सभी परिशिष्ट, बोलीपूर्व बैठक के मिनट्स और अगर कोई हो तो सुधार-सूचना के साथ)	
2	कंपनी की मुहर के साथ मुख्तारनामा/प्राधिकरण	
3	₹19,000/- की ईएमडी रकम भेजने के सबूत के तौर पर NEFT रसीद/BG की कॉपी	
4	व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र और ज्ञापन और संख्या के अंतर्नियमों/ पार्टनरशिप डीड / अन्य प्रासंगिक पंजीकरण प्रमाणपत्र	
5	निविदा दाता वाले की जानकारी (परिशिष्ट -B में दिए गए फॉर्मेट में) और साथ ही सभी डायरेक्टर और ज़िम्मेदार अधिकारियों/पार्टनर/शामिल लोगों की जानकारी।	
6	पैन कार्ड और आयकर से जुड़े अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ	
7	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	
8	MSMED पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, अगर कोई हो	
9	ईपीएफ पंजीकरण की प्रति	
10	ईएसआईसी पंजीकरण की प्रति	
11	ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत लाइसेंस की प्रति, ठेका श्रम अधिनियम 1971 की धारा 21 के साथ पठित	
12	इसी तरह के काम करने में 5 साल से ज़्यादा वर्ष के अनुभव के समर्थन में कार्य आदेश और समाप्ति प्रमाणपत्र	
13	पिछले 5 वर्षों में पूरे किए गए समान योग्य कार्यों का विवरण ग्राहकों के संपर्क विवरण के साथ (नीचे दिए गए प्रारूप में) अनुलग्नक-ई)	
14	पिछले 5 सालों में पूरे किए गए सभी मिलते-जुलते पात्र कामों के लिए कार्य आदेश	
15	क्लाइंट प्रमाणपत्र (परिशिष्ट A में दिए गए प्रारूप में)	
16	निजी संगठन द्वारा जारी सभी क्लाइंट प्रमाणपत्र के भुगतान के सबूत के तौर पर TDS प्रमाण पत्र की प्रति	

17	पिछले 5 सालों में पूरे किए गए सभी ऐसे ही पात्रता कामों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र	
18	किसी भी सेंटर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए काम करने का पिछला अनुभव, अगर कोई हो, तो उसके लिए कार्य आदेश	
19	पिछले 5 सालों के लेखा परीक्षित वित्तीय पत्रककी प्रति और चार्टर्ड अकाउंटेंट से जारी प्रमाणपत्र जिसमें पिछले 5 सालों का टर्नओवर दिखाया गया हो।	
20	पिछले 5 सालों के आयकर क्लीयरेंस प्रमाणपत्र / आयकर असेसमेंट आदेश / आयकर परतावे की प्रति	
21	बैंक खाते की जानकारी और बैंक(बैंकों) की संपर्क जानकारी	
22	निविदाकर्ता के बैंकर्स द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप से जारी सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र, जो अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए जारी किया गया हो, ताकि निविदाकर्ता की वित्तीय स्थिरता का संकेत दिया जा सके।	
23	केरल में स्व-स्वामित्व वाले पूर्ण सेवा सेटअप/बैंक ऑफिस/प्रशासनिक कार्यालय होने के समर्थन में वैध दस्तावेज़	
24	किसी भी आधार पर किसी भी संगठन द्वारा अदालत में दोषी न ठहराए जाने या निलंबित/ब्लैकलिस्ट न किए जाने का अंडरटेकिंग।	
25	सभी लंबित नागरिक मुकदमे का ब्यौरा, अगर कोई हो	
26	व्यावसायिक शर्तें और नियम में अगर कोई बदलाव हो, तो उसकी लिस्ट	
27	तकनीकी विशिष्टताएँ में अगर कोई विचलन है, तो उसकी सूची	
28	अन्य संबंधित दस्तावेज़, यदि कोई हों, 1) ----- 2) -----	

तारीख:

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम्

**भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ़ कार्टर, तम्मलम, तिरुवनंतपुरम-695 012 में स्थापित 56 KLD
कॉम्पैक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का दैनिक संचालन और व्यापक रखरखाव के लिए
ई- निविदा**

भाग-II
मूल्य बोली

जमा करने की आखिरी तारीख:	02 मार्च, 2026 (मध्याह्न 2:00 बजे तक)
निविदा की वैधता:	निविदा के भाग-I के खुलने की तारीख से 90 दिन और आपसी सहमति से पात्रता का आगे विस्तार
बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन):	16 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे

भाग – II

मूल्य बोली (प्रारूप I)

मूल्य रहित मात्रा अनुसूची

कार्य का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ कार्टर, तम्मलम, तिरुवनंतपुरम-695 012 में 56 KLD कॉम्पैक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दैनिक संचालन और समग्र रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

क्रम संख्या	वस्तुओं का विवरण (a)	मात्रा (b)	रूपये में दर (c)	कुल सालाना रकम ₹ में (d=b*c)
1	56 KLD क्षमता वाली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), उसके संबंधित उपकरणों / प्रतिस्थापना, सहायक उपकरण आदि, और आसपास के क्षेत्र के दैनिक संचालन और रखरखाव:			
ए	बैंक द्वारा ₹3,87,090/- के रूप में निर्धारित घटक, मौजूदा न्यूनतम वेतन का उपयोग करते हुए स्किल्ड टेक्नीशियन के लिए 365 दिनों के लिए, @ ₹893/- प्रति दिन (बेसिक वेतन (BW) जिसमें वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) शामिल है), के अनुसार, केंद्रीय श्रम आयोग के नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, जो न्यूनतम वेतन होगा जिसे ठेकेदार को दिन-प्रतिदिन संचालन और रखरखाव के लिए तैनात किए जाने वाले स्किल्ड टेक्नीशियन को देना होगा, कर्मचारी भविष्य निधि @13% प्रति माह ₹15,000/-, ईएसआई और बोनस [बोलक को उनके कर्मचारियों के लिए EPF, ESI और बोनस का योगदान देने के लिए घोषणा प्रदान करनी होगी; यदि नहीं, तो संबंधित राशि स्थिर घटक से घटा दी जाएगी] (GST को छोड़कर)	1	₹3,87,090/- (वार्षिक)	

बी	परिवर्तनीय घटक 1: अतिरिक्त वेतन, यदि कोई ठेकेदार उच्च कुशल तकनीशियन को न्यूनतम वेतन के अलावा दिन-प्रतिदिन संचालन के लिए तैनात करने का इरादा रखता है, लागू कानून के अनुसार कानूनी योगदान/भुगतान, आवश्यक प्रकार और मात्रा की सफाई सामग्री, उपकरण, उपभोग्य सामग्री, सुरक्षा उपकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) / सहायक उपकरण आदि प्रदान करना, वर्कमेन मुआवजा पॉलिसी प्राप्त करना और प्रस्तुत करना, आकस्मिक शुल्क, यनिफॉर्म, ओवरहेड शुल्क आदि, प्रति वर्ष। न्यूनतम सेवा शुल्क कोटेशन निश्चित घटक के 3.00% से कम नहीं होना चाहिए। ब्रेशोल्ड से नीचे की कोई भी कोटेशन अमान्य मानी जाएगी। (जीएसटी को छोड़कर)	12 (मासिक)	मासिक	
सी	1 (A+B) के लिए कुल वार्षिक राशि GST को छोड़कर			
2	56 KLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), इसके संबद्ध उपकरणों/प्रतिस्थापना, सहायक उपकरण आदि का व्यापक वार्षिक रखरखाव और सेवा			
डी	56 KLD कॉम्पैक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण, निवारक और ब्रेकडाउन रखरखाव के लिए योग्य तकनीशियनों की नियुक्ति पर चार्ज, विस्तृत कार्य क्षेत्र के अनुसार आवृत्ति पर, जिसमें मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए स्पेयर/पार्ट्स की लागत, सभी उपभोग्य सामग्रियों की लागत, बीमा और जल परीक्षण शुल्क और सभी विविध खर्च शामिल हैं। इसमें ठेकेदार का ओवरहेड और लाभ शामिल है (GST को छोड़कर)	4 (त्रैमासिक)	त्रैमासिक	
ई	कुल (सी+डी)			
एफ	E पर @% GST जोड़ें			
जी	जीएसटी सहित प्रति वर्ष सकल मूल्य (ई+एफ)			

टिप्पणी:

1. उद्धृत किए जाने वाले सभी मूल्य 'यूनिट मात्रा' के लिए हैं, जो जीएसटी को छोड़कर होंगे। हालांकि, उद्धृत दरों पर 18% की दर से जीएसटी स्वचालित रूप से लागू किया जाएगा और इसे बोली लगाने वाले रीयल-टाइम में देख सकते हैं।
2. विशेष कार्य को 'कार्य संविदा की सम्मिलित आपूर्ति' के रूप में माना जाता है, जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के अनुच्छेद 119 में परिभाषित है।
3. निविदा कर्ता जीएसटी @ 18% या बैंक को प्रस्तुत चालान में जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार प्रभारित कर सकते हैं।